राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का २७ वां दिवस [संख्या २६

बुधवार, दिनांक २८ अक्टूबर, १९६४ विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बजकर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

———

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

६५०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने राज्य की चौथी योजना का कोई ढांचा तैयार किया है? यदि हां, तो वह योजना कुल कितने रुपयों की होगी?

उप-मन्त्री, योजना (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां।

(२) अस्थाई तौर पर (Tentatively) २७६) करोड़ रुपयों की।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कोई प्लान बनाया है उसमें क्या राजस्थान केनाल का विकास कार्य भी जोड़ा है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, वह अलग है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इसको अपने उसमें ले लिया है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां, केनाल कंस्ट्रक्शन, पोंग डेम का कंस्ट्रक्शन और कोलोनाइज़ेशन होने वाला है उसमें १७५ करोड़ रुपयों का खर्चा है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाय, ऐसा चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे राज्य की योजना में कितनी बचत होगी ताकि वह दूसरे काम में लगाई जा सके?

Page No. 2

श्रीमती कमला बेनीवाल : उसका आप खुद भी अन्दाज लगा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने भी अन्दाज लगाया होगा। मेरे अन्दाज से कैसे काम चलेगा ? आप बता दीजिए कितने आंकड़े हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप क्या पूछना चाहते हैं ? फोर्थ प्लान में २७६ करोड़ रुपये खर्च होंगे, उसमें से १७५ करोड़ रुपये राजस्थान केनाल पर लगने वाले हैं,वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जायगा, तो इस खर्च की बचत हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो बचत होगी वह क्या प्लान के दूसरे मदों पर खर्च की जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कौन सी बचत ?

श्री मुरलीधर व्यास : १७५ करोड़ का खर्चा केनाल पर सेन्टर खर्च करेगी और हमारे यहां जो बचत होगी वह किस मद में खर्च होगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : २७६ रु० का जो प्लान बना है वह सेक्टरवाइज़ बनाया जा चुका है, इसके अलावा बचत कौन सी ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पर कितना अमाउन्ट खर्च होगा २७५ करोड़ में से ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

अनास नदी के पुल की मरम्मत

६५१. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बांसवाड़ा जिले में आवागमन हेतु मुख्य रेल्वे स्टेशन दोहद एवं रतलाम हैं ? अगर हां, तो बांसवाड़ा-दोहद मार्ग पर स्थित अनास नदी का पुल टूटने से क्या वर्षाऋतु में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) राज्य सरकार ने इस मार्ग को चालू करने व पुल के निर्माण करने के बारे में क्या व्यवस्था की है ?

(३) राज्य सरकार कब तक दोहद-बांसवाड़ा मार्ग पर अनास का नया पुल बनावेगी ? अब तक निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। सितम्बर १९६१ से।

(२) यह कार्य योजना से स्वीकृत कर लिया है।

(३) रिवाइज़्ड प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है। अर्थाभाव के कारण।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह अनास नदी का पुल काफी दिनों से टूटा हुआ है और आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। बरसात की मौसम से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट

(श्री नाथूराम)

का तमाम बिज़नेस समाप्त हो जाता है। उधर से आते हैं तो रेलवे स्टेशन दोहद है। सरकार ने अब तक काम शुरू नहीं किया है इससे आम जनता को तकलीफ रहती है।

श्री हरिश्चन्द्र : मालूम है मुझे, इस-लिए तो प्रश्न के तीसरे भाग में लिखा है कि रिवाइज़्ड प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है और स्वीकृति मिलने पर जल्दी कराया जायगा।

श्री नाथूराम : यह कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री हरिश्चन्द्र : एटिमेट्स रिवाइज़ होकर आये हैं स्वीकृति के लिए।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में मन्त्रीजी ने कहा था कि इस साल व्यवस्था की जायगी, लेकिन अब तक साल भर और निकल गया; कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री हरिश्चन्द्र : रिवाइज़्ड एटिमेट्स मांगे गये थे; पहले ६ लाख के थे, अब ८ लाख के आये हैं। हाई लेवल ब्रिज बनाने के लिए रिवाइज़्ड एस्टिमेट्स मांगे गये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : निश्चित समय का अनुमान नहीं दे सकते क्या मन्त्री महोदय कि कब तक इसको हाथ में लिया जायगा?

श्री हरिश्चन्द्र : स्वीकृति होते ही आदेश दे दिया जायगा।

श्री नाथूराम : इस साल होगा कि नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : उम्मीद करता हूं, हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन। प्रश्न संख्या ६५२।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्रश्न संख्या ६५२.

(मंत्री महोदय की अनुपस्थिति के कारण उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आज मिनिस्टिरों का दिवाला निकल गया क्या?

एक माननीय सदस्य : अविश्वास के प्रस्ताव का असर है।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री अध्यक्ष : श्री संपतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री मुकुटबिहारीलालगोयल (बयाना): यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

हिन्डौन खरेटा सड़क निर्माण-कार्य

६५४. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 4

(श्री श्रवणलाल

(१) हिन्डौन से खरेटा तक सड़क के निर्माण के विषय में सरकार का क्या विचार है ?

(२) क्या यह सच है कि उस सड़क के बनने से सरकार को लाखों रुपयों का हर साल फायदा हो सकता है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस सड़क से खानों से पत्थर लाने में सुविधा रहेगी ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस सड़क का माइन्स विभाग की ओर से ठेका हो चुका है ?

(५) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के बनने के लिए सर्वे भी हो चुका है ?

(६) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के बनने के लिए गिट्टियां भी डल चुकी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) जी हां।

(४) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि भाग (५) और (६) के जवाब में आपने 'जी हां' कहा है....

श्री हरिश्चन्द्र : (६) में "जी नहीं' कहा है।

श्री श्रवणलाल : (५) में तो 'जी हां' कहा है। वहां पर सर्वे हो चुका है और आप कह रहे हैं कि विभाग को इस तरह की जानकारी नहीं है, इस तरह का वह नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने (५) में पूछा है, क्या यह भी सच है कि इस सड़क के बनने के लिए सर्वे भी हो चुका है तो मैंने इसके उत्तर में कहा, "जी हां"।

श्री श्रवणलाल : यह सर्वे कब हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, इस मसले को आज १० साल हो चुके हैं, गिट्टियां डाली जा चुकी हैं, सर्वे हो चुका है, मंत्रीजी ने एग्री किया है, पत्थर की खान के लिए यह सड़क आ रही है, इससे लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है। गत समय पी० डब्ल्यू० डी० की मांग पर बहस चली थी तब मंत्रीजी ने कहा था कि कहीं देर तक धीरे धीरे काम चल रहा हो तो मेरे नोटिस में आवे तो जरूर कार्यवाही करूंगा, लेकिन आज जवाब इस तरह का मिल रहा है जो नहीं के बराबर है।

बारां नगर में हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी

६५५. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां नगर में कब तक हाइड्रोइलेक्ट्री-सिटी आ जावेगी ?

(२) क्या यह सत्य है कि बारां के पॉवर हाउस में जो दो इंजिन लगे हुए हैं वे आए दिन खराब हो जाते हैं तथा नगर में बिजली की व्यवस्था खराब रहती है ?

(३) यदि हां, तो यह अव्यवस्था कब तक दूर हो जावेगी ?

(४) बारां के पॉवर हाउस को विभाग कब तक अपने अधीन ले लेगा ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) बारां नगर की हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी सप्लाई करने का कार्य अभी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। राणा प्रताप सागर व कोटा डेम पॉवर हाउस चलने के बाद ही बारां को हाइडल पॉवर दी जा सकेगी।

(२) यह पॉवर हाउस नगरपालिका द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इस पॉवर हाउस को अपने अधीन करने के लिए एक साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कई एक विशेष सूचनाओं का नगरपालिका से प्राप्त न होने के कारण पॉवर हाउस अभी तक नहीं लिया जा सका है।

श्री दयाचन्द सोन : पॉवर हाउस म्यूनीसिपैलिटी चला रही है, वहां कितने एन्जिन चल रहे हैं, कितने किलोवाट के हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : म्यूनीसिपैलिटी का पॉवर हाउस है। यह सूचना नहीं है। उस पॉवर हाउस को टेक ओवर करने के लिए वार्ता चल रही है। मन्त्री महोदय के यहां मीटिंग हुई थी, उसमें बारां म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमैन और एम. एल. ए. एकत्रित हुए थे। उसमें निर्णय लिया वह मान लिया तो जल्दी से जल्दी उसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लेगा।

श्री दयाचन्द सोन : कब मीटिंग हुई ? वहां के एम० एल० ए० इस मीटिंग में कब आये ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : करीब महीने, डेढ़ महीने पहले आये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एम. एल. ए. थे ?

श्री हरिश्चन्द्र: म्यूनीसिपैलिटी के चेअर-मैन थे, सेक्रेटरी थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे, मैं था, इन्जीनियर थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

बी. एण्ड आर. (वर्कशॉप) कोटा की मशीनों एवं गाड़ियों की मरम्मत

६५६. श्री रामकिशन (बैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि वर्कशॉप बी. एण्ड आर., कोटा की लगभग सभी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन मशीनों और स्टोर के सामान की मरम्मत बाजार से कराई गई है और इनमें हुए घोटालों की जांच सरकार करा रही है ? यदि हां, तो जांच पांच कब तक पूरी हो जावेगी और अगर हो गई है तो नतीजा क्या रहा है ?

(३) क्या स्टेशन वैगन पी. डब्ल्लू० डी० (बी० एण्ड आर०) और जीप आर० जे० आर. ७५२ कोटा डिविजन पर सरकार का कुछ खर्चा हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(४) क्या उक्त गाड़ियों की मरम्मत किसी कम्पनी से कराई गई है ? यदि हां, तो किस किस कम्मनी से और किस किस हुक्म से क्या क्या सामान किस किस भाव पर खरीद कर लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्रीहरिश्चंद्र): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय मैं ज्यादा चाहता हूं । I have not been able to collect the information.

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना क्वेश्चन है । डेढ़ दो साल से चल रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसकी सूचना आपको भिजवा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

भूतपूर्व जोधपुर स्टेट की ट्रेजरी में गबन

६५७. **श्री भैरोंसिंह** (विशनपोल,जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट की ट्रेज़री में सन् १९२३ में काफी बड़ी रकम का गबन हुआ था जिसकी पुलिस द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् तत्कालीन इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मारवाड़ ने कोई रिपोर्ट सरकार को इस आशय की प्रस्तुत की थी कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण ही उक्त गबन की जानकारी हो सकी और दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जा सका ?

(२) क्या यह सही है कि जोधपुर सेक्रेटेरियेट के रजिस्ट्रार ने भी अपने नोट दिनांक २०–२–३० के द्वारा यह माना था कि उपरोक्त व्यक्ति विशेष के जरिये समय पर सूचना मिल जाने के कारण ३,५०,००० रु० की रकम का गबन पकड़ा जा सका और इस तिथि तक गबन की रकम में से ८०,००० रुपये की रिकवरी की जा सकी और सरकारी खजाने में जमा हो सकी ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के समय स्टेट की इस प्रकार की सेवाओं

(श्री भैरोंसिंह)

को मान्यता दी जाकर नियमों और प्रिसीडेंट्स के अनुसार ऐसी सेवाएं करने वाले व्यक्तियों को नकद इनाम और नियमित रूप से पेन्शन दी जाया करती थी ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त रजिस्ट्रार के नोट के आधार पर तत्कालीन जोधपुर स्टेट को कौंसिल के वाइस प्रेसीडेंट कर्नल विधाम ने कौंसिल को एक नोट प्रस्तुत किया था और उक्त व्यक्ति विशेष को गबन के मामले को पकड़वाने के सम्बन्ध में इनाम दिये जाने की सिफारिश की थी ?

(५) क्या यह सही है कि तत्कालीन फाइनेन्स मिनिस्टर, मि० यंग ने अन्तर्विभागीय द्वेष के कारण कर्नल विधाम के नोट पर यह नोट लगा दिया कि कर्नल विधाम ने इस मामले में अपनी राय बदल ली है, लेकिन उन्होंने राय बदले जाने के विषय में कोई कारण नहीं बताये ?

(६) क्या यह सही है कि स्टेट कौंसिल ने फाइनेन्स मिनिस्टर, मि० यंग के प्रभाव के कारण उक्त व्यक्ति विशेष को पुरस्कृत किये जाने सम्बन्धी वाइस प्रेसीडेंट के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन अस्वीकार किये जाने के लिए कोई कारण नहीं बताये ?

(७) क्या यह सही है कि यह केस सन् १९४८ में तत्कालीन जोधपुर सरकार द्वारा रीओपन किया गया था, लेकिन स्टेट के राजस्थान में मर्जर होने के कारण उस पर उस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सका ?

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति विशेष द्वारा राजस्थान सरकार को इस मामले में निर्णय लेने के लिए रिप्रिज़ेन्टेशन किया था और इस कारण राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के अर्थ मंत्री श्री द्वारकादास पुरोहित तथा फाइनेन्स सेक्रेट्री श्री रामगोपाल बोड़ा को यह रेफरेन्स किया कि आया उक्त केस रीओपन किया गया था या नहीं तथा तत्सम्बन्धी कागजात कहां हैं ? यदि हां, तो इन दोनों व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में क्या राय जाहिर की है ?

(९) इस मामले में अब कार्यवाही किस स्टेज पर है और इसमें अब तक निर्णय नहीं लिये जा सकने का क्या कारण है ?

(१०) क्या सरकार अब इस मामले में कोई तुरन्त निर्णय लेकर सम्बन्धित व्यक्ति को उचित रूप से उसको न्यायोचित पुरस्कार की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना मामला है। इसके कागजात उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसलिए मैं मांग करूंगी कि इसके लिए समय दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसके कागजात की फाइल फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ी है, कोई जोधपुर से मंगानी नहीं है। फाइल बनी हुई है। उसी को देखकर जवाब देना है। इसमें समय लेने की आवश्यकता क्या थी, मैं नहीं समझ पाया।

श्रीमती कमला बेनीवाल: इस समय जो प्रश्न का उत्तर तैयार किया गया इसमें कहा गया कि पुराने कागजात उपलब्ध नहीं हैं। मैंने फाइल मंगाई है। उस फाइल के आधार पर जवाब तैयार करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : कागजात पुरानी फाइल के अन्दर हैं। जो भी जोधपुर गवर्नमेंट के डिसीज़न्स हैं और राजस्थान केबीनेट के डिसीज़न्स हैं, ये सब फैसले फाइल में शामिल हैं। फिर दिक्कत क्या आ रही है? समय मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? फाइल से जो जानकारी मिली उसके आधार पर जवाब दे सकती हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया, आप जैसा कहते हैं, वे कागजात उपलब्ध हैं। लेकिन जो सवाल का जवाब तैयार किया गया उसमें कहा गया कि उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैंने फाइल मंगाई है। उसमें जितने कागजात उपलब्ध हैं उनको देख कर जवाब तैयार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस फाइल के अन्दर जितने कागजात हैं उन्हीं के आधार पर यह प्रश्न बनाया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपको कैसे मालूम है?

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वे मेरे पास हैं और राजस्थान केबिनेट ने डिसीज़न लिए हैं वे मेरे पास हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह फाइल आपके पास तो नहीं रह गई है?

श्री भैरोंसिंह : आप इसका कब तक जवाब देंगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जवाब देने से बेहतर है कि जानकारी करके इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में केबिनेट का डिसीज़न हो चुका है, रेवेन्यू मिनिस्टर का नोटिंग हो चुका है। ये कागजात सेक्रेटेरियट में मौजूद हैं। उन कागजात को देख कर ही राजस्व मन्त्री व केबिनेट का फैसला हुआ है और फाइनेन्स सेक्रेटरी का नोटिंग हुआ है। जब पूरा विवरण मौजूद है तो फिर क्या सवाल है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हम चाहते हैं कि जितने कागजात उपलब्ध हैं, उन सबको देख कर आपको पूरी तरह से संतोष करवाया जा सके, ऐसा जवाब देना ठीक है; बजाय इसके कि हर भाग में लिख दिया जाय कि कागज उपलब्ध नहीं हैं। आपको संतोष नहीं हो तो जवाब देना ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : संतोष कैसे करायेगी

श्रीमती कमला बेनीवाल : जवाब पूरी तरह देकर और पूर्णरूप से जानकारी देकर सब चीजों का निराकरण करके।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर का नोटिंग हुआ है, केबिनेट का नोटिंग हुआ है, फाइनेन्स सेक्रेटरी का नोटिंग हुआ है, वह कम्प्लीट कागजात के आधार पर हुआ है। मैं अर्ज करूंगा कि ३१ तारीख तक इस प्रश्न का उत्तर रख

(श्री माथुरदास माथुर)

दिया जाय। इस बीच उन आधारों पर जानकारी करके जवाब तैयार कर लेंगी। इतना बड़ा सवाल है और इतने अर्से से चल रहा है। कम्पलीट कागजात पर नोटिंग हो चुका है, फिर कहना कि पुराने कागजात मिल नहीं रहे हैं; इससे दूसरे लोग उसी तरह फायदा उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पुराना मामला होना कारण नहीं हो सकता। कारण यह है कि सारी सूचना उपलब्ध नहीं है। जल्दी जानकारी करके, अगर सम्भव हो तो सत्र के अन्त होने से पहले इसका जवाब दे दें।

प्रश्न संख्या ६५८

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५९

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९६०

वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)—कृपया आगे देखिये

श्री कृष्णकुमार गोयल।

पंचभद्रा व डीडवाना के नमक को दरें

६६१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पचभद्रा व डीडवाना के नमक की दरों में कब कब व क्या क्या परिवर्तन किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य है कि दरों के परिवर्तन से पूर्व व्यापारियों द्वारा नमक का मूल्य जमा करा देने पर भी, परिवर्तित दर के बाद नमक वितरण करने पर बढ़े हुए अन्तर का मूल्य उनसे जमा करवाया गया जब कि अन्तर में कमी आने पर उन्हें रकम नहीं लौटाई गई ?

(६) अगर हां, तो क्यों ?

उप–मंत्री, योजना (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) नमक दर की परिवर्तन सूची संलग्न है।

(२) जी हां।

(३) नमक इन्डेंटिंग नियमों के अन्तर्गत बढ़े हुए दर के अन्तर की रकम व्यापारियों से वितरण के समय जमा करवाई जाती है। दर में कमी होने पर अन्तर के मूल्य का नमक दिये जाने का नियम है।

(सूची विस्तृत होने से विधान से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 10

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नमक इन्डेन्टिंग रूल्स के आरम्भ से इस प्रकार के हैं या बाद में किये गये हैं कि नमक की दर बढ़ जायगी तो उसका पैसा लिया जायगा और उसकी दर कम होगी तो डिफरेन्स का नमक दे दिया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त में यह अमेंडमेंट किया गया है। ओरीजिनल कैसे हैं, इसकी बाबत कुछ कह नहीं सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है, अधिकतर सरकार नमक के वैगन्स अलॉट कर देती है और रेट्स तय होतो हैं उसके अनुसार पैसा जमा करा देते हैं। उसके बाद अगर रेट्स बढ़ाई जाती है तो उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि बढ़ी हुई रेट्स के अनुसार पैसा जमा करा दें और उसके बाद ही नमक सप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब नमक की रेट्स कम हो जाती हैं तो जो डिफरेन्स होता है उसकी रकम नहीं लौटाई जाती है। इसलिए पूछ रहा हूं कि ये रूल्स आरम्भ से हैं या अभी बने हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा मैं निवेदन कर चुकी हूं, नियम कब से हैं,यह अर्ज नहीं कर सकती। लेकिन काफी अर्से से इन नियमों के आधार पर काम हो रहा है। अगर रेट्स कम होती हैं तो रकम नहीं लौटाई जाती हैं, बल्कि अगले इन्डेन्ट में उसे शामिल कर लेते हैं।

श्री कृष्णकुमारगोयल: ये रूल्स कब से लागू हैं, यह मैंने पूछा था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं अर्ज कर चुकी हूं कि तारीख मुझे याद नहीं है, न सन् याद है कि किस तारीख से और किस सन् से लागू है। काफी अर्से से इसके अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने आज तक नमक की रेट्स कम होने के बाद, जो एक्स्ट्रा सप्लाई की जानी चाहिए नमक की, वह सप्लाई नहीं की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं समझती हूं, यह सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है, मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि जहां नमक की रेट्स बढ़ गई है तो सरकार ने नमक की रेट्स बढ़ने से उससे ज्यादा पैसा ले लिया लेकिन सौदा तय हो जाने के बाद सरकार ने रेट्स कम कर दी हैं तो उसका डिफरेन्स नहीं दिया। उसका नतीजा यह होता है कि नये कॉन्ट्रेक्टर होते हैं उनको तो फायदा होता है और जो पुराने सौदे हुए हैं उनको फायदा नहीं मिलता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल :मैंने निवेदन किया कि यह पैसा नेक्स्ट इन्डेन्ट में शुमार कर लिया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक भी केस के अन्दर इस प्रकार की रकम को रिफन्ड नहीं किया है, न डिफरेन्स की रकम के बारे में जो बराबर का नमक मिलना चाहिए वह भी नहीं मिला है।

Page No. 11

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार ने ना नहीं किया है। किसी का इन्डेन्ट आया हो और उसमें डिफरेन्स शामिल नहीं किया हो, ऐसा एक भी केस है तो मैं जानकारी करके कार्यवाही करूंगी।

श्रीकृष्णकुमार गोयल : कोटा, झालावाड़ डिस्टिक्ट के अन्दर नमक के व्यापारियों की ऐसी शिकायतें आई हैं कि रेट्स बढ़ गई तो वह जमा करा दिया, लेकिन जो डिफरेन्स मिलना चाहिए वह नहीं मिला है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह जानकारी करके बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

पंचायत क्षेत्रों की सीमा–जिला चित्तौड़गढ़

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत कई पंचायत क्षेत्रों में सीमा सम्बन्धी हेर-फेर किया जा रहा है?

(२) क्या यह भी सही है कि सरकार ने पंचायतों के क्षेत्रफल का अध्ययन किया है और तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम कदमाली, सेमालिया, मरजीवी, चरजिया ब्राह्मणान, कल्याणपुरा, सेगवा, टीला खेड़ा व तहसील चित्तौड़गढ़ के, माताजी की ओवड़ी, जाजमपुरा, पाटनिया व उदपुरा गांवों को सुविधा के आधार पर और पुनर्गठन के नाम पर दूसरी पंचायतों से जोड़ा जायगा? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(३) क्या यह भी सही है कि काचर पंचायत (निम्बाहेड़ा) फिर कायम की जा रही है?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, पंचायतों के क्षेत्रों में फिलहाल पुनर्सीमा निर्धारण समिति द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(३) जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने भाग (२) में उत्तर दिया है, यह पुनर्सीमा निर्धारण कमीशन की रिपोर्ट है, यह विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। आपने चेंज तो जरूर कर दी है, मैं बता दूं; चितौड़गढ़ में तहसील पाटनीया, ग्राम पंचायत का केन्द्र चुना गया है, और परिवर्तन हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस प्रश्न के पूछने का मतलब है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इस पंचायत केन्द्र के पास एक गांव चार मील दूर है और दूसरा गांव छः मील दूर है। जो शक्कर देते हैं आधा किलो, इसको लेने के लिए चार मील, छः मील जाना पड़ता है। सुविधाजनक स्थिति क्या हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी कोशिश की गई है? मैं निवेदन करता हूं कि पंचायतों का गठन किया है, वह इस तरह का हो कि पंचायत केन्द्र में एप्रोच ईजी हो। आप इसका स्पष्टीकरण दे दें कि क्या सरकार विचार रखती है ऐसा परिवर्तन करने का?

Page No. 12

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। जो पंचायतें पहले म्युनिसिपैलिटीज़ में थीं उनके नाम छांटे गये और उनके नाम जोड़े गये। ऑलरेडी एक गांव किसी पंचायत में है उसको किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ा गया है। अगर माननीय सदस्य को इस प्रकार की जानकारी हो तो वे बता दें।

श्री अब्दुलजब्बार : भाग (३) में पंचायत समिति फाचर है। यह पंचायत टूट दी गई। क्या सरकार उसको वापिस रेस्टोर कर रही है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने इसका उत्तर दे दिया है। जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कस्बा जुरहडा और कस्बा पहाडी को बिजली की सप्लाई

६६३. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ४-५ अप्रेल, सन् १९६४ को डॉक्टर के. एल. राव, मन्त्री, भारत सरकार सिंचाई तथा विद्युत विभाग भरतपुर पधारे और पंजाब, यू. पी. तथा राजस्थान के सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें यह तय पाया कि कस्बा जुरहड़ा और कस्बा पहाड़ी, जिला भरतपुर को पंजाब से सन् १९६४ के अन्त तक बिजली सप्लाई कर दी जायगी ?

(२) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने उन दोनों कस्बों का सर्वे करा लिया और सन् १९६४ के अन्त तक बिजली सप्लाई करने का निश्चय कर लिया है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) जी हां। (३) जी हां

एक माननीय सदस्य: इस प्रश्न में भाग (३) तो है ही नहीं।

श्री चन्दनमल वैद: दूसरे के दो भाग हैं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६४.

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सांवलियाराम।

प्रश्न संख्या ६६५.

श्री मूलचन्द चौधरी

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट, श्री अमरसिंह

पाली घाट पर पुल-निर्माण योजना

६६६. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान के नागौर, जयपुर, पाली व अजमेर जिलों से सदैव ही अकाल

(श्री अमरसिंह)

की स्थिति बनी रहने से भूतपूर्व ग्वालियर राज में पाली के घाट से चम्बल नदी पार कर पशुधन चरने जाता रहा है ?

(२) क्या जब चम्बल चढ़ाव पर होती है तो १०० मील से चपर का चक्कर लगा कर उन पशु-पालकों को कोटा पुल से नदी पार करनी पड़ती है ?

(३) यदि नदी चढ़ाव पर नहीं भी हो तो क्या उन पशु पालकों को नाव से पशुधन भेड़े, बछड़े वगैरह पार उतरने में अत्यधिक खर्च वहन करना होता है ?

(४) अगर हां, तो क्या जनहित में उक्त पाली घाट पर राजस्थान सरकार पुल बनाने की कोई योजना रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) जी हां।

(४) यह कार्य योजना में सर्वे कराया जा रहा है।

श्री अमरसिंह : यह पुलिया कितना लम्बा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह पुलिया बहुत लम्बा चौडा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आम के पेडों के ठेके कुशलगढ़

६६७. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से पश्चिम और दक्षिण की ओर की सड़कों के पास की भूमि पर आम के पेड़ हैं। और उससे सरकार को आमदनी होती है ? यदि हां, तो सालाना कितनी आमदनी होती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष आमों को तुड़वा कर सम्बन्धित ओवरसियर ने अपने अधिकार में रखा था ? यदि हां, तो क्या उन्हें बेचा गया और क्या उसकी रकम सरकारी कोष में जमा करा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी रकम जमा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) यदि रकम जमा नहीं कराई है, तो क्या वह रकम वसूल की जायेगी और ओवरसियर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कुशलगढ़ से पश्चिम और दक्षिण की ओर सड़कों के पास की भूमि पर आम के पेड़ हैं किन्तु ये अब तक राज्य द्वारा अवाप्त नहीं, किये गये हैं अतः आमदनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) यह सही नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 14

श्री हीराभाई : वहां कितने पेड़ हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक तरफ २१ और और दूसरी तरफ ४२ हैं।

श्री हीराभाई : यह किसकी प्रोपर्टी है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने बताया कि यह पी. डब्ल्यू. डी. की प्रोपर्टी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह प्रोपर्टी किसी न किसी की तो होनी चाहिये। इसकी तो आपको जानकारी होनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी की कि आया यह पी. डब्ल्यू. डी. की प्रोपर्टी है या नहीं, तो मालूम हुआ कि पी. डब्ल्यू. डी. की प्रोपर्टी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपके ओवरसीयर या किसी चपरासी ने आमों को तोड़ा और उससे आमदनी की और बेजा मुनाफा उठाया है. क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे कर्मचारी ने कोई बेजा मुनाफा नहीं उठाया है।

श्री हीराभाई : मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि वह कौन व्यक्ति है क्योंकि वह भी गरीब आदमी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, रतनगढ़ में सुजानगढ़ तहसील के मुकदमों की संख्या

६६८. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, रतनगढ़ में सुजानगढ़ तहसील के मुकदमों की संख्या अधिक है ?

(२) क्या यह सही है कि पहले सुजानगढ़ में ही मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट था ? यदि हां, तो उसके वहां से हटाये जाने के क्या कारण थे ?

(३) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के निवासियों की ओर से वहां पर मुंसिफ कोर्ट कायम किये जाने की मांग एक लम्बे अर्से से बराबर की जा रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार वहां पर मुंसिफ कोर्ट खोला जाना न्यायोचित समझती है और इसीलिए उसने अपनी ओर से इसके लिये हाई कोर्ट को सिफारिश की है ?

(५) यदि हां, तो अब तक नहीं खुलने के क्या कारण हैं तथा कब तक खुल जाने की आशा की जा सकती है ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): (१) रतनगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है। सिविल जज कम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतनगढ़ के न्यायालय में सुजानगढ़ तहसील के मुकदमों की संख्या अधिक नहीं है।

(२) बीकानेर स्टेट के समय सुजानगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय थी किन्तु राजस्थान के एकीकरण के समय वहां एक

(श्री परसराम मदेरणा)

अधिकारी के लिये पूरे समय का काम न होने से कोर्ट ही नहीं रखा गया।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पार्ट(३) के उत्तर में यह कहा है, "जी नहीं"। मैं समझता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पार्ट (३) में "जी नहीं" नहीं कहा है। मैंने "जी हां" कहा है।

श्री फूलचन्द जैन : मैं जानना चाहता हूं कि रतनगढ़ में मुकदमों की संख्या कितनी है?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें कुल मुकदमों की संख्या ४३३ है, इन्क्लुडिंग एग्ज़ीक्यूटिव केसेज़, जिनको केसेज़ इन्स्टीट्यूटेड नहीं मानते हैं यदि उनको निकाल लिये जावे तो २८३ केसेज़ रहते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : सुजानगढ़ के कितने हैं?

श्री परसराम मदेरणा : १५८ हैं। दूसरे केसेज़ ३७५; इस तरह से ४३३ केसेज़ होते हैं। अगर एग्ज़िक्यूटिव केसेज़ को छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी कम से कम ५०० केसेज़ हों तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के लिये कोर्ट खोलने के लिये जस्टिफिकेशन हो सकता है। मिस्लेनियस केसेज़ उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसलिये इतने कम केसेज़ की हालत में कैसे जस्टीफिकेशन हो?

श्री फूलचन्द जैन : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर ५०० केसेज़ से कम केसेज़ है वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत कम जगह है। जहां पहले मुंसिफ कोर्ट्स थे।

श्री फूलचन्द जैन : जब ५०० केसेज़ से कम केसेज़ हैं, फिर भी वहां पर मुंसिफ कोर्ट्स हैं क्योंकि वहां पर पहले मुंसिफ कोर्ट्स थे। और यहां के लिए आप बताते हैं कि केसेज़ की संख्या कम है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर केसेज़ की संख्या कम होते हुए भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स हैं तो वहीं पर हैं जहां पर या तो कोई हिली एरिया है, या जहां पर जगह दूर-दूर है। वहां पर ५०० केसेज़ की संख्या नहीं होते हुए भी रखा गया है। वहां पर हाई कोर्ट के कॉन्ट्रावेन्शन के बाद भी ५०० केसेज़ की संख्या नहीं होते हुए भी रखा है। बीकानेर राज्य के वक्त में वहां पर कोर्ट था लेकिन राजस्थान के एकीकरण के बाद ये १०६ केसेज़ ही वहां इन्स्टीट्यूट हुए, इसलिये वहां पर मुंसिफ कोर्ट के लिये कोई जस्टीफिकेशन नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : क्या राजस्थान सरकार ने वहां पर मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिये हाई कोर्ट को सिफारिश की है?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री फूलचन्द जैन : मेरे पास लिखा हुआ आया है कि उन्होंने हाईकोर्ट को इसके लिये रिकमन्ड किया और उन्होंने यह कहा है कि हाई कोर्ट ने एग्री नहीं किया और आप कहते है कि "जी नहीं"।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कहता हूं। आप फरमाते है तो मैं वापिस इसको एग्ज़ामिन करा लूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वह यही है कि हाई कोर्ट को नहीं लिखा कि वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट रखी जावे।

श्री फूलचन्द जैन : जिस समय जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव का सेपरेशन होगा उस समय सुजानगढ़ में मुंसिफ कोर्ट के लिए आप विचार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जब जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का कम्प्लीट सेपरेशन का प्रश्न होगा उस समय सुजानगढ़ में कोर्ट क्रियेट किये जाने पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह।

नगरपालिकाओं द्वारा संचालित बिजलीघर

६६६. **श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर)** : Will the Power Minister please reply:—

(a) How many Power Houses run by Municipal Boards in the State have been taken over by the Rajasthan State Eiectricity Board?

(b) In how many such cases compansation has been paid in lieu the roof?

c) Has one and the same criteria been followed in determining the value of these Power Houses?

(d) If not, what are the grounds for discrimination?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) निम्नलिखित पॉवर हाउस जो नगरपालिका द्वारा संचालित किये जाते थे विद्युत् मण्डल द्वारा लिये जाने के बारे में आदेश जारी कर दिये गये थे :—

१. बालोतरा २. भीनमाल. ३ कपासन.

२) अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

३) जी हां।

४) प्रश्न ही नहीं रहता।

श्री उम्मेदसिंह : कितने पॉवर हाउसेज़ ऐसे हैं जिनको टेक ओवर करने के बारे में प्रश्न विद्युत् मंडल के विचाराधीन है?

श्री चन्दनमल वैद : आज के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि बारां के पॉवर हाउस को टेक ओवर करने का प्रश्न विचाराधीन है; और कितनों को टेक ओवर करने के विचार हैं, यह मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता।

श्री उम्मेदसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर के पॉवर हाउस को टेक ओवर करने के लिये आपके यहां से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ओवरसियर गया था?

श्री चन्दनमल वैद : बाड़मेर के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते तो मैं इस बारे में डिटेल्ड में जानकारी करके उत्तर देता।

श्री उम्मेदसिंह : कितनों को टेक ओवर किया है, कितनों को टेक ओवर करने का विचार है, यह जनरल क्वेश्चन मैंने पूछा है।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : जो पॉवर ले लिये हैं वहां पर भी नये एंजिन सप्लाई करने की कोई तजवीज नहीं है। बालोतरा में जो पॉवर हाउस है उसको सरकार ने ले लिया है, पर वहां बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। कृपया बतायें कि कब तक वहां नई मशीनें भेजेंगे जिससे कि वहां की यह समस्या हल हो।

श्री अध्यक्ष : यह बालोतरा के पॉवर हाउस को ले तो लिया है, पर वहां नई मशीन नहीं भेजी है, कब तक भेजेंगे ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : नये एंजिन लाने की कार्यवाही की जा रही है; कलकत्ता से मंगाये जा रहे हैं, शिपमेंट होगा तब नये एंजिन लगाये जायेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : जिन पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर कर लिया है, उनको कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : असेसमेंट ऑफ वेल्यू हो रहा है, वह पूरा होते ही दे दिया जायगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : टेक ओवर करने से पहले ही असेसमेंट क्यों नहीं किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उत्तर में यह बताया गया कि इन इन पॉवर हाउसेज़ को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक ओवर कर रहा है, तो क्या यह क्राइटेरिया भी निश्चित किया है कि किन किन नगरपालिकाओं के पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां जहां हाइडल पॉवर लानी है या म्युनिसिपैलिटीज़ काम अप नहीं कर पा रही है उन्हें लेने का रखा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सरकार के सामने या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने, सारे पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर करने में क्या बाधा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सारों का सवाल नहीं है, प्रश्न नगरपालिकाओं का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : करोड़ों की सम्पत्ति लगा कर पॉवर हाउसेज़ से ठीक तरह से बिजली सप्लाई की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है तो कुछ पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर करना और कुछ पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर नहीं करना, इसके पीछे सरकार की निहित नीति क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपैलिटीज़ अगर छोड़ना चाहें तो सरकार या विद्युत् मंडल ले सकता है। म्युनिसिपैलिटीज़ छोड़ना नहीं चाहें तो नेगोशियेशन्स भी करते हैं। अगर बोर्ड देने को इन्कार करता है तो उसको

(श्री हरिश्चन्द्र)

लिये और विचार किया जा सकता है; पर उनका परामर्श लेना, उनकी कन्सेन्ट लेना जरूरी है ।

श्री अमरसिंह : कम्पेन्शेसन का प्रश्न बड़ा गौण प्रश्न है । जिनसे पावर हाउसेज़ ले लिए उनको कम्पेन्सेशन तो पीछे देते रहिये, आपने कम्पेन्सेशन तय किया या नहीं किया, यह गौण प्रश्न है; पर जिनको टेक ओवर कर लिया, जिनको सरकार चला रही है, जिनकी मशीनें आउट ऑफ डेट और ज़ेरबार हो गई हैं उनके बारे में मौजूदा प्रश्न है । जहां बिजली सप्लाई नहीं होती है, वकीलों को पढ़ने के लिये रोशनी नहीं मिल रही है रिपेयरिंग के काम के लिये बिजली नहीं मिल रही है वहां नई मशीनें प्रोवाइड करना है । बाड़मेर और बालोतरा अन्डेवलप्ड एरिया है वहां के पॉवर हाउसेज़ की मशीनें आउट ऑफ डेट और खराब हैं, वहां पहले मशीनें प्रोवाइड करनी चाहिये । नई मशीनें राजस्थान सरकार के पास आती हैं, वे दूसरी जगह दे दी जाती हैं । हमारे यहां अन्डेवलप्ड एरिया है उसे जानबूझ कर अन्डेवलप्ड रखा जाता है । इस ओर सरकार ध्यान देकर वहां पॉवर सप्लाई का सुप्रबन्ध करे ताकि हमारे यहां के बैकवर्ड एरिया को भी आपके एड्मिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो । मैं यह पूछना चाहूंगा कि कब तक इन पॉवर हाउसेज़ के लिये नई मशीनें देंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो लम्बा भाषण हो गया ।

श्री तेजाराम गहलोत (साजत) : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

लैदर वर्क्स सहकारी समिति घाट दरवाजा, जयपुर

६७०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि घाट दरवाजा, लैदर वर्क्स सहकारी समिति, जयपुर के भूतपर्व मन्त्री श्री नानगराम को सहकारी विभाग के निरीक्षकों द्वारा बुरी तरह परेशान किया गया जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई ?

(२) इस समिति में कुल कितने सदस्य थे जिनमें से कितनों को कितना कर्जा कब और कहां से दिया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या बाकी सदस्यों के इस्तीफे लेकर उनकी हिस्सा पूंजी उसी समय श्री गोविन्द नारायण, निरीक्षक ने लौटा दी जो नियमों के खिलाफ है ? यदि हां, तो कितने सदस्यों को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या यह भी सही है कि दिनांक २४-२-६२ को निरीक्षक श्री श्यामसिंह ने जबरन दूकान को ताला लगा दिया ?

(५) दिनांक २-५-६१ को निरीक्षक श्री श्यामसिंह ने नानगराम के साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी शिकायत असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दी गई ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(६) क्या यह सही है कि श्री नानग राम को नोटिस नं० १८७ दिनांक ७-७-६१ को ५०१ रु० २५ नये पैसे का दिया गया और रुपये फौरन जमा करा दिये गये ?

(७) क्या यह भी सही है कि फिर दिनांक २०-७-६१ को निरीक्षक श्री परमहंस तथा चपरासी श्री रामनाथ ने नानगराम जी के मकान पर जाकर पैसे मांगे, बेइज्जती की, जिसकी भी सूचना असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जयपुर को दी गई ?

(८) क्या यह भी सही है कि दिनांक २६-७-६१ को एक रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा जमानत से लिखाकर दूकान खोली गये ?

(९) क्या यह भी सही है कि दिनांक ३-८-६१ को निरीक्षक श्री परमहंस व सहायक निरीक्षक श्री जगदीश ने दूकान पर जाकर दूकान का मुख्य सामान मशीन आदि सन्दूक में बन्द करके चाबी अपने पास ले आये जिससे दूकान का कार्य बन्द हो गया ? क्या इसकी भी सूचना असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जयपुर को दी गई ?

(१०) क्या यह भी सही है कि दिनांक २५-८-६१ को नानगराम ने अमानत रकम लेने के लिये प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार व सहायक रजिस्ट्रार को दिया ?

(११) क्या यह भी सही है कि इन परेशानियों के कारण नानगराम बीमार हो गया और टी० बी० हो गई, जिसका इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल में कराया गया, जिसकी सूचना दिनांक २६-१०-६१ को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को दी गई ?

(१२) क्या यह भी सही है कि दिनांक ११-१२-६१ को अपने अमानत के रुपयों को वापिस लेने के लिये फिर नानगराम ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिया ?

(१३) क्या यह सही है कि श्री नानगराम की बीमारी बढ़ने की सूचना फिर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जयपुर को दी गई ?

(१४) क्या यह भी सही है कि सारी परेशानियों के कारण दिनांक ७-७-६२ को श्री नानगराम की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना दिनांक २८-७-६२ को विवरण सहित विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों दी गई।

(१५) अब तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है व अमानत उनके वारिशों को लौटा दी हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(२) समिति की रजिस्ट्री के समय १२ सदस्य थे। बाद में २३ हो गये। इस समय १३ सदस्य हैं। कर्जा सदस्यों को अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया था बल्कि समिति को सामुहिक रूप से दिया गया था। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No. 20

(श्री भीमसिंह)

३. जी नहीं, यह गलत है कि गोविन्द नारायण निरीक्षक ने सदस्यों से इस्तीफे लेकर उनकी हिस्सा पूंजी लौटा दी बल्कि समिति ने ही अपनी आम सभा की कार्यवाही दिनांक २२-९-५९ में सदस्यों के दिये हुए इस्तीफे मन्जूर किये व उनको हिस्सा राशि १००) प्रति व्यक्ति के हिसाब से नियमानुसार रसीद लेकर दिनांक २९-९-५९ को लौटा दी। यह कार्यवाही समिति की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। जिन नौ सदस्यों को हिस्सा पूंजी लौटाई गई उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

१. श्री खेमचन्द पुत्र मांगीलाल
२. श्री कालूराम पुत्र सीताराम
३. श्री नाथूलाल पुत्र कालूराम
४. श्री भौंरीलाल पुत्र गंगाराम
५. श्री पूरन पुत्र भौंरीलाल
६. श्री हरबक्स पुत्र काना
७. श्री चुन्नीलाल पुत्र विजयलाल
८. श्री भेरुबक्स पुत्र कुशला
९. श्री रामजीवन पुत्र भेरुबक्स

(४) जी नहीं बल्कि दिनांक ७-४-६१ को ही श्री श्यामसिंह निरीक्षक (सहायक समिति) द्वारा नियमानुसार चार्ज देने हेतु दूकान को सील कर दिया था।

(५) जी नहीं

(६) जी नहीं। नोटिस क्रमांक १०६ दिनांक ७-७-६१ का ५ १ ६० २६ पैसे (कीमत चमड़ा व अग्रिम धनराशि) का दिया गया था। रुपया जमा नहीं हुआ।

(७) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(८) जी हां, यह सही है कि दिनांक २९-७-६१ को श्री नानगराम को दूकान का सामान एक रुपये के स्टाम्प पर सुपुर्दगी नामा लिखवा कर कि आवश्यकता पड़ने पर यह सामान प्रस्तुत कर देगा, सम्हलाया गया।

(९) जी नहीं।

(१०) जी नहीं, जमानत रकम वापिस लेने का प्रार्थना-पत्र श्री नानगराम ने २५-८-६१ को नहीं बल्कि १७-८-६१ को दिया था।

(११) जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।

(१२) जी नहीं, इस प्रकार का कोई पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(१३) जी नहीं, इस आशय का पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(१४) मृत्यु परेशानियों के कारण हुई या नहीं, पता नहीं। हां २८-७-६३, को श्री नानगराम के पुत्र श्री लल्लुराम से इस आशय का पत्र अवश्य प्राप्त हुआ।

(१५) समिति की अपसायन कार्यवाही चल रही है। समिति का बाहरी दायित्व प्राप्त

(श्री भीमसिंह)

नहीं हो पाया है। अतः तब तक अमानत लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक कि अपसायन की कार्यवाही समाप्त नहीं हो कि जाये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि नानगरामजी ने समिति का १५०० रुपया जमा नहीं कराया और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, समिति में जमा नहीं हुए। ये रुपये इन्सपेक्टर साहब को दिये गये थे, फिर उन्होंने जमा क्यों नहीं किये ?

श्री भीमसिंह : यह चीज साबित कर दी जायेगी तो जांच करके उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे पास एक कागज है, जिस पर इन्सपेक्टर साहब के दस्तखत हैं, जिससे १५०० रुपये जमा कराना साबित होता है। ट्रू कॉपियां हैं जिन पर आपके विभाग के अधिकारियों के साइन हैं।

श्री भीमसिंह : कागज़ात आप मुझे डिटेल्स में बतायें तो रजिस्ट्रार साहब के साथ बैठ कर जितनी खामियां है उनके सम्बन्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या नानगरामजी के घर का सामान भी आज तक सील्ड है।

श्री भीमसिंह : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके लिये भी लिस्ट है, जिस पर इन्सपेक्टर के साइन हैं। यह भी माना है कि नानगरामजी का घरू सामान भी साथ में सील में है। पर उनकी मृत्यु के बाद उनके घर वालों को वह सामान नहीं दिया।

श्री भीमसिंह : दूकान को सील किया है तो हो सकता है कि घरू सामान भी अन्दर रह गया हो। आप डिटेल्स देंगे तो जानकारी जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपसे व्यवस्था चाहूंगा। मन्त्री महोदय कहते हैं कि माननीय सदस्य यदि सारे तथ्यों को दे दें और वे देख लें तो वे उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रश्न में १५ आइटम्स हैं और इतने लम्बे चौड़े प्रश्न के बावजूद भी पूरा रिकार्ड मन्त्री महोदय के पास नहीं है और जो सम्भवतया माननीय सदस्य के पास है, उस प्रश्न के पहुंचने पर भी कोई कार्यवाही न हो और यह कहना कि जब माननीय सदस्य रिकॉर्ड देंगे तो कार्यवाही करेंगे; यह उचित नहीं है। तो आप मंत्रियों और उप मन्त्रियों को आदेश दें कि प्रश्न पहुंचने के बाद यदि उनको माननीय सदस्यों से बात करनी हो तो वे सदन में सवाल आने से पहले कर लें और सारा रिकॉर्ड देख लें ताकि प्रश्न पूछने का कोई अर्थ निकल सके, अन्यथा यदि प्रश्नों के जवाब इस तरह के आयेंगे कि फाइल देखकर कार्यवाही करेंगे तो उससे न तो इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ती है और न माननीय मन्त्रियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति वास्तव में भयावह है।

Page No. 22

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरे पास प्रार्थना–पत्रों की ट्रू कॉपीज हैं जो सदन को दिखा रहे हैं और उसका मन्त्री उत्तर दे रहे हैं कि इस बार में इस प्रकार का कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके माने यह हैं कि इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और मन्त्रीजी अगर चाहें तो माननीय सदस्य से बात-चीत कर लें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह देखा जा रहा है कि इस सदन के अन्दर पार्लियामेंटरी परम्पराओं की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से पंचायत मन्त्री सिलेकट कमेटी में होते हुए भी और उसका उसका अध्यक्ष होते हुए उस रिपोर्ट पर अमेंडमेंट मूव किए जबकि हम ऑपोजीशन वालों को मूव नहीं करने दिया गया, इसी प्रकार से उप मन्त्रीजी ऐसे जबाब देते हैं कि . . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किसने मना किया था ?

श्री मानसिंह महार : आप पार्लियामेंटरी परम्पराओं को जानते भी नहीं। आपको मालूम होना चाहिये कि यह बड़ा निंदनीय कार्य होता है। सिलेकट कमेटी का सदस्य अगर नोट ऑफ डिसेन्ट दे तो उसको उसके खिलाफ बोलने न दिया जाय, अमेंडमेंट देना तो दूर की चीज है . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप अपने नेता का तो हुक्म मानो; फिर हमें सुझाव देना।

श्री मानसिंह महार : हम आपकी तरह सुखाड़िया वगैरह की बैक बाइटिक करना नहीं जानते। आजकल देखा जा रहा है कि विरोधी पक्ष की ओर से जो सवाल आते हैं उनका जबाब बिल्कुल नहीं देते। हम मानते हैं कि आप इनको काफी ताड़ना भी देते हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि उस ताड़ना के बाद भी नहीं करते। इसलिए इस प्रश्न को परसों के लिए डिफर किया जाय ताकि उपमन्त्री सारे रिकॉर्ड को देख लें। उप मन्त्री दर दर दौड़ धूप न करें कि कुम्भाराम मिनिस्टर हो रहा है, क्या गजब हो गया, इन चीजों को परे करके जब सदन चल रहा हो, सदन की तरफ ध्यान दें।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य ने १५ सवाले पूछे थे, सबका जबाब दिया गया है। बाकी के जिन कागजों का उल्लेख कर रहे हैं ...

श्री मानिकचन्द सुराणाः हम व्यवस्था चाहते हैं। हम उप-मन्त्रीजी का जबाब नहीं सुनना चाहते

श्री भीमसिंह : जब तक मैं देख न लूं कि सही हैं या गलत...........

श्री मानिकचंद सुराणा : आपका जबाब तो हमने सुना, अध्यक्ष को कहने का मोका दें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर में आपने कहा कि नहीं है। लेकिन मेरे पास सर्टीफाइड कॉपीज हैं, मैं साबित कर सकता हूं कि जुल्म हो रहा है। मौत हो जाने के बाद भी सामान नहीं मिल रहा है।

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जितने भी सवाल आते हैं सरकार बड़ी गहराई से उनको देखती है और कोशिश करती है कि ठीक जवाब दिए जायं, लेकिन हमारे पास जो इन्फोर्मेशन आती है वह सरकारी कर्मचारियों से आती है। हो सकता है कि माननीय सदस्यों के पास, जो हमारी इन्फोर्मेशन है, उसके अलावा और कोई इन्फोर्मेशन हो सकती है, वह आने पर मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के पास अगर कोई ऐसी बात कॉन्ट्रेरी पाई गई तो उन ऑफीसर्स के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि मन्त्री तैयार होकर नहीं आते हैं या मन्त्री महोदय गहराई में नहीं जाते, यह बात तथ्यों से परे है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अधूरे तैयार होकर आते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं उनके पास कुछ तथ्य या जानकारी होती है, उनके आधार पर पूछते हैं और सरकार उत्तर देती है विभागीय जानकारी के द्वारा; लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी सदन में हुआ है, कुछ तथ्य या दस्तावेज माननीय सदस्यों के पास होते हैं; या तो वे उत्तर में नहीं आते हैं या विभाग के पास सम्भवतया नहीं होते हैं। अब समस्या यह है कि इस चीज का निराकरण कैसे किया जाय ? एक स्थिति यह है कि, जैसे मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उनको जानकारी विशेष तौर से दी जाय ताकि जानकारी करके यथासंभव आगे कार्यवाही करेंगे।

एक व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से तथ्यपूर्ण प्रश्न पूछें, उसका मतलब उनके पास कोई विशेष तथ्य हैं, वे अगर सरकार के समक्ष रखना चाहें और सदन में प्रश्न आएं उससे पहले अगर एक पत्र के द्वारा मंत्री महोदय को लिख दें कि मेरे पास यह जानकारी है और इस बारे में आप जांच कराइए। यह तो हरेक माननीय सदस्य और हरेक नागरिक का अधिकार है कि किसी समय भी मंत्री महोदय को किसी समस्या पर लिख सकते हैं और सरकार का भी फर्ज है कि यथासंभव उसका उत्तर दे, चाहे सदन बैठा हो या नहीं। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की व्यवस्था बना लें तो मैं समझता हूं और ऐसा उचित भी होता कि जब प्रश्न आएंगे, उस समय माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मैंने अमुक पत्र आपको लिखा था और सारे दस्तावेज आपको पहले भेज दिये थे तो निरन्तर क्रम चल सकता है, जैसे प्रश्नों का उत्तर आता रहे और जब सदन मिले तो माननीय सदस्य प्रश्नों के द्वारा सदन के समक्ष और भी निराकरण करा सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था कर दें, तथ्य पहले ही मंत्र महोदय के पास भेज दें कि अमुक व्यक्ति को यह दिक्कत है या इसमें अमुक कार्य नहीं हो रहा है, जांच कराएं, तो आज मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में नहीं होते कि मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए अगर भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रिया माननीय सदस्य करें तो मैं समझता हूं कि सरकार भी स्वीकार करेगी कि किसी भी समय पत्र आए तो उसको उतनी तवज्जोह दें जितनी प्रश्न का देते हैं ताकि प्रश्न जब आए उस वक्त तक काफी जानकारी मंत्री महोदय के पास हो जाय और फिर उस चीज का थोड़े समय में निराकरण हो जाय। कई बार ऐसा होता है कि

(श्री अध्यक्ष)

जब जानकारी चाही जाती है, मंत्री महोदय कहते हैं कि मुझे पता नहीं, फिर जांच होती है और अगले कई महीनों तक जांच होती रहती है या जांच न भी होतो है और प्रश्न का महत्व ही तब तक समाप्त हो जाता है। तो भविष्य के लिए अगर माननीय सदस्यों को कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी समय चाहे सदन चलता हो या नहीं, मंत्री को लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, यह उनका हक भी है, दायित्व भी है और मैं आशा करता हूं कि प्रश्न तभी आए जब उनकी शंका का निवारण न हुआ हो ताकि यह सवाल नहीं रहे कि मंत्री महोदय कहें कि मेरे पास जानकारी नहीं है। इसलिए आप सारे दस्तावेज मंत्री महोदय को दे दें और वे अवश्य इस बारे में गौर करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये सब फिगर्स मंत्री महोदय के दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में बहस की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसा बताया; जैसे कि इन्सपेक्टर के दस्तखत किए हुए कागज हैं, आप उनको व्यक्तिगत तौर से जाकर बताएं, दस्तावेज हैं या और कोई रेफरेंस हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को संतोष हो गया होगा और इससे सदन में कम समय लगेगा और अच्छी तरह से कार्यवाही चल सकेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप एक व्यवस्था कर दें कि हमारे जो पत्र मंत्रियों के पास जाते हैं उनका कई बार जवाब नहीं आता, उस बारे में क्या होना चाहिए। अगर आप यह चाहें कि हमारे सब पत्र विधान सभा के मारफत जायें तो कम से कम विधान सभा में एक रेकॉर्ड तो रहे कि हमने कितने पत्र लिखे और कितने पत्रों का जवाब आया....

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्री लोगों की तरफ से पहुंच तो आ जाती है कि मामला विचाराधीन है, लेकिन दुबारा पत्र का जवाब नहीं मिलता है।

(विराम)

वैसे तो मुख्य मन्त्री को बहुत पता है।

श्री अध्यक्ष : इसका तो यही रास्ता है कि पत्र लिखें उनको, और यथोचित उत्तर आपको न मिले या उत्तर से सन्तोष न हो, तो उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछें और उसमें यह उल्लेख कर दें कि अमुक तारीख को पत्र लिखा था उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई, क्या स्थिति है उसकी ?

श्री भैरोंसिंह : खो गया, वे कह देते हैं। सार्वजनिक और महत्वपूर्ण पत्र उनके लिये और होते हैं।

श्री अध्यक्ष : और कैसे होते हैं ?

उसकी एक प्रतिलिपि हमारे पास भेज दें तो हम भी यथा सम्भव रिमाइन्डर करते रहेंगे और कम से कम एक रिकॉर्ड तो रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये विधान सभा में एक रजिस्टर खोल दिया

Page No. 25

(श्री भैरोंसिंह)

जावे और यहां की मार्फत ही जवाब मिल जाया करे तो इससे रिकॉर्ड भी रहेगा और प्रामाणिक रूप से असेम्बली में कह भी सकेंगे ; नहीं तो हमारे पत्रों का जवाब तो जैसा देते हैं वैसे ही देते रहेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : भैरोंसिंहजी का सुझाव यह है कि रजिस्ट्रार, कोरेस्पोन्डेन्स और कायम कर दिया जावे ।

श्री रामकिशन : एक मन्त्री रिसीट और डिस्पेच का रख दिया जावे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह पोर्ट फोलियो इनको क्यों नहीं दे दिया जावे ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो निरंजननाथ आचार्य अच्छे रहेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड भी भेज देते हैं उसका एक बार तो उत्तर आता है, मुनासिब कार्यवाही कर रहे हैं और जब रिमाईन्डर भेजते हैं तो कह देते हैं, इसके सुबूत में रिकॉर्ड भेजिये, अब एक बार भेज दिया तो दुबारा कहां में भेजें; व रिकॉर्ड तक को खा जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम पंचायत खेड़ा मेदा के स्कूल भवन के लिए अनुदान

६७१. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेड़ा मेदा को पंचायत समिति कठूमर (अलवर) ने स्कूल भवन निर्माण हेतु सहायता दी है जो बन कर तैयार हो चुका है ?

(२) क्या यह सभी सही है कि सरकारी अनुदान की सहायता से बने स्कूल भवन में अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ाता, और दूसरी जगह पढ़ाता है ? अगर हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) कोई सहायता नहीं दी गई । स्कूल भवन बन चुका है ।

(२) जी नहीं ।

श्री नत्थीसिंह : कितना रुपया दिया गया इस स्कूल के लिए ?

श्री भीखाभाई : कोई सहायता नहीं दी गई । मैंने कहा, स्कूल भवन बन चुका है ।

श्री नत्थीसिंह : एक हजार रुपया दिया है जन सहयोग से पंचायत समिति ने । मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूँ कि एक हजार रुपया दिया गया है, यह आपके विभाग से इत्तिला गलत आती है, इसलिए मुझे पूर्णरूप से विश्वास है कि मन्जूरी अनुदान के लिए दिए बिना स्कूल तैयार हुई है ।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि सहायता की गई थी, तो मेरी जानकारी प्राप्त हुई है विभाग से, उसके अनुसार यह जरुर है कि शिक्षा स्थाई समिति ने एक हजार देने का निर्णय किया था । पर

Page No. 26

(श्री भीखाभाई)

स्थाई समिति की बात प्रशासन ने मानी नहीं। उसके अनुदान के अभाव में रुपया नहीं दिया गया। और यह बात भी सही है कि जन सहयोग के द्वारा रुपया इकट्ठा किया गया था, जमा भी कराया था, पर आपस में झगड़ा होने से अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार पंचायत समिति ने रुपया एक हजार नहीं दिया। और अधिक जानकारी माननीय सदस्य बतावेंगे तो मैं उसकी जानकारी करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि जन-सहयोग से जो रुपया दिया गया वह कोष में जमा नहीं हुआ और क्यों उन्होंने लौटाया है ? अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल सहायता देने का है, वह दी या नहीं, यह बतावें आप ?

श्री भीखाभाई : ये सारी बातें आप पंचायत समिति पर छोड़ दें। इसमें सारी डिटेल्स में सरकार कहां जा सकती है ? जब कि लोकल इन्स्टीट्यूशन ने किया है तो उन पर ही छोड़ना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : गलती हम करते हैं तो सरकार देखे, यह सरकार का कर्तव्य नहीं है क्या ? रुपया पहले ले लिया, जमा कर लिया, स्कूल के लिए इजाजत दे दी, बाद में रुपया वापिस कर दिया और स्कूल दूसरी जगह चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अभी भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है। इधर से छोड़ कर उधर चले गए तब भी फायदा नहीं हो रहा है। अफसोस है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला नहीं इसका।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जवाब पावेंगे भी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नई नई मोहब्बत का तो ध्यान रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पुराना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर भी पुराना लिखा हुआ है।

बाणगंगा नदी पर रपट पर पुलिया का निर्माण, बारां नगर

६७२. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) बारां नगर के पास बाण गंगा नदी के रपट के पास जो पुलिया बन रही थी उसका काम किस कारण से बन्द करा दिया गया और वह अब कब तक कर तैयार हो जावेगी ?

(२) इस पुलिया के निर्माण में कुल कितना रुपया व्यय होगा और अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और निर्माण कार्य कितना हो चुका है एवं किस ठेकेदार द्वारा कराया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कार्य चालू है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) ६७,४००)रु. व्यय होने का अनुमान है। माह सितम्बर १९६४ के अन्त तक लगभग ५०,०७९) रुपया खर्च किया जा चुका है। पृथ्वीसिंह भाटिया ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

श्री दयाचन्द सोन : मैं तो देख कर आया हूं काम बन्द पड़ा है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने बरसात के समय देखा होगा जब कि पानी बरस रहा होगा। पानी बरसने पर पुलिया का काम नहीं हो सकता।

श्री दयाचन्द सोन : मैं आठ-दस दिन पहले की बात कहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं ठीक कहता हूं। बरसात में आपने देखा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): दस दिन पहले वर्षा हो रही होगी?

श्री हरिश्चन्द्र : आप गये थे तब वर्षा हो रही होगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह कब तक समाप्त हो जाना चाहिये था?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी हाल में ही दिया गया है यह। ५० हजार रुपये खर्च हो चुके हैं? ६७ हजार का एस्टीमेट है। खत्म हो जल्दी ही।

चित्तौड़गढ़ रेन्ज में प्लान्टेशन कूप्स पर व्यय

६७३. **श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष** (चित्तौड़गढ़): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ रेन्ज में प्लान्टेशन कूप्स सरकार की ओर से कायम किये गये हैं? अगर हां, तो कितने और कब कब?

(२) क्या यह सही है कि इन प्लान्टेशन कूप्स पर सरकार द्वारा वार्षिक रकम व्यय की जाती है? अगर हां, तो कौन कौन से वर्ष में में कितनी कितनी और अब तक कितनी रकम व्यय हो चुकी है?

(३) इन कूप्स में अब तक कितनी किश्तों में कुल कितने पौधों का वृक्षारोपण हुआ और कितने पौधे पनप सके? क्या जो पौधे पनप चुके हैं वे जंगल की आय में कोई वृद्धि कर सकेंगे?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई): (१) जी हां, चित्तौड़गढ़ रेन्ज में पांच प्लान्टेशन किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं।

(१) १. सेमलपुरा १९५६।५७
२. सेमलपुरा १९५७।५८
३. सेमलपुरा १९५८।५९
४. सेमलपुरा १९५९।६०
५. चित्तौड़गढ़ फोर्ट १९६०।६१

(२) जी हां। १९५६–५७ से ६३–६४ तक कुल ५६४८९) रुपये खर्च हुए हैं, जिसका

(श्री भीखाभाई):

विवरण निम्न प्रकार है:

१९५६-५७	१५५७५) रु०
१९५७-५८	६६२५) रु०
१९५८-५९	१५५८०) रु०
१९५९-६०	८६१०) रु०
१९६०-६१	३९८७) रु०
१९६१-६२	१४००) रु०
१९६२-६३	१०००) रु०
१९६३-६४	४९९) रु०

(३) इन प्लान्टेशनों में पौधे लगाने के बाद दो वर्ष तक जो पौधे मर जाते हैं उनके स्थान पर फिर से पौधे लगाये जाते हैं और विशेष परिस्थिति में बाद के वर्षों में भी पौधे लगाये जाते हैं। इन प्लान्टेशनों में अब तक कुल ६१८४०) पौधे लगाये गये हैं जिनमें से करीब ४० प्रतिशत पौधे पनप सके हैं। जो पौधे पनप चुके हैं वे जंगल की आय में वृद्धि कर सकेंगे।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या यह प्लान्टेशन गोचर भूमि में लगाया गया ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ४० प्रतिशत कामयाब हुए तो इस हाई मोर्टेलिटी का क्या कारण ?

(१२. मध्यान्ह)

श्री भीखाभाई : हाई मोर्टेलिटी पानी के कारण हो सकती है और दूसरे कारणों से हो सकती है। इसको एग्ज़ामिन नहीं किया है, लेकिन प्लान्टेशन के अन्दर ६० परसेन्ट रहे या ४० परसेन्ट रहे, पर ज्यादातर ४० परसेन्ट रहता है। जैसा आपने सवाल पूछा था कि सचिवालय के पीछे के लिए, तो हाई मोर्टेलिटी तो किसी कारण से हो सकती है, वह अलग बात है। जहां तक देखभाल का सवाल है तो परमानेन्टली उसमें क्योंकि इतनी देखभाल नहीं होती है; ४०९ एकड़ में जहां प्लान्टेशन होता है उसमें पानी पिलाना तो बड़ी मुश्किल का काम है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन, आप दोनों प्रश्न पूछ लो।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अगर गोचर भूमि में लगाये गये तो क्या उनको दूसरी जगह भूमि दी जायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राज्य सेवाओं में नियुक्ति संबंधी कानून एवं नियम

६५२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सेवाओं की भर्ती आदि संबंधी कानून एवं नियम

Page No. 29

(श्री भीमसेन)

भारतीय संविधान के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिये ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान की सभी प्रकार की सेवाओं संबंधी कानून व नियम विधान सभा द्वारा अनुमोदित नहीं हैं? अगर हां, तो अभी तक ऐसा न करने का क्या कारण है !

उप-मन्त्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : (१) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत बनाये गये नियम, प्रभावशील होने के पूर्व अथवा पश्चात्, सदन के स्वीकृति सूचक मत के अधीन नहीं हैं।

(२) यह सही है कि राज्य में विभिन्न सेवा संबंधी नियम सदन के स्वीकृति-सूचक मत द्वारा अनुमोदित नहीं है। संविधान के अन्तर्गत, उन्हें उक्त रूपेण स्वीकृत (अनुमोदित) कराना आवश्यक नहीं है।

श्री भीमसेन : हमारे संविधान के आर्टिकिल ३०९ के तहत यह आवश्यक है कि जो सेवाओं के रिक्रूटमेंट के नियम हैं वे लेजिस्लेचर द्वारा पास कराये जायें ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यह आवश्यक नहीं हैं। इसलिए इस सदन से अनुमति नहीं ली गई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं यह चाहूंगा कि इसमें मंत्री महोदय लॉ डिपार्टमेंट की राय लें और फिर सदन को सूचित करें।

श्री परसराम मदेरणा : लॉ डिपार्टमेंट की राय इसमें बहुत स्पष्ट है। हिन्दुस्तान भर में सर्विसेज़ के रिक्रूटमेंट के रूल्स कभी किसी लेजिस्लेचर से अनुमोदित नहीं हुए और न पार्लियामेंट में भी बने हैं और ३०९ के नीचे सर्विसेज़ की कन्डीशन्स रेगुलेट होती हैं पब्लिक सर्विस की। इसलिए न हमने नियम बनाये हैं, इसलिए ३०९ के अन्दर उनको यहां विधान सभा के अन्दर लाना जरूरी नहीं है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई दलील नहीं है कि दूसरी स्टेट्स में नहीं बनाये तो हम भी नहीं बनायें। ३०९ के अन्दर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आर्टीकल ३०९ के अन्दर पॉवर्स डेलीगेट की हुई हैं गवर्नर महोदय को और गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं और जब ऐसा है तो सदन से उनकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है; इसलिए हम यहां पर भी नहीं लाये। दूसरे स्टेट का तो मैंने भाई दी वे हवाला दे दिया है। अगर उनको यहां सदन में लाया गया तो सब लेजिस्लेटिव बिजनेस एक तरफ रखे जा सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या संविधान के तहत ये नियम यदि राज्य विधान सभा द्वारा बना दिये जायें तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सारे नियम रद्द हो जायेंगे? धारा ३०९ के तहत इस विधान सभा को भी पॉवर्स हैं संविधान के तहत कि वह राज्य सेवाओं के नियमों को पारित कर सकती है और संविधान में लिखा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं कि जिस दिन यह विधान सभा पास कर देगी उस दिन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सारे नियम समाप्त हो जायेंगे। इसलिए राज्य सरकार में जो पॉवर्स वैस्ट हैं टैम्पोरेरी तौर पर हैं, लेकिन फाइनल पॉवर्स इस विधान सभा को ही हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की क्या नीति हैं। कितने अर्से तक अपने इन टैम्पोरेरी पॉवर्स को और इस्तेमाल करना चाहती है और कितने अर्से के बाद विधान सभा में सारे नियमों पर स्वीकृति लेना चाहता है ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक राज्य सरकार की नीति यही है कि लेजिस्लेटिव एक्ट्स या उनके अन्तर्गत जो रूल्स बने सर्विसेज के रिक्रूटमेन्ट्स के, उनके लिए सरकार अभी तक विचार नहीं रखती कि उनको सदन में लाया जाय। लेकिन फाइनल तौर पर यह सरकार का फैसला है या नहीं, यह राज्य सरकार की केबीनेट के सामने मैं प्रश्न रख दूंगा और जो अभी स्थिति है उसके अन्तर्गत इन रूल्स की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है और यही प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो विधि मन्त्रीजी ने कहा वह कानूनी स्थिति सही है कि विधानसभा की सेंक्शन लेना जरूरी नहीं है क्योंकि ये टैम्पोरेरी तौर पर पॉवर्स दी गई हैं लेकिन संविधान ने घोषणा की है कि फाइनल पॉवर्स लेजिस्लेचर की हैं और जिस दिन विधानसभा यह बना देगी उस दिन राज्य सरकार के सारे नियम अपने आप रद्द हो जायेंगे। इसलिए विभिन्न सेवाओं में विभिन्न सिद्धांतों का पालन किया गया है। प्रमोशन्स के बारे में अलग रूल्स हैं, रिटक्रूमेन्ट्स के बारे में अलग अलग नियम हैं और डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के अलग नियम हैं। कहीं पर सेन्ट परसेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट है और कहीं पर ६० परसेन्ट है और कहीं पर ४० परसेन्ट है। इसलिए यदि विधान सभा डिस्कशन करे तो उसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी सारे नियमों में आ सकेगी। इसलिए जैसा विधि मन्त्रीजी ने कहा कि राज्य सरकार की केबीनेट के सामने आप इस प्रश्न को रखेंगे तो हम निवेदन करेंगे कि इसको शीघ्रातिशीघ्र रखा जाये और हम यह भी मांग करेंगे कि सारे सेवा नियम इस विधानसभा द्वारा अन्तिम रूप से पास करवाये जायें ताकि टैम्पोरेरी पॉवर्स साल, साल-छः महीने से ऊपर उनका अधिक उपयोग न हो।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री सांवलियाराम।

स्थगित प्रश्न

(२०.८.६४)

भरतपुर–बयाना सड़क पर पुल की मरम्मत

३९९. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(१) क्या भरतपुर से बयाना की तरफ १३ मील पर जो २० मोरा है उसकी चौड़ाई ११ फीट है ?

(२) क्या बस या अन्य गाड़ियां जो उस पुल से गुजरती हैं उनको चौड़ाई कम होने की वजह से कठिनाई रहती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस पुल की पटाव की पट्टियां हर साल टूट जाती हैं ?

(श्री सांवलियाराम)

(४) क्या सरकार इसकी पुल को मजबूत बनाने व चौड़ा करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) भारी वाहनों की वजह से कभी कभी पट्टियां टूट जाती हैं ।

(४) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। मरम्मत की धनराशि से कार्य करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सांवलियाराम : उस रूट पर जो बसें चलती हैं उसमें भीड़ बहुत चलती है और यहां तक कि सवारियां जो बाहर थोड़ा भी हाथ बाहर निकाले होती हैं तो उनके हाथ टूट चुके हैं, इसलिए यह सिर्फ जरूरी नहीं कि उसकी मरम्मत करा दी जाये बल्कि वे चौड़ी कराई जायें और बड़ी मजबूती के साथ उस पुल को बनवाया जाये; तब यह कार्य चल सकेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका यह कहना सही है। इसके लिए एस्टीमेट्स तैयार करवा लिए गये हैं और ३० हजार रुपये का एस्टीमेंट हुआ है, जिसमें वाइडनिंग भी रोड का हो जायेगा और मरम्मत भी हो जायेगी और इसके लिए मैंने इन्जीनियर्स से कह दिया है कि इस काम को जल्दी कराया जाये।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने बताया है कि इतना रुपया दिया है और आपने कहा कि भारी वाहन कभी कभी जाने से ऐसी सड़क हो गई है, भरतपुर-बयाना आने के लिए, क्योंकि एक ही रास्ता है और इस पर सारी ही भारी वाहन चलती हैं और कई बार इस पर एक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं और अभी बयाना में ३२-३५ आदमी मरे थे, बल्कि ऐसी स्थिति है तो अगर यह योजना में नहीं है तो इसके लिए विशेष राशि देकर इसे बनवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

स्थगित प्रश्न

(२१ १० १६६४)

भोपालसागर शुगर मिल्स की जमीन

५०५. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भोपाल सागर शुगर मिल्स के पास कुल कितने एकड़ जमीन है?

(२) यह जमीन किस शर्त पर व किस प्रयोजन के लिए दी गई है? शर्तों की या एग्रीमेन्ट की एक कॉपी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गत तीन वर्षों में मिल ने किस किस जमीन में क्या क्या फसल बोई?

(४) क्या यह जमीन जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी उसी की पूर्ति के लिए

Page No. 32

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

उपयोग में लाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) भोपाल सागर शुगर मिल के पास कलेक्टर, उदयपुर की सूचना के अनुसार १८०६ एकड़ जमीन है ।

(२) जमीन गन्ने की खेती के लिए 'बाप' पर पर दी गई थी । उस समय के एग्रीमेन्ट की नकलें सदन की मेज पर रख दी गई हैं । (६०४ एकड़ बापी पर दी गई थी बाकी मिल ने अपनी ओर से बापी ली)

(३) इसके बारे में कलेक्टरों से सूचना मांगी गई है ।

(४) गन्ने की खेती के अलावा दूसरी काश्त भी की जा रही है क्योंकि पानी की कमी के कारण तथा अन्य कारणों से ऐसा करना जरूरी है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जो मैन प्रश्न है वह प्रश्न नं० ३ है । इसका जवाब अभी तक नहीं आया है; कलेक्टर से सूचना मांगी है । यह प्रश्न मैंने पहली असेम्बली में भी रखा था, उस समय स्थगित हुआ था; फिर प्रश्न रखा तो फिर स्थगित हुआ और अब की बार भी अधूरा ही जवाब है । मैन प्रश्न यह है कि जि[स] काम के लिए जमीन दी गई है उसमें उसका उपयोग नहीं करके दूसरे दूसरे कामों [में] उपयोग में लेते हैं । उसमें दूसरी फसल बो रहे हैं और दूसरी काश्त बारिश की कमी [के] कारण बोते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : बारिश का न[हीं] कहा, पानी की कमी के कारण कहा । इरि[गे]शन में वाटर कम मिलता है, इसलिए खे[ती] नहीं कर पाते हैं गन्ने की और जमीन प[ड़ी] नहीं रहे इसलिए दूसरी खेती करते हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दू[सरी] खेती कितने बीघे में की जाती है, वह ख[ास] आइटम तो प्रश्न नं० २ का है । प्रश्न नं० ३ में यह कहा गया है कि किस किस जम[ीन] में क्या फसल बाई है; जब तक उसका प[ता] नहीं हो तब तक उसका पता नहीं [लग] सकता है । लेकिन वहां पर तो चावलों को खेती होती है क्योंकि चावलों में ज्यादा प्रोफिट रहता है, इसलिये गन्ना नहीं बोते हैं । चावलों में भी पानी चाहिये ज्यादा ।

श्री चन्दनमल वैद : कलेक्टर चित्तौड़ और उदयपुर से सूचना मांगी गई है । इन दोनों से सूचना मिल जायगी तो मैं माननीय सदस्य को पत्र के द्वारा सूचित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी ।

Page No. 33

काश्तकारों को बिजली दौसा,

६६५.श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा):क्या विधुत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि दौसा में बिजली मौजूद है और उसके आस-पास के कुओं पर बिजली दिये जाने के लिए एस्टीमेट भी तैयार हो चुके हैं ? यदि हां, तो दौसा के आस पास के कुओं में बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि दौसा में श्री हरिनारायण ठेकेदार द्वारा बिजली दिलाने के लिए काश्तकारों से प्रति काश्तकार ४७५) रु० सन् १९६२ में वसूल किये गये थे वे काश्तकारों को नहीं लटाये गये हैं और न ही उन्हें बिजली मिली है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां । जिनको कनेक्शन दिया जाना लाभप्रद है उनके एस्टीमेट बन चुके हैं और जांच की जा रही है । उसके बाद उन्हें इच्छित धनराशि जमा कराने के लिए लिखा जावेगा । पैसा जमा कराने पर और सामान की उपलब्धि पर कनेक्शन दे दिया जावेगा ।

(२) इस नाम का दौसा में सन् १९६२ में कोई ठेकेदार नहीं था, अतः कोई प्रश्न शेष नहीं रहता ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : यह लोगों की कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें लिये हुए कितना अरसा हो चुका है और जिन लोगों ने, जयपुर वालों ने बाद में दरख्वास्तें दी हैं उनको देने के क्या कारण हैं ? दूसरे आपकी यह स्कीम थी कि कुओं को पहले दिया जाय; उनको नहीं देते हैं और इन्डस्ट्री को दी जाती है उनके मुकाबले में ।

श्री चन्दनमल बैद : इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को इस बात के लिए निर्देश है कि फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके जो लाइन पर आते हैं उनको जल्दी ही कनेक्शन दिया जाय ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इस विषय में बिजली विभाग के मंत्री ने कहा है और उन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं और करीब ३०–४० आदमियों की दरख्वास्तें आई हैं वे इतने लम्बे अर्से से पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां पर जो इन्चार्ज हैं वे अपने इन्टरेस्ट के व्यक्ति को विशेषता देकर उन लोगों को नहीं देते हैं जिनको कि खेती के लिए चाहिए । इसके बारे में ध्यान आकर्षित भी किया जा चुका है, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया है और न हो उन इन्जीनियर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है ।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे पास में जो एप्लीकेशन्स हैं वे दो पेंडिंग हैं-एक श्री छुज्जूलाल की ५ हॉर्स पॉवर के लिए और दूसरी प्रेसीडेन्ट गोशाला की ५ हॉर्स पॉवर के लिए । बाकी ३ एप्लीकेशन्स जो हैं वे लाइन से बहुत दूर पड़ती हैं । इन दो के एस्टीमेट बनाये गये हैं और जैसे ही सामान उपलब्ध होगा उनको कनेक्शन दे दिया जायगा । बाकी के लिए लाइन दूर से लानी पड़ती है, वह इकोनोमिकल नहीं है; इस वास्ते नहीं दे सकते हैं । दो आदमियों की एप्लीकेशन्स पेंडिंग है उनके लिए निर्देश दे दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके इनको कनेक्शन दे दिया जाय ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। हमने चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी के पास में शिकायतें दी हैं उन पर जो नाम दिये गये हैं उनको नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि केवल ३ दरख्वास्तें उनके पास हैं।

श्री चन्दनमल वैद : पांच।

श्री अध्यक्ष : तीन दूर की हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि ज्यादा दरख्वास्तें हैं उनके पास।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैंने अर्ज किया कि दूसरे लोग ले चुके हैं उसके मुताल्लिक दरख्वास्तें दी गई हैं। चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व मिनिस्टर इन्चार्ज के पास भी वहां के इन्जीनियर द्वारा कनेक्शन नहीं दिये जाने के बारे में शिकायतें की हैं जिसके लिए भी गत सैशन में आश्वासन दिया था कि जांच करायेंगे; तो न तो जांच हुई और न उनको कनेक्शन्स दिये गये हैं।

विद्युत मंत्री(श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य ने यह बात रखी है पहले भी। उसके बाद में मैंने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर को यह कह दिया था कि जांच करा लो, जांच की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। उसके आते ही दे देंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कितना अर्सा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

महिला वैद्यों के लिए सुरक्षित स्थान

६५३. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान आयुर्वेद विभाग में महिला वैद्यों के लिए कोई स्थान सुरक्षित है ? यदि हां, तो कितने ?

(२) राजस्थान में इस समय कितनी वैद्या हैं और वे कहां कहां पोस्टेड हैं ? क्या वैद्याओं की संख्या को बढ़ाने की कोई योजना है ?

(३) क्या जिस प्रकार एलोपेथिक में महिला विभाग है उसी प्रकार आयुर्वेदिक में महिला विभाग है ?

(४) यदि हां, तो कहां कहां और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग में या रिक्त स्थानों पर वांछनीय योग्यता होने पर महिला-वैद्याओं तथा पुरुष वैद्यों को समानरूप से नियुक्ति दी जा सकती है। महिला वैद्याओं के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं हैं।

(२) वर्तमान में राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग में १५ वैद्यायें हैं; वे जहां २ कार्यरत हैं प्रस्तुत सूची में अंकित हैं। महिला वैद्याओं को बढ़ाने की कोई पृथक योजना नही है।

(श्री आयुर्वेद मंत्री)

(३) जी नहीं।

(४) अभी इस प्रकार की योजना आयुर्वेदिक विभाग में स्वीकृत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

तेज सिनेमा घर, अलवर पर बिजली को बकाया

६५८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि तेज सिनेमा घर अलवर के जिम्मे बिजली की बकाया के सरकारी ५८,००० रु० निकलते हैं और आपसी विवाद के कारण जमा नहीं हुऐ हैं ?

(२) यदि हां, तो इस विवाद को तय करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ?

उत्तर

यह सही है कि तेज सिनेमा घर पर सरकारी ५३,६७१)८३ रुपये निकलते थे। फैसला हो चुका है और रकम किश्तों में जमा हो रही है।

ऊपर के जवाब से इस प्रश्न की पूर्ति होती है।

फोरेस्ट नाकों से सम्बन्धित मुकदमे

६५९ श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) रेन्ज चित्तौड़गढ़ के प्रत्येक फोरेस्ट नाके पर गत साल एवं इस साल कितने काश्तकारों के चैक जंगलात जुर्म के इश्यू हुए ?

(२) फोरेस्ट नाका बसी पर कितने मवेशी बकरी-ऊंट जंगलात द्वारा गत साल व इस साल पंचायत के कांजी हाऊस में दाखिल किए गये ? व कितने चैक इश्यू हुए ?

उत्तर

(१) रेंज चित्तौड़गढ़ के अधीनस्थ फोरेस्ट नाकों पर सन् १९६२-६३ में व १९६३-६४ (१-४-६३ से २३-२-६४) में क्रमशः ५०३ व ३८७; कुल ८९० एफ० आई० आर० जारी हुईं। जिनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। ये अपराध ग्रामीण लोगों के हैं। जिनमें विशेषकर काश्तकार ही हैं। जाति या पेशे से अपराधियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(२) फोरेस्ट नाका बसी द्वारा १९६२-६३ में बकरी १४३ मवेशी पंचायत के कांजी हाऊस में दाखिल की गई। इस नाके पर कुल एफ० आई० आर० सन् ६२-६३ में १७ व ६३-६४ में (१-४ ६३ से २३-२-६४) २३ जारी की गई।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये

अभिनन्दन ऑइल मिल, गंगापुर के बॉयलर फटने से मजदूर की मृत्यु पर उसके परिवार को मुआवजा

९६० वैद श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अभिनन्दन ऑइल मिल, गंगापुर जिला सवाई माधोपुर, के मालिक कौन हैं और उनका श्री रिद्धिचन्दजी पालीवाल भूतपूर्व एम० एल० ए० तथा श्री गुलाबचन्द पालीवाल जो गत आम चुनाव में हारे हुए हैं, से क्या संबंध है ?

(२) क्या यह सही है कि गत जनवरी, १९६२ में इस मिल का बॉयलर फटने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इसका चालान ९ माह बाद पेश हुआ ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण था ?

(४) क्या उस मजदूर के परिवार को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(१) मालिक रेवाचन्द पालीवाल हैं। अन्य जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(२) जी हां

(३) जी हां। मामले की तस्दीक करने व मुकदमे के लिए स्वीकृत में समय लगा।

(४) जी नहीं

नई प्रणाली के नाप व तौल के नियमों का उल्लंघन

९६४. श्री सांवलियाराम (रुपवास-सु०) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में नई प्रणाली के नाप व तौल का नियम किस तारीख से लागू किया है ?

(२) क्या यह नियम राजस्थान के सभी जिलों में लागू हो गया है ?

(३) क्या नियम लागू होने की तारीख बाद भी किसी जिले में पुराने तौल व नाप चल रहे हैं ? अगर हां, तो कहां और क्यों ?

(४) नियम का उल्लंघन करने वालों के राजस्थान में विभाग द्वारा कितने चालान किये गये व कितनों को सजा हुई ?

उत्तर

(१) राजस्थान बाट व माप (प्रवर्त्तन) नियम, १९५९, १७ सितम्बर, १९५९ को लागू किये गये, परन्तु राजस्थान बाट व माप (प्रवर्त्तन) अधिनियम, १९५८ को भिन्न भिन्न तारीखों से राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार लागू किया गया :

नई प्रणाली के तौल:—

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर कोटा व बीकानेर जिलों में	१–१०–६० से
बाकी जिलों में :	१–४–६२ से

(श्री उद्योग मंत्री)

नई प्रणाली के लम्बाई के माप:—

समस्त राजस्थान में १-१०-६२ से

नई प्रणाली के तरल पदार्थों के नापने के माप:—

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर जिलों में १-४-६२ से

अलपुर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर, श्री गंगानगर और झालावाड़ १-१०-६२ से

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, झुंझुनू, जैसलमेर, चूरू के जिलों में १-४-६३ से

(२) जी हां।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(४) १०७ चालान किये गये और अभी तक ४५ मामलों में जुर्माने की सजा हुई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रेजीडेन्शियल पर्पजेज के लिए इमारतें तथा उनका अलॉटमेन्ट

१५१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रेज़ीडेन्शियल पर्पज की कितनी इमारतें है, उक्त इमारतों में सार्वजनिक निर्माण विभाग विभाग में कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों को किये गये अलॉटमेंट की प्रतिशत क्या हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि शहर की इमारतों में से ज्यादातर पी० डब्लू० डी० में कार्य करने वाले व इस विभाग के अधिकारी गण व कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही दी जाती रही है ? यदि नहीं, तो ऐसे लोगों को अलॉटमेंट करने का क्या कारण है ?

(३) इन इमारतों को अलॉट करने हेतु क्या कोई नियम बने हुए हैं और क्या इन नियमों के अधीन ही उक्त इमारतें रेज़िडेन्शियल परपज के वास्ते अलॉट की जाती रही हैं ? नियमों की प्रति सदन मेज पर रखी जावे। अगर नियमों के अधीन अलॉटमेंट नहीं किया जाता रहा है, तो फिर इनको किस क्राइटेरिया से दिया गया ?

(४) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि बहुत सी इमारतों के रहने वाले या तो रिटायर हो गये हैं या उनका जयपुर से तबादला हो गया है, फिर भी उन्होंने बिल्डिंग वेकेंट नहीं की है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सहकारी बैंकों को ऋण

१५२. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से लिए जाने वाले ऋण के लिए सरकार को गारन्टी देनी पड़ती है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी लगान एवं ऋण की वसूली सर्व प्रथम करने के कारण समितियां अपने ऋण की अदायगी समय पर नहीं कर पाती है, जिसका समितियों की आर्थिक स्थिति एवं बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता रहा है ?

(४) क्या सहकारी समितियों एवं बैंकों को ऋण लगातार मिलते रहने की प्रणाली को चिरस्थाई रखने के लिए सहकारी बैंकों के ऋण की वसूली को प्रथम अधिकार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को ऋण इसलिए दिया जाता है कि वे अपने सदस्यों को उत्पादन कार्यों के लिये ऋण दे सकें ।

(२) जी हां ।

(३) यह सही नहीं है कि सरकारी लगान एवं ऋण की वसूली में प्राथमिकता होने के कारण सहकारी समिति सरकारी ऋण को अदायगी समय पर नहीं कर पाती है और इसके कारण बैंकों की ऋण क्षमता पर गहरा असर पड़ता है ।

(४) जी नहीं ।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के प्रिफरेंशियल शेयर्स तथा उन पर डिविडेन्ड

१५३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के कितने रुपयों के प्रिफरेंशियल शेयर्स हैं ।

(२) ये शेयर्स किस वर्ष में सर्व प्रथम खरीदे गये और उस वर्ष से लगातार आज तक राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन व्यक्ति उक्त मिल में डाइरेक्टर मनोनीत किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) शेयर्स खरीदने के बाद मिल को किस किस वर्ष में कितना कितना मुनाफा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या यह सही कि सन् ५३ से लगातार आज तक उक्त मिल ने कोई डिविडेन्ड घोषित नहीं किया ? यदि हां, तो राज्य की तरफ से से मनोनीत डाइरेक्टर्स ने डिविडेन्ड घोषित करवाने के लिए क्या २ प्रयत्न किये ? इसकी विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें । यदि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

(५) पिछले मुनाफे पर अब यदि कोई डिविडेन्ड घोषित किया जाय तो क्या राज्य सरकार को वह प्राप्त होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के रु० १२,४७,१००) के प्रिफरेन्स शेयर्स हैं।

(२) ये शेयर्स भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा खरीदे गये थे तथा राजस्थान बनने के बाद में मेयर्स राज्य सरकार को प्राप्त हुए। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत डाइरेक्टर्स की सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(३) वांछित सूची सदन की मेज पर दी गई है।

(४) जी नहीं, कम्पनी ने प्रिफरेन्स शेयर्स पर निम्नलिखित डिविडेण्ड घोषित किए तथा दिये हैं:—

(अ) १९५७–५८ दर ५½ प्रतिशत; ३१ अगस्त, ५० तक रु० ८९, ८२५.३६

(ब) १९६०–६१ दर ५½ प्रतिशत; ३१ अगस्त, ५१ रु० १,८२ ७२४.९९
३१ अगस्त, ५२
तथा ३१ अगस्त, ५३ तक

रु०, २,७२,५५०.३५

राजकीय डाइरेक्टरर्स ने राज्य सरकार को मिल्स की स्थिति के बारे में तथा उन कठिनाइयों के बारे में जो कि मिल्स डिविडेन्ड घोषित करने में महसूस करती थी, के बारे में समय समय पर विस्तृत सूचना दी तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुरूप ही कार्य किया।

(५) ३१ सितम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के बाद जो भी डिविडेन्ड घोषित होगा वह राज्य सरकार को ६.३ प्रतिशत की दर से प्राप्त होगा। इसके पूर्व का डिविडेण्ड राज्य सरकार को इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि १–१०–६२ से राज्य सरकार के प्रिफरेन्स शेयर्स ६.३ प्रतिशत में परिवर्तित कर दिए गये हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योगपतियों को ऋण तथा इम्पोर्ट लाईसेन्स

१५४. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६३–६४ में राज्य में किन किन उद्योगपतियों को ५ हजार से ज्यादा रकम किस किस उद्योग के लिये उधार दी गई ? सूचि सदन की मेज पर रखें।

(२) जिन २ उद्योगपतियों को यह रकम दी गई उनके कहां कहां उद्योग चल रहे हैं ? अब तक उन्होंने कितना उत्पादन किया है ?

Page No. 40

(श्री रघुवीरसिंह ढाबरिया)

(३) जिनको रकम उधार दी गई है क्या उनको किसी चीज के लिए इम्पोर्ट लाइसेन्स भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को किस किस चीज का व कितना कितना ?

(४) क्या यह सही है कि इन्हीं उद्योगपतियों को १९६३ से पहले भी ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कितना और किन २ को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या जिनको इम्पोर्ट लाइसेन्स जिन जिन चीजों का दिया गया था इम्पोर्ट की गई ? अगर की गई हैं, तो कितनी तादाद में किन किन ने की और वे सब किस काम में ली गई ?

उत्तर

(१) चाही गई सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) यह सूचना तालिका के कॉलम नम्बर १ व ५ में क्रमशः वर्णित है।

(३) यह तालिका के कॉलम नम्बर ६ में दिया हुआ है।

(४) इन उद्योगों में से जिनको सन् ६३ से पहिले ऋण दिया गया है यह तालिका के कॉलम नम्बर ७ में दिया हुआ है।

(५) इसकी जानकारी कालम नम्बर ८ में दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर गोटा उद्योग को तांबे के तार का कोटा

१५५. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : (1) Will the Minister for Industries be pleased to State—

(1) Is the Government aware that the Ajmer Gota Industry is diwindling day by by ?

(2) Do the Government supply copper wire quota to proper consumers ?

(3) Will the Government state the names of such old and new consumers alongwith quantity of quota against each, who have been given such quota during the last 3 years in Ajmer District.

(4) Will the Government state the names of actual consumers before 1957.

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) नये व पुराने उपभोक्ताओं की सूची जिन्हें अजमेर जिले में गत तीन वर्षों में तांबे के तार का कोटा दिया है, संलग्न है।

(४) सन् १९५७ से पूर्व, राज्य सरकार को नॉनफैरस मेटल का कोई एलॉटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इस पर कोई कंट्रोल

(श्री उद्योग मंत्री)

नहीं था इसलिए वास्तविक उपभोक्ताओं के नाम का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निम्बाहेड़ा कॉटन फैक्ट्रीज की वर्किंग कैपेसिटी

१५६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-—

(१) निम्बाहेड़ा में कॉटन फैक्ट्रीज़ कितनी हैं और किस किस नाम से हैं ?

(२) १९६३–६४ में कुल कितना कपास इनमें लोढा गया तथा इनकी प्रति-दिन की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है?

(३) १९६३–६४ में कुल कितने दिन में फैक्ट्रीज़ चलीं ?

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा में दो काटन फैक्ट्रीज हैं जिनके नाम निम्न हैं:—

(अ) श्री नारायणदास वासुदेव काटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा।

(ब) श्री जगदीश कॉटन फैक्ट्री एण्ड ऑयल मिल, निम्बाहेड़ा।

(२) १९६३–६४ में कुल ११८३३ क्विन्टल, ६६ कि० ८०० ग्राम कपास लोढा गया। प्रतिदिन की कैपेसिटी निम्न प्रकार है:-

(अ) श्री नारायणदास वासुदेव कॉटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्री ५५६.८६ क० प्र० दिन (१५०० मन)

(ब) जगदीश काटन फेक्ट्री एण्ड आयल मिल, ५६ क्विन्टल (८ घंटे)

(३) १९६३-६४ में फेक्ट्रीज़ निम्न प्रकार चलीं:—

(अ) श्री नारायणदास वासुदेव काटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्री, ६० दिन

(ब) श्री जगदीश काटन फैक्ट्री व ऑयल मिल, ११२ दिन

(१२.१५ म. प.)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मन्त्री को एक स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में वक्तव्य देना था और कुछ स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनाएं हैं; लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि जो माननीय सदस्य इन प्रस्तावों के द्वारा जो बातें कहना चाहते हैं वे अविश्वास के प्रस्ताव के दौरान में वे बातें कह दें ताकि सदन का समय खर्च न हो और इस बहस पर समय ज्यादा लिया जा सके। इसी व्यवस्था के साथ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन-प्रस्ताव के जवाब में स्टेटमेंट देना चाहते थे उनका रिटन

(श्री भैरोंसिंह),

रिप्लाई तो कम से कम पहले दे दें ताकि यदि हम उससे सेटिसफाइड हों तो जबर्दस्ती नो-कॉन्फीडेन्स मोशन में टाइम न लें और दूसरी बातों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी उसका लिखित में उत्तर दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बहुत से प्रश्न एसे हैं कि जो नो-कॉन्फीडेन्स की बहस में फिट नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि वहां पर फिट नहीं होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ चीजें जबरदस्ती फिट करनी पड़ेंगी।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्था पन !

(१२.१७ म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगाराम (राजोरिया)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न याचिकाएं उपस्थित करता हूं:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय को बिजली नहीं मिलने के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(२) पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय में संचार साधनों के अभाव के सम्बन्ध में चार याचिकाये देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(३) पंचायत समिति सिकराय में छोई नदी के भराव में आई करीब २० गांवों की भूमि लगभग ८ वर्ष सेलाब आने के कारण काश्तकारों को लगान में कोई रियायत न दिये जाने के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(४) बन्ध माधोसागर, कालाखो और भण्डागी से निकाली गई नहरों में आई भूमि का मुआवजा न दिये जाने व उस भूमि का लगान न छोड़े जाने के सम्बन्ध में चार याचिकाएं देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम अलसीगढ़, पीपलवास के जंगलों की पैदावार की नीलामी के सम्बन्ध में, १८ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

श्री मांगीलाल रिणवा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत बिलावास, तहसील सोजत की भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत ली गई गोचर भूमि के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रि-मंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार

(१२.२० म. प.)

मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास-प्रस्ताव

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियम १२५ के प्रावधानों के अन्तर्गत हम प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि इस सदन का मत है कि:—

(१) राज्य सरकार खाद्यान्न और जीवनोपयोगी वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए भावों का नियन्त्रण करने में असफल रही है,

(२) राज्य में चारों ओर भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और

(३) प्रशासन में अव्यवस्था और पक्षपात बढ़ता जा रहा है।

अतः यह सदन वर्तमान मंत्री-परिषद में अविश्वास प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, अविश्वास-प्रस्ताव का....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता क्योंकि सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं और यह भली भांति विदित है कि उस पर बहस सदन में २८ अक्टूबर से शुरू होगी और जब विरोधी दल के नेता सदन में बोलने शुरू हो चुके हैं उस समय मुख्य मंत्रीजी की सदन में अनुपस्थिति, मैं समझता हूं न तो उचित कही जा सकती है और न कोई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य मुख्य मंत्रीजी के लिये हो सकता है। वे सदन में बहस को नहीं सुनें और दूसरी जगह पर उपस्थित रहें इस अवसर पर प्रस्ताव आने के बाद मैं समझता हूं जिस जगह भी वे काम कर रहे हो, उनके लिए आवश्यक है कि पहले वे हमारी बात सुनें, विरोधी दल के नेता की बात सुनें, दूसरे दलों के नेताओं की बात सुनें। यदि उनमें सदन को भरोसा नहीं है तो वे कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं और किस स्थिति में कर रहे हैं। इसलिये सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा कि मुख्य मंत्रीजी को यहां उपस्थित रखा जाय। आज जो सदन के सामने अविश्वास का प्रस्ताव है वह किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं है, सुखाड़िया सरकार के खिलाफ है, वे इस मौके पर उपस्थित नहीं हैं तो जाहिर होता है कि वे इसको कितना लाइटली ले रहे हैं और बहुमत के आधार पर जो विरोधी दल कहते हैं उसका कम महत्व मान कर चलते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेज़री बेन्चेज़ को आदेश दिया जाय, मुख्य मंत्रीजी को आपकी तरफ से आदेश दिया जाय कि वे यहां पर मौजूद रहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट बताया गया था कि दिल्ली में एन.डी.सी. की बैठक है, इसलिये इस दिन मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं रह सकेंगे, इसलिये बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के सदस्यों की सलाह से, यह मानते हुए कि २८ तारीख को मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं होंगे, यह तारीख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये रखी गई। इसलिये उनके आज यहां रहने प्रश्न नहीं उठता; और मंत्री यहां हैं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य, श्री सुराणा ने कहा, सामान्य तौर से वह उचित ही है कि सदन के समक्ष जब कभी कोई विशेष प्रस्ताव हो, जैसा कि आज अविश्वास

(श्री अध्यक्ष)

के प्रस्ताव का सम्बन्ध है या कोई भी सामान्य तौर से सदन की जब कार्यवाही चलती हो तो मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रियों को सदन में रखना ही चाहिये। लेकिन जैसा कि अभी सदन को बताया गया मुख्य मंत्रीजी विशेष कार्य से, जो राष्ट्रीय महत्व का है, जयपुर से बाहर हैं, दिल्ली में हैं; मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वे यहां आयेंगे और जो भी बात यहां कही जायगी मंत्रि-मंडल के सम्बन्ध में और स्वयं उनके सम्बन्ध में, उसकी जानकारी करके माननीय सदस्यों को हर तरह से संतोष दिलायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष आज....

श्री रामकिशन (वैर) : जिनमें सदन को अविश्वास है वे यहां हाजिर नहीं हों तो क्या करेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): बात तो सही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : It is another technique of disturbing the speach of the Leader of the Opposition.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कल तो आ जायेंगे साहब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कल आप बोलेंगे तब तक आ जायेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आज हाउस एडजोर्न कर दिया जाय कल तक के लिये। समय और बढ़ जायेगा; घबराते क्यों हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करता था अध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कम से कम मुख्य मंत्रीजी का चित्र रख दिया जाय कुर्सी पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुख्य मंत्रीजी का चित्र आपकी छाती पर मौजूद है; फिर क्या जरूरत है यहां रखने की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति क्षम्य है दा साहब-डेपुटाइज कर रहे हैं; मुझे संतोष है, आप सुनिये।

अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष इस विधान सभा की अवधि में अविश्वास का प्रस्ताव दूसरी बार लाया जा रहा है। जैसा कि भलि-भांति विदित है, कांग्रेस शासन निरंतर स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान में रहा है। इस लम्बे अर्से में कांग्रेस के शासन में जनता को क्या मिला ? स्वतन्त्रता के समय जनता की उम्मीदें, जनता की आशाएं बहुत ऊंची थीं लेकिन उसके बिलकुल बरखिलाफ, आज हम देखते हैं कि कांग्रेस शासन में हमको भूखमरी, जलालत, रिश्वतखोरी और पक्षपात देखने को मिला और इसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और क्या व्यापारी, क्या किसान और क्या मजदूर सभी आज परेशान हैं। मेरे खयाल में यदि कहीं दूसरे देश में इस तरह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का शासन होता तो मंत्रि-मंडल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं आता, किन्तु जनता जनार्दन की नजरों में वह हुकूमत ठुकरा कर जबर्दस्ती अलग कर दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इन कारणों के अतिरिक्त आज शासनारूढ़ दल के अन्दर दिन प्रति दिन हम क्या देखते हैं कि एक बढ़ती हुई भावना ऐसी है कि येन केन प्रकारेण उनकी हुकूमत कायम रह सके, उनकी कुर्सी सदा आबाद रह सके और उनकी हुकूमत को कोई ठेस पहुंचे तो हर तरह से कानूनी या गैर कानूनी रूप से अपनी कुर्सी को बहाल रखने की चेष्टा कर सकें।

इसके अतिरिक्त आज हम कांग्रेस के शासन में यह नजारा देखते हैं कि संविधान के साथ जो यह वर्तमान शासनारूढ़ दल, व वर्तमान हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, विधान को कई बार परिवर्तित किया गया है, १७, १८, १९ बार विधान के अन्दर संशोधन लाये गए, विधान की अक्षुण्णता, विधान की पवित्रता भी आज मेरे ख्याल से कांग्रेस हुकूमत में सुरक्षित हो, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

इसके साथ साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि अन्य देशों की नजीर लेकर धीरे धीरे कांग्रेस इस ओर बढ़ती जा रही है कि यदि हो सके तो विधान को बलाये ताक रख कर इस देश के अन्दर भी गांधीजी का जो सिद्धान्त था उसको भुलाकर एक पार्टी की हुकूमत, वन पार्टी रूल घोषित किया जाय। मेरे ख्याल से आज शासनारूढ़ दल के हाथ में न तो विधान सुरक्षित है और न मैं समझता हूं कि जनतन्त्र ही सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की लोकप्रियता, समस्त देश में एक नजर से देखें तो, खोने के बावजूद जो हथकंडे काम लेकर शासनारूढ़ दल के नाम से सत्ता आपने हाथ में कायम रखना चाहते हैं वह मेरे ख्याल से स्वस्थ जनतन्त्र की परम्पराओं के कतई विपरीत है और इसके फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय, जो भी पार्टियां जनतन्त्र के अन्दर विश्वास रखती हैं, विधान की अक्षुण्णता में विशवस रखती हैं, चाहे जनसंघ हो, चाहे संयुक्त समाजवादी पार्टी हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो, चाहे व्यक्तिगत स्वतन्त्र हों, इस सदन के सदस्य हों, चाहे वे सदन के अन्दर हों, चाहे बाहर होवे आज इस बात को घोषित करने के लिए वे तैयार हैं कि वर्तमान शासन के अन्दर जनता जनार्दन का विश्वास कतई उठ चुका है।

आज, अध्यक्ष महोदय, हम क्या पाते हैं ? यह पवित्र संस्था, जिसने देश को आजाद किया, जिसके अगुआ नेता राष्ट्रपिता के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, इस संस्था के अन्दर आज कौनसे तत्व हैं ? अधिकांश रूप से, मुझे यह कहने में तनिकमात्र पशोपेश नहीं है, आज कांग्रेस संस्था के अन्दर अवसरवादिता का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी तत्व कांग्रेस के अन्दर घुसे हैं जो जन-सेवा करें, यह तो दर किनार रहा लेकिन उनका सिद्धान्त ही एकमात्र यह रह गया—बापू का नाम जपना और पराया माल अपना।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह पुरानी कहावत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज कांग्रेस संस्था के समर्थक कौन हैं? समर्थक वे है जो अनुचित रूप से मुनाफाखोरी करते हैं; जो काला बाजारी करते हैं और जो अनैतिक आचरण करने वाले लोग हैं। वे लोग आज कांग्रेस के अन्दर उच्च पदों पर आसीन हैं, पदारूढ़ हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस में सब ही खराब लोग हैं, किन्तु मेरे ख्याल में एक ऐसी कांग्रेस संस्था हो गई है कि सारे फ्लॉक में ब्लैकशीप हो गई है, और थोड़ी बहुत बेचारी व्हाइटशीप रह गई हैं। शायद ५ प्रतिशत अच्छे लोग भी होंगे तो ५ प्रतिशत अच्छे लोग हैं, उनके मन्त्री महोदय और मन्त्री–मण्डल और वह तत्व, जो कांग्रेस के अन्दर अपने स्वार्थसिद्धि करने के लिए तत्पर हैं, इतनी दूर बिठाते हैं कि शायद उनके काले कारनामे उनकी नजरों में भी नहीं आवें। और कई ऐसे लोग हैं जिनको काले कारनामे दिखते हैं तो उनको वह बात अखरती है और वे कुछ कहते भी हैं तो हमारे मन्त्री मण्डल के माननीय मन्त्रियों के बहरे कानों पर ऐसे शब्द गिरते भी हैं तो कोई भी विचार, कोई भी प्रभाव या उनकी नीति के ऊपर, उनकी निष्ठाओं के ऊपर कोई असर ऐसी बातें, ऐसी नेक सलाहें नहीं रखती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज अविश्वास के रूप में इस सदन के सामने नहीं आया है लेकिन उन निस्सहायों, उन उत्पीड़ितों, उन बेरोजगार हजारों बल्कि चन्द लाखों राजस्थान के लोगों की आह के रूप में आज इस सदन के अन्दर मैं और मेरे दूसरे साथी प्रस्तुत कर रहे हैं और जो मन्त्री मेरे सामने विराजमान हैं वे भली-भांति जानते हैं, उनको अच्छी तरह से यह पता चल चुका है कि आज उनकी साख मिट्टी में मिलती जा रही है, आज उनकी तथाकथित लोकप्रियता खत्म हो रही है और वे केवलमात्र पैसे के बल के ऊपर अपने हाथों में शासन की बागडोर रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष का यह सौभाग्य है कि आज भी इस देश के अन्दर जनतंत्र कायम है। मेरे ख्याल में एशिया में बहुत कम देश होंगे और इस देश के पड़ोसी देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है कि जहां पर जनतंत्र हो। मेरे ख्याल में अगर स्वस्थ और विशुद्ध जनतंत्र देखा जाय तो एशिया भर में जापान ही ऐसा देश है। जापान एक छोटा देश है, लेकिन वह एक महान् देश है, वहां जनतंत्र अवश्य स्थापित है और हमारा देश, एक महान विशाल और महान विस्तृत और एक महान् देश है यहां पर भी जनतंत्र स्थापित है। और मेरे ख्याल में कुछ अर्से तक विशुद्ध रूप से वह जनतंत्र रहा, किन्तु आज हम देख रहे हैं कि निरन्तर एक पार्टी के लगातार शासन के फलस्वरूप वह जनतंत्र धीरे धीरे खतरे के अन्दर आया है।

कहा गया है, अध्यक्ष महोदय कि "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely" जहां पर सत्ता है वहीं पर भ्रष्टाचार होना कुछ न कुछ मात्रा में स्वाभाविक और अनिवार्य है; यह मानव प्रकृति के विपरीत सिद्धान्त नहीं है किन्तु जहां निरन्तर निरंकुश शासन एक लम्बे अर्से तक लगातार स्थित रहता है तो उस शासन के अन्दर भ्रष्टाचार निहित ही नहीं रहता किन्तु भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर पहुंचता है और गगन-चुम्बन करने लगता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय,

Page No. 47

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आज निरन्तर एक बात को हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में कोई सुनवाई नहीं है। आज अगर कोई आन्दोलन के द्वारा चिल्लाता है, पुकार करता है तो वह चिल्लाहट और पुकार भी, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अनुभव है, बहरे कानों के ऊपर पड़ता है और मदान्ध आंखों के सामने वह पुकार आती है और अगर कभी मंत्री महोदय के पास पुकार पहुंचती भी है तो आज की नौकरशाही इस स्थिति के अन्दर है कि मंत्री चाहें तब भी कर्मचारीगण तरह तरह की बाधायें उपस्थित कर, उनके अपने स्वार्थों के हित के लिए, उनके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए मंत्री को बिल्कुल पंगु बना कर कुछ काम नहीं करने देते, जिसके द्वारा कांग्रेस और शासन की प्रतिष्ठा बढ़े या कांग्रेस और शासन के अन्दर विश्वास आवे। ऐसी स्थिति के अन्दर जब सरकार में न तो सुनवाई है और न पुकार का उनके ऊपर कोई असर है तो यह स्वाभाविक है कि वह सरकार कैसी है—वह अन्धी, बहरी और निकम्मी सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक उदाहरण याद आता है, इतिहास का उदाहरण। तीन सौ वर्ष पहले स्वतंत्र मेवाड़ के अन्दर काशी पुत्र बनवीर ने शिशु उदयसिंह, जो मेवाड़ की स्वतंत्रता का द्योतक था, उसकी हत्या करनी चाही। उसी तरह आज जो मंत्री मेरे सामने बैठे हुए हैं वे बनवीर के सदृश और रूपी हैं और शिशु रूपी हमारी डेमोक्रेसी की हत्या करके अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं और उदयसिंह रूपी शिशु को बचाने के लिए पन्नादाई के रूप में राजस्थान की जनता खड़ी हो गई है और स्वार्थी मंत्रियों को कह रही है कि हे मंत्रियो! खबरदार! तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है! विरोधी पक्षों में, विरोधी दलों में मत-मतान्तर हों—यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन मत-मतान्तरों के बावजूद (विराम) आप हंसते हैं! आप मत हंसिये वित्त मंत्री महोदय, मुझे कहने दीजिये। मेरी बात आप सुनिये....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सुनते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मत-मतान्तर पार्टियों में होना स्वाभाविक है और मत-मतान्तर पार्टियों में होना स्वाभाविक है और मत मतान्तर होने के बावजूद भी, आपको शर्म आनी चाहिए इस नजारे को देखते हुए कि सब विरोधी पक्षों के लोग इस बात पर बिल्कुल एक राय हैं कि कांग्रेस का शासन भ्रष्ट है और राजस्थान की सरकार एक सड़ी और रद्दी सरकार है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर भी जनता ने चुना है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कहने दो एडजेक्टिव्ज लगा लगा कर कहने दो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रिगण यह चाहते हैं, इनकी बात यह है कि एक पार्टी सर्वोपरि रूप से रहे....

उस एक पार्टी का प्राबल्य, उसका वैभव, उसकी आर्थिक शक्ति, उसका दमन इस रूप

Page No. 48

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

से इस हद तक जनता के ऊपर हावी हो जाय, जनता के ऊपर छा जाय कि विरोधी पक्ष जैसी कोई वस्तु उनके सामने खड़ी नहीं रह सके और अगर विरोधी पक्ष को कतई रूप से समाप्त कर दिया जाय तो उसके फलस्वरूप केवल मात्र एक तस्वीर उत्पन्न होगी और वह तस्वीर यह है निरंकुश कांग्रेस का शासन इस देश के अन्दर निरंतर रूप से कायम रहे; यह मेरे खयाल में आज कांग्रेस की पोलिसी है, आज कांग्रेस का लक्ष्य है और आज कांग्रेस का ध्येय है ।

विरोधी क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, देखा गया है कि निर्माण कार्य, विकास कार्य सब ठप्प से हैं। षडयन्त्र करने वाले कर्मचारियों को वहां भेजा जाता है। वे कुछ काम नहीं करना चाहते, वे स्वच्छन्द घूमना चाहते है। वे कुछ काम नहीं करने देते और हर एक तरह की बाधायें और रोड़े अटकाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बताइये। मैं राजस्थान सरकार को यह निवेदन कर दूं, आपने कितनी सड़कें बनायीं, बताइये आपने कितने तालाब बनाये ? बताइये आपने कितने स्कूल खोले ? मालपुरा में विकास कार्य आपने क्या किये ? उसका लेखा-जोखा भी मैं जानना चाहता हूं । उसी तरह उदाहरणार्थ मदुआ में आपने क्या काम किये है, इसका भी उत्तर दीजिये ।

(विराम)

अगर आपके पास कोई सच्चा, खरा उत्तर हो तो उत्तर देना। आपका स्वार्थ जहां पर है वहां पर आप तरह तरह के कार्य बनायेंगे। लेकिन वह उत्तर आप, मेरे खयाल से, एक बनावट के रूप में भले ही दें लेकिन वास्तविक रूप से, निष्पक्षता के रूप से आपके मन के अन्दर आप जानते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के व्यवहार जो आप विरोधी पक्ष के साथ कर रहे हैं वह क्या जनतन्त्र है या जनतन्त्र की हत्या है ?

बजट के अन्दर आप लम्बे-चौड़े प्रावधान लाते हैं । आप लाखों रुपये का हर एक पंचायत समिति, हरएक विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर प्रावधान रखते हैं और वस्तु-स्थिति यह है कि यह प्रावधान रखने के बावजूद कोड़ियें खर्च करके आपका समय व्यतीत करते हैं। आप कहते हैं एस्टीमेट नहीं बने, सर्टीफिकेट ऑफ एक्प्रूल नहीं आये, ग्रान्ट लेप्स हो गई; फलां हो गया, यह हो गया, वह हो गया। कहने को तो सौ बातें आप कह सकते हैं। थोड़ा बहुत शासन का अनुभव मुझे भी है। कहने के नाम से तो आप खूबसूरती से कहें और बदसूरती से कहें । आप आपकी मां को मां कह सकते हैं और यदि आपके बाप की बहू कहें तो बात तो वह की वही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपकी सौतेली मां भी हो सकती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अभी कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष मेरे क्षेत्र में दौरा करने आये। उन्होंने कहा, खुला प्रचार करो कांग्रेस का, कांग्रेस को वोट दो और लो स्कूल। कांग्रेस को वोट दो और सड़क लो, कांग्रेस को वोट दो और तालाब लो और कांग्रेस को वोट दो और कुओं के लिए, बैलों के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लिए, बीज के लिए तकावी इत्यादि लो और अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं करोगे तो मर्जी तुम्हारी; लेकिन आज कांग्रेस का तुम्हारे ऊपर शासन है इस कारण तुम्हारे क्षेत्र में विकास कार्य बिलकुल ठप्प कर दिये जायेंगे। तुमने चुन कर लक्ष्मणसिंह को विधान सभा में भेजा है उसके पास जाओ। तुम्हारी सेवा वह करता रहा है या भाड़ झोंकता रहा है। यहां मैं खड़ा रह कर या बैठा रह कर भाड़ ही झोंकता हूं।।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री गृह) : माननीय सदस्य का सम्मान है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रति सम्मान है। ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्री कह रहे हैं, उसकी मैं कद्र करता हूं। लेकिन मैंने सुना, है वही मैं कहता हूं। मुझे झूठ बोलने का शोक नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपका शौक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : १२ हाथ काट लिये और १३ मिलाकर कहने की बात हो कहने की, तो नहीं कह सकता। न मुझे पचास वर्ष ही जीना भी है और न झूठ बोलना है। मैंने सुना वही कहा है, अध्यक्ष महोदय।

इसी तरह से क्या सलूम्बर, क्या फलासिया क्या कोटड़ा, क्या लसाड़िया, क्या डूंगरपुर यहां की सब जनता को, मानो सब जगत में मैं व्याप्त हूं, वहां पर कर्मचारीगण हैं वे यह बात कहते हैं, जाओ महारावल के पास, वह तुम्हारा सब काम करायेगा, तुमने उनको वोट दिया है। क्या सब ही जगह मुझे वोट दिया है ? यह मेरे ख्याल में एक प्रचार है, मेरे ख्याल में जनता का एक मखौल है और मेरे ख्याल से इसकी जितनी भी भर्त्सना या निन्दा की जाय सिद्धान्त के ऊसूल पर, उतनी ही कम है। यह तो आपकी ही तस्वीर है कि जहां आप पर्सोनेलिटी कल्ट में विलीव करते हैं, आप पर्सोनेलिटी कल्ट में विश्वास करते हैं वहां जनतन्त्र को कायम नहीं रख सकते। आप दोनों हाथों में लड्डू रखें तो आपकी मर्जी, लेकिन पर्सोनेलिटी कल्ट आपके दिमाग में जमा हुआ है, तभी आप ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा किस्सा अभी हुआ है वह, मैं आपको निवेदन कर दूं। वह बेगूं पंचायत का किस्सा है। बेगूं पंचायत के सरपंच है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्ति पर आक्षेप करना अच्छा नहीं है लेकिन एक उप-मंत्री इसी राजस्थान केबिनेट के, उस सरपंच के पास जाकर उन्होंने बार बार कहा कि तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम पर कोईन कोई आफत या आपति आवेगी। जब उनने यह देखा कि वह कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होता है तो येन केन प्रकारेण यह आधार लाये कि इस पंचायत को भंग कर दिया जाय। वह बेचारा सरपंच खर्चा करके हाईकोर्ट में गया, वहां हाईकोर्ट में उप-मंत्री ने अपनी ओर से एफीडेविट पेश किया और उनका परिणाम अन्ततोगत्वा यह हुआ कि राजस्थान

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

सरकार ने जो भी निर्णय लिया वह अवैध है और पंचायत को भंग न किय जाय।

(विराम)

यह तो आपका इन्साफ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मंत्री कौन हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं अलग में कह दूंगा। वे मंत्री अपने सामने बैठते हैं। आज तो नहीं हैं।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जनता के अभाव अभियोगों को लेकर चूरू कलेक्टर के सामने गये बताते हैं। कलेक्टर ने कुछ सुने कुछ नहीं सुने। जब जनता के अन्दर बढ़ता हुआ रोष देखा, जब जनता का संगठन उन्होंने देखा तो कलेक्टर महोदय ने दब कर या डर कर या चाहे किसी कारण से बीकानेर से जाने वाले माननीय सदस्य को जेल में बन्द कर दिया। यह तो आपकी स्वस्थ जनतन्त्र की प्रणाली है और इसकी महिमा और गरिम कितनी भी गायी जाय तो मेरे खयाल में एक शास्त्र और पुराण बन जाय। यह, अध्यक्ष महोदय, आपके सन्मुख स्पष्ट प्रमाण है कि विरोधी पक्ष को यह कांग्रेस की सत्ता कुचलना चाहती है और मैं तो समझता हूँ अन्ततोगत्वा, कहावत मशहूर है कि "खाड़ खनै जो और को ताको कूप तैयार"। वह दिन दूर नहीं है। अब कृष्ण रूपी जनता कांग्रेस रूपी कंस को समाप्त करने के लिये आज राजस्थान में अग्रसर और तत्पर है।

अध्यक्ष महोदय, गत साल भर में तीन उप-चुनाव हुए। एक लोक सभा का उप-चुनाव और दो विधान सभाई उप चुनाव। सबसे पहला उप चुनाव विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र महुआ में हुआ, वहां पर ऐसा मालूम देता था कि यह चुनाव नहीं है, यह चुनाव का मखौल है। शासनरूढ़ दल के पास करीब ७५-८० जीप्स मोटर ट्रक्स सब आये। विरोधी पक्ष के पास मर झगड़ कर मुश्किल से बीस का भी साधन नहीं हो सका। उसके उपरान्त विरोधी पक्ष को महुआ के पम्प से पेट्रोल देना भी बन्द कर दिया गया और कई हजार वरकर्स यू. पी. से और अन्य राजस्थान के क्षेत्र से आये उनको मैंने मेरी आंखों से देखा कि सैकड़ों की तादाद में टोडा भीम नामक एक मुकाम है वहां पर वे लड्डू और पूड़ी खा रहे थे और जनता, जिसको सूखी रोटी तक नहीं मिलती है वहां उन लोगों को दूकानों में और पैड़ों की छाया में आराम से बैठ कर लड्डू और पूड़ी खाते देखा था और जनता तरसती थी। यह समाजवाद है ! यह आपका समाजवाद नहीं है; यह तो भ्रष्ट अधिनायकवाद है जो आपको ले डूबेगा।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : आप क्या खा रहे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दूसरा उदाहरण मैं, अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन करूंगा। भीलवाड़ा का उप-चुनाव लोक सभाई उप चुनाव था। आप जब वहां पधारे ये दल बल सहित, मुख्य मंत्रीजी सहित, तो आपने वहां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का वातावरण देखा, आपने व्यापारियों का रोष से भरा हुआ वातावरण देखा। आपने कई प्रकार की मोहिनी जालें उन पर डालीं, लेकिन जब आपको यह दिखने लगा कि ये मोहिनी जालें, इनका प्रयोग करके भी यह पुरानी चीज हो गई और जब इससे काम नहीं चलेगा तो आपने एक सिद्धान्तहीनता का पैमाना ऐसा बताया कि फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, जो कुछ ही दिन पूर्व आपने इस सदन में पारित किया था, उसे आपने एक दम भंग कर दिया और उसके उपरान्त भीलवाड़ा से उदयपुर जो रूट है, जो रूट नाथद्वारा, कांकरोली, गंगापुर होकर उदयपुर जाता है उसके सम्बन्ध में भी तत्कालीन आपने आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीयकरण इस रूट का नहीं होगा। गंगापुर में जल की योजना तत्काल आपने एक रात के अन्दर प्रारम्भ कर दी। आसींद और मांडल के क्षेत्रों में, यह मैं मानूंगा कि वहां सूखा पड़ा था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे थे जो दुष्काल ग्रस्थ थे और वहां की स्थिति मांडल और आसींद से बहुत ज्यादा भयंकर थी और खराब थी। ऐसी स्थिति में चुनाव के हेतु मांडल और आसींद में १५ अप्रेल से ३० मई के दर्मियान आपने ट्रकों के ट्रक अन्न के, ट्रकों के ट्रक फोडरघास के और ट्रकों के ट्रक हमारे यहां जो घास उत्पन्न होता है, वहां भेजा और यह प्रचार किया कि आज बही राज है, कांग्रेस का राज्य है; अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो भूखे मरना पड़ेगा, यह सब व्यवस्था बन्द कर दी जावेगी इसलिए कांग्रेस को वोट देना तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह किसने कहा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कांग्रेस संस्था के प्रचारकों ने यह कहा।

अगर अध्यक्ष महोदय, सरकार निष्पक्ष रूप से इसकी छानबीन करेगी कि गत १५ अप्रेल और ३० मई के दर्मियान भीलवाड़ा क्षेत्र और खास कर आसींद और मांडल की तहसीलों में कितना खर्चा हुआ और उसी के अनुपात के अनुसार अन्य क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उदाहरणार्थ कितना खर्च हुआ तो आपको यह स्पष्ट हो जयगा कि कहां तक मेरा कहना ठीक है। यह इलेक्शनियरिंग कम्पेन है। २० हजार मजदूर उस वक्त सड़कों पर काम करते थे। ६ महीने के बच्चे का मास्टर रोल में नाम था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर वृद्ध लोग थे बहुत, तो भी उनका मस्टर रोल पर नाम था। यह बुरी बात हो, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन यह परवरिश ऐसी थी कि अन्य क्षेत्रों में जहां भयंकर स्थिति थी अकाल के कारण वहां लोगों को अधिक मजदूरी की आवश्यकता थी, उन क्षेत्रों में न देकर अपने स्वार्थ हेतु उस क्षेत्र में यह अपनानी पड़ी और लानी पड़ी और बीसियों आपके कांग्रेस के कार्यकर्त्ता, मेट और सुपरवाइज़र के रूप में थे, जिनको आपने उन मजदूरों के पास रखा ताकि विरोध पक्ष के लोगों को सम्पर्क स्थापित करने का मौका प्राप्त न हो। मैंने कुचेष्टा की कि मैं उनसे सम्पर्क स्थापित करूं तो मेरा स्वागत धूल और पत्थरों से हुआ। यह जनतन्त्र का परिणाम है,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ये सब हथकंडे आप अपना सकते हैं। लेकिन इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस अपव्यय से खर्च करें तो मेरे खयाल से यह जनतन्त्र नहीं है। यह जनतन्त्र के विपरीत एक अधिनायकवादी कदम है। कांग्रेस प्रत्याशी जो जिला प्रमुख हैं, जिला प्रमुख होने के बावजूद, जिला प्रमुख का कार्य-काल समाप्त नहीं होने के बावजूद भी उनको मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का प्रत्याशी बनाया गया। आप यह कर सकते हैं। लेकिन आपकी यह स्वस्थ परम्परा की चीज नहीं है। इसके उपरान्त वे जिला प्रमुख हैं। जहां तक मेरी जानकारी है सज्जन पुरुष होंगे, मुझे उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा वे श्री माणिक्यलालजी वर्मा के जंवाई हैं, दामाद हैं। तथाकथित लोक-नायक कहलाने वाले श्री माणिक्यलाल वर्मा १५ साल तक निरन्तर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उनके साले महोदय इस विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, उनकी पुत्री जिला परिषद् की सदस्या और जमाई जो जिला प्रमुख है उनको एम. पी. बनाया गया है। यह निष्पक्षता है या भाई-भतीजावाद है, स्वयं आप इस सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जनतन्त्र है। आपके रिश्तेदार भी तो हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके दामाद एम. पी. हैं या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे दामाद की ऐसी स्थिति है या नहीं, उस सम्बन्ध में तो मैं नहीं कहूंगा। मेरी बात है उसके सिवाय उसको कोट करना........

श्री चन्दनमल वैद : जयपुर महाराजा के घराने की बात कहिये ना।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी पैतृक स्थिति में बता दीजिये।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): मैं सुना देता हूं, आपकी क्या स्थिति है ? मेरे से सुनिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ के उप-चुनाव के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब हनुमानगढ़ का उप-चुनाव होने जा रहा था....

(१. म० प०)

उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने एक एलान किया और उस एलान में वहां पर उन्होंने यह कहा कि हनुमानगढ़ में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यदि उनको चुनावों में विजयी बनावेंगे तो मन्त्रिमण्डल में आवेंगे। मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के विपरीत है। ऐसा कह कर कि विजयी कांग्रेस के प्रत्याशी को मन्त्रिमण्डल में लिया जावेगा, एक तरह का मतदाताओं के लिए इन्ड्यूसमेंट देना है और यह भी एक भ्रष्ट और कूटनीति है, इसको कहने में मुझे कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो माननीय सदस्य हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए वे भी पहले राज्य सभा के सदस्य थे, इसलिए ऐसा क्या कारण था कि इस तरह से ताबड़तोड़ कोशिश उनको विधान सभा के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सदस्य बनाने के लिए की गई और राज्य सभा से उनको पृथक किया जावे ? यह तो मेरे दिमाग के बाहर की बात है; लेकिन आपने यह किया है। आप मेरे से विशेष बुद्धि रखते हैं। आप कुछ विचार करें, वह आपको अधिकार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अधिकार था लेकिन आपको नहीं करना चाहिये था। सिद्धान्तः इसमें दो बातें नहीं हैं। ऐसा इलेक्शन तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक एम० पी० था उसको एम० एल० ए० के लिए खड़ा किया जाय और उस पर इतना पैसा खर्च किया इसको सदन देखे। वहां पर १७५ जीप-मोटरें दौड़ रही थीं और ८६ पोलिंग स्टेशन्स थे। अगर हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन देखा जावे तो दो दो वॉलन्टियर्स भी हो तो भी काफी लोग थे और फिर आप वहां पर सजावट को देखें तो आपको मालूम होगा कि एक चक्रव्यूह रचा गया था-हर एक मन्त्री के पास एक एक पुलिस का कॉन्सटेबल और जहां पर मन्त्री गये वहां पर पुलिसमैन उनके साथ थे, मानों विरोधी दल उनकी हत्या ही कर रहा हो।

मुझे एक नजीर याद आती है कि मेरे खिलाफ चुनावों के लिए जो सज्जन कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे वे भोगीलालजी पंड्या थे। जिस समय वे कहीं पर भी भाषण देते थे उस समय उनके पीछे एक बोडीगार्ड ३०३ की राइफल लेकर खड़ा रहता था और फिर वे वहां पर भाषण देते थे ! आप चाहे राजस्थान में जावें चाहे भुवनेश्वर में जावें आप अपने साथ पुलिस स्क्वेड रखते हैं। आप जनतन्त्र के मन्त्री हैं। समझ में नहीं आता कि आपको पुलिस स्क्वेड की क्या आवश्यकता है ? मैं भी शासक था। मगर मैंने स्वप्न में भी जब कभी कहीं बाहर जाता तो पुलिस स्क्वेड की आवश्यकता नहीं थी। आज मन्त्रियों के लिए खास रिज़र्वेशन और डाक बंगले और न जाने क्या क्या होता है। इसके अलावा ...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह समाजवाद है !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ भी है वह है। मैं तो कहूँगा कि यह कौतुकवाद है।

एक माननीय सदस्य : भोगीलालजी पंड्या जिन्होंने आपको दो बार हराया था....

श्री जयनारायण सालोदिया : उनकी कुर्सी के पिन लग रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह से चुनावों में सरकारी कर्मचारियों को ले जाना और पुलिस स्क्वेड को ले जाना उचित नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हुए, उसमें जब कभी वे चुनावों के लिए दौरे पर गये तो चाहे एटली हो, चाहे विल्सन हो चाहे सर एलेग्ज़ेन्डर होम हो, अगर वे चुनाव के सम्बन्ध में प्रचार करते तो निजी मोटर में बैठते हैं और अधिकांश रूप में उनकी मोटर भी उनकी धर्मपत्नि ही चलाया करती हैं और एक व्यक्ति जनता जनार्दन के दरबार में घूम कर अपना प्रचार करता है। वह सरकारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चीजों का उपयोग नहीं करता। उसके विपरीत यहां आपके शासन की धौंस में, शासन के जोम में आकर पुलिस कर्मचारियों को और दूसरे लोगों को हमारे यहां के मन्त्री साथ ले जाते हैं और राजकीय मोटरों का उपयोग करते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि भीलवाड़ा में मैंने यह भी देखा कि सरकारी मोटरों की रेड प्लेट (redprate) के नम्बर खोल कर दूसरे नम्बर लगा कर यूज़ किया गया। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, कि इस हनुमानगढ़ के चुनावों में जहां तक मेरी जानकारी है आपने नम्बर प्लेट भी चैन्ज किये, लेकिन यह बात साबित कैसे हो? मुझे खास तौर से इसकी मालूम तब पड़ी जब आपके ड्राइवरों ने कहा कि ये राजस्थान मोटर विभाग की मोटरें हैं, इनके नम्बर प्लेट चैन्ज हुए हैं।

कहां तो आपके साधन और कहां हरिराम के साधन! हरिराम ने मुश्किल से दौड़ धूप करके, मर-पच कर २० साधन इकट्ठे किये, वहां आपकी १७५ गाड़ियां दौड़ रही थीं। इसके विपरीत अगर आपने किसी जीप को देख लिया जिस पर रेड प्लेट हो और जिस पर जयपुर लिखा हो तो आप, आसमान टूट गया हो ऐसी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि किस प्रकार अपने प्रिविलेजेज़ का दुरुपयोग करते हैं। माना कि एक जीप जिसकी रेड प्लेट है वह वहां पर आती है और आपकी यह भावना है कि कोई गाड़ी हमारे पास नहीं रहे, तो आप इसके लिए भी कानून बना दें। बहुत से भूतपूर्व राजाओं के पास एक ही गाड़ी है और उस पर रेड प्लेट लगता है तो वे लोग तो उसी गाड़ी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेचारों के पास कोई दूसरी जीप हो तो इस्तेमाल करें। आप उसके २० के मुकाबले में १७५ जीपें लाते हैं और लाखों रुपया पानी की तरह से बहाते हैं तो ऐसी हालत में जब आपको दोषी कहें तो आप तरह तरह की बोखलाहट और बकवास करते हैं।

मेरे ख्याल से आप जनतन्त्र के हामी हो; इस बात को मैं महसूस नहीं करता। यह चुनाव हनुमानगढ़ का हुआ, वह हनुमानगढ़ का चुनाव नहीं था यह तो तबाही और बदतमीजी थी। आपने वहां पर यह भी आश्वासन दिया कि कच्ची बस्तियों वालों के मकान बनाये थे उनको बदस्तूर रखेंगे। आपने रोडवेज़ के लिये आश्वासन दिया कि वहां पर रूट्स का नेशनलाइजेशन नहीं होगा। आपने यह भी आश्वासन दिया कि वहां बाढ़ का पानी नहीं बढ़ने पावेगा और आपने जो संयुक्त मोर्चे का उम्मीदवार हरिराम था उसको आपने क्या धन बख्शीश किया कि आपने उनकी खेती में जो चावल थे उनको पानी देना बन्द करके उसकी खेती बरबाद कर दी।

एक माननीय सदस्य : वह जायज़ था या नाजायज़?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्रय विक्रय संघ के सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी चर्चायें हुईं। उस सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे क्रय विक्रय संघ के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त है। लेकिन इस क्रय विक्रय संघ के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के मन में शंकाएं हैं और उनका यह कहना है कि उसमें कई अनियमितताएं हुई हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार गुड़ आया, यू० पी० से आया, कितना आया, कहां से आया, किस भाग से आया और यहां पर आकर वितरण-व्यवस्था उसकी क्या हुई, किस भाव से उसे बेचा गया और क्या समाजवादी समाज में क्रय विक्रय संघ को समस्त राजस्थान के लिए गुड़-वितरण करने के लिए मोनोपोली दी ? अगर यह ठीक है तो यह समाजवादी सरकार नहीं है यह तो कोटा, लाइसेंन्स और परमिट सरकार है और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, क्रय विक्रय संघ किस हद तक बरि-उल्ल जुम्मा है, यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु सदन के माननीय सदस्य जिनकी जान-कारी मुझसे विशेष है वे इस सम्बन्ध में और भी विशेष प्रकाश डालेंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह ऐसा मुद्दा है जो काबिल समायत अदालत है जिसकी निष्पक्ष रूप से छानबीन होनी चाहिये।

आपमें यह कमी है और इसको मैं बहुत महसूस करता हूँ कि आप अपने आदमी को हमेशा शील्ड करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। आप कोई न कोई बहाना करके, 'beating about the bush' करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं।

मेरे ख्याल में यह आपकी प्रतिष्ठा की खिलाफत है, आप एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, शासनारूढ़ दल हैं, शासन के शौख को, निष्पक्षता के शौख को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिये कि इस मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन करवायें तत्पश्चात आप जांच निष्पक्ष रूप से करें और अदालती जांच, मैं तो चाहूंगा कि अदालत के द्वारा इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार विरोधी पक्ष की भावनाओं का आदर करते हुए कोई न कोई ठोस कदम उठायेगी, जिसके द्वारा हम कह सकें कि सर-कार ने ऐसा काम किया कि उसमें आलोचना के रूप में हमें कहने को विशेष गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि यह क्रय विक्रय संघ के गुड़ की समस्या है मैं इतना ही निवेदन जरूर करूंगा कि इस संघ द्वारा बेचा जाने वाला गुड़ काला, रद्दी है और उसमें दुर्गन्ध भी आती है और उसकी कीमत ८८ रुपया प्रति क्विन्टल है और व्यापारियों द्वारा जो स्वच्छ सफेद गुड़ बेचा जाता है उसका भाव ६८), ७०) रुपया प्रति क्विन्टल है। इसमें मुनाफाखोरी भी है और २४ घन्टों में लाखों रुपया कोई कमा सके तो यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है; यह सहकारिता नहीं, सह-कारी आन्दोलन नहीं, बल्कि सहकारी आन्दो-लन के विपरीत ऐसी चीज है जिसकी मैं निन्दा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि सरकार जिस वस्तु का कन्ट्रोल करती है, जिस वस्तु को अपने कन्ट्रोल में लेती है चाहे वह स्वर्ण हो, चाहे वह अन्न हो, चाहे वह शक्कर हो, कन्ट्रोल में लेते ही वह चीज लुप्त हो जाती है व काला बाजार उसमें हो जाता है, कई तरह के भ्रष्टाचार हो जाते हैं, यही बात गुड़ की है जो क्रय विक्रय संघ द्वारा खरीदा गया और खरीदने के पश्चात् जनता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को गुड़ बेच कर जनता की सेवा कय विक्रय संघ कर रहा है वह भी ऐसा नजारा है जो सर्व साधारण के सामने आता है और आंखों में आकर अखरता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि सर्विसेज़ में भी काफी ढिलाई है, सर्विसेज़ में डिस्पोज़ल जैसी कोई वस्तु नहीं है और पॉवर ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ दी वर्क जैसी कोई वस्तु नहीं है। अगर पॉवर ऑफ डिस्पोज़ल किसी व्यक्ति में ज्यादा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। पर आज आपके यहां ऐसा न किया जाकर यही होता है :

"अन्धेर नगरी अनबूझ राजा,

टके सेर भाजी टके सेर खाजा।"

आज भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, केवल व्याप्त ही नहीं बल्कि प्रामोशन्स, फिक्सेशन्स और ट्रान्सफर्स में यह एक बहुत बड़ा काम करता है। छोटे कर्मचारियों को साढ़े आठ बजे से ६ बजे तक राज्य सेवाओं के लिए घर छोड़ कर रोजमर्रा जाना पड़ता है, कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी सोच सकता है कि एक कर्मचारी जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, वह गृहस्थाश्रम की आवश्यकताएं कब पूरी कर सकता है, वह बाजार की खरीददारी कब कर सकता है ? दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के ऑफिस अवर्स किये हों, जैसे कि यहां इस सरकार ने कायम किये हैं। मेरे खयाल से शायद दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है।

आज यह भी देखा जाता है कि जो सरकार के पुराने पिट्ठू हैं उन लोगों को एक्स्टेन्शन देकर प्रशासन पर हावी रखा जाता है ताकि मन्त्रि-मण्डल की मर्जी है उसकी पाबन्दी होती रहे। जो होनहार लोग हैं, जिनके प्रोमोशन्स ड्यू हैं, उनके प्रोमोशन्स को ब्लॉक किया जाता है। कई अफसर ऐसे हैं जो दस-दस, बारह-बारह वर्ष से एक ही स्थान पर हैं। बाज-बाज तो १५-१५, १६-१६ साल से हैं, उनके तबादले नहीं हुए और कई ऐसे अफसर हैं जिन बेचारों के एक साल में तीन तीन तबादले होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर जिले में जो फ्लड्स आये, उनसे जो वहां संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, उस सम्बन्ध में कल निवेदन कर चुका हूं, लेकिन उसी प्रश्न में मैं आपकी आज्ञा से कुछ और कहना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है मैं निवेदन करता हूं। तारीख २९-९-६४ को हनुमानगढ़ के रेस्ट हाउस में मुख्य मन्त्री फ्लड विक्टिम्स कुछ किसानों से जो बाढ़ पीड़ित थे, उनसे मिले। किसानों ने मुख्य मन्त्री के सामने शिकायत की कि मरकंडा नामक डैम टूट गया। मुख्य मन्त्री ने यह पूछा बाढ़ पीड़ितों से और उनके चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन जो वहां पर थे उनसे कि यह पानी जो मरकंडा डैम टूटने से बाहर निकलेगा वह कहां जायगा ? चीफ इंजीनियर इर्रिगेशन जो मौजूद थे उन्होंने मुख्य मन्त्री को यह कहा बताते हैं कि यह पानी आकर नुकसान नहीं करेगा और इसको तलवाड़ साइफन में ड्रेन करके राजस्थान केनाल में बहा दिया जायगा। काश्तकारों ने उस पर फिर मुख्य मन्त्री को निवेदन किया कि अगर मान लिया जाय कि वह पानी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आ गया तो क्या होगा ? तो मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि अगस्त्य मुनि के समान वे एक घूंट में पानी पी जायेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कल इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई थी । आपने भी कल बहस में हिस्सा लिया था । मैंने जवाब भी दिया तब आप चले गये थे । इस समस्या का मैंने कल स्पेसिफिकली जवाब दिया था । केसरीसिंहजी ने यह सवाल उठाया था ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : आपने जो फरमाया वह गलत है । जो आदमी चीफ इन्जीनियर साहब के साथ मौजूद थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि सही बात है, ऐसा कहा था । हरिसिंहजी नहीं थे रामनारायणजी थे, कर्नल हुकुमसिंहजी वगैरह सब मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाय । आपने कहा वह गलत कहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कर्नल साहब थे, मैं भी वहां था ।

श्री केसरीसिंह : मैं गलत कहता हूं तो साबित किया जाय; नहीं तो मैं साबित करता हूं कि आप फरमा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के अनुसार और मेरी समझ के अनुसार अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में भी चाहे जो कुछ कह सकते हो और मुझे खेद है कि मैं कल यहां पर था नहीं । आपने जो कुछ कहा उसके स्पष्टीकरण के रूप से पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने जो कहा वह तथ्यहीन बात थी । आज जो किसान आये हैं उन्होंने अवगत कराया । अविश्वास के फलस्वरूप यह सरकार खत्म ही होगी लेकिन मान लीजिये यह सरकार रही, जो भी सरकार रहे तो उस सरकार के लिए जो कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं उस संबंध में जो भी हो विचार करें ।

इस संबंध में सुना गया है कि ३० तारीख को जो ओट्टू नाम का डैम पंजाब में है उसके अन्दर पानी इकट्ठा हो गया है । वह पानी कहां जायगा इसका पता सरकार को होना चाहिए, लेकिन जहां तक किसानों की जानकारी है वह जमीन के संबंध में, ऊंची-नीचा के संबंध में होता है वह मेरे खयाल से बड़े से बड़े इंजनीयरों को भी नहीं है और आखिरकार बड़े से बड़े इंजिनियर जो टैक्नीशियन्स हैं उन्हें भी जानकारी तो किसानों और वहां के रहने वाले लोगों से प्राप्त होती है ।

तो मेरा निवेदन है कि करनीजी आज है केनाल । वहां पर अगर यह पानी जाय और वहां पर साइफन लगाएं इस समस्या को आप निपष्क्ष रूप से पूर्णतया एग्जामिन करें ।

इसके साथ साथ ६ वर्षों से लगातार किसानों को आश्वासन देते आ रहे हैं कि वहां के किसानों को तसल्ली रखनी चाहिए, उनकी आपत्तियां दूर कर दी जायेंगी; तो वे किसान कौन से सुनहरे दिवस की प्रतीक्षा करेगा कि वह उगेगा और उनकी आपत्तियां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और आफतें खत्म होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार माने या न माने, ४–५ एम. एल. एज़. की एक कमेटी कायम होनी चाहिए जो जाकर वहां पर मौके पर जन साधारण से संम्पर्क स्थापित करे और निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस हद तक इंजीनियरों का अभिमत है वह ठीक है और इंजिनियरों से भी बात करके और सरकार कोई न कोई ऐसा निर्णय ले कि जिसके द्वारा इन लोगों की आफतें दूर हो सकें।

जहां तक मैंने सुना है वहां इंजीनीयर इर्रिगेशन के हैं वे आश्वासन दे चुके हैं, उनके आश्वासन देने के उपरांत भी मुख्यमंत्री ने उन इंजीनियर से कोई एक्सप्लेनेशन या कोई जवाब नहीं मांगा कि उनके कहने के बावजूद भी पानी १३ हजार क्यूसेक्स या कितना और बढ़ गया और मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि अगर ता० ३० को यह ओटू बांध का पानी आया तो बहुत सी जमीनें और पानी के अन्दर गर्क हो कर दलदल हो जायगी और किसानों का बड़ा भारी नुकसान होगा। जो आश्वासन अभी मुख्यमंत्री ने दिए थे उन आश्वासनों के फलस्वरूप किसानों ने पटसन और सरसों का बीज मंहगे भाव में खरीदा और विजयनगर से अनूपगढ़ में यह बीज बोया। आपके कहने के कारण वे लोग बीज बोयें और लोगों का बड़ा भारी नुकसान हो, मेरे ख्याल से अगर यह विश्वासघात कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी जानकारी अपरिपूर्ण है, ऐसी हालत में किसानों के हितों से मखौल की जा रही है, वह सर्वथा अनुचित है। सरकार की किसान के प्रति जो नीति है वह एक कठोर और क्रूर नीति और भावना की है। जो किसान हमारे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है उस पर इस सरकार ने आज इतने टैक्सेज़ लगाए हैं कि मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कहीं किसी राज्य में किसानों पर इतने टैक्स नहीं लगे होंगे। आज किसान के स्वामित्व के अधिकारों के अन्दर भी सरकार हनन करने के लिए तत्पर हो रही है। ७० में संशोधन आदि के द्वारा किसान के अन्दर जो अस्थिरता उत्पन्न हो गई है उसके द्वारा आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। यहां तक आपने किसानों पर असहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया कि उनके खेती के औजार हैं उन पर भी आपने टैक्स लगाया। आप चीन और रूस के जो मेथड्स हैं, जिन साधनों और जिन रूपरेखा के द्वारा वे उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, वहां पर भी जब वे सफल नहीं हुए तो यहां पर अन्धविश्वास के लकीर के फकीर पर, उन योजनाओं को क्रियान्वित करें तो कभी सफल नहीं हो सकते।

सूरतगढ़ फार्म के संबंध में मुझे निवेदन करना है, वहां हजारों एकड़ जमीन पड़त रहती है, वह भूमिहीनों को क्यों नहीं देते? आपको अगर सूरतगढ़ फार्म चलाना है तो वह भी नुकसान के रूप में चल रहा है और अगर चलाना हो जिद में तो आधी जमीन को रोकें तो भी आप २०-२५ हजार एकड़ भूमिहीनों को वितरित करें तो भी उनकी शांति और तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

आपकी योजना खर्चीली और ओवर-एम्बीशियस है। आप उस योजना को कार्य रूप में सफलतापूर्वक परिणत करने में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अभी तक असफल रहे हैं, यह निर्विवाद बात है। आपकी राष्ट्रीयकरण की योजनाएं भी उसी तरह महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खर्चीली हैं और असफल रही हैं। उद्योगपतियों को खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी ने लाइसेन्सेज़ दिए, बहुत उदारतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया; किन्तु मेरे खयाल से एक भी उद्योगपति ने यहां पर जम कर स्थाई रूप से आकर काम करना प्रारम्भ किया हो, ऐसा मुझे नहीं दीखा।

इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी बीच हम देखते हैं कि आज राजस्थान में एक पॉवर शोर्टेज़ की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। यह मैं मानता हूं कि आधुनिक आविकार और एटम युग के अन्दर एक पॉवर हंगर जैसी चीज हरेक देश में उत्पन्न होती है, लेकिन आपके प्लानिंग के सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि चम्बल बेसिन में आपने जो कुछ डेम्स बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं आपने इस समस्या को पहले से नहीं सोचा; एक लगातार दो वर्ष अगर २०-२० या १५-१५ इंच बारिश होगी तो लेवल कितनी नीचे जायगी और क्या परिणाम होगा ? मेरे ख्याल से यह सब अंधा-धुंधी मडल हेडेड थिंकिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है, इसमें करड़ों रुपये जन-साधारण को नुकसान होने की संभावना है। राजस्थान में बिजली की ऐसी असंतोषजनक व्यवस्था है जिसके बारे में प्रशंसा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है; आलोचना के सिवाय मैं और कुछ नहीं कह सकता इस सम्बन्ध में।

शिक्षा और चिकित्सा गरीबों के लिए अप्राप्य है। वे इतनी महंगी हैं और उसमें इतना भ्रष्टाचार है जिसकी हद नहीं। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कहा जाता है कि १५-१७ साल पहले जो राजाओं के राज्य थे उनमें शिक्षा कुछ नहीं थी और हमने इतनी प्रगति की है। उस वक्त तो २२ छोटे-मोटे यूनिट्स थे उनको एक करके कुल १०-१२ करोड़ राजस्थान की आमदनी थी, आज आपने टैक्स लगाये और आज ८० करोड़ की राजस्थान से आपको आमदनी है और उसके उपरांत भी प्रगति गिरी और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उस पर भी उदाहरण दें कि राजाओं के राज में कुछ नहीं था; हमने यह किया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने जो किया वह प्रशंसनीय काम नहीं किया। इसलिए आपको आलोचना सुनकर अपने आचरण को ठीक करना चाहिए।

शिक्षा का प्रसार योजनाबद्ध रूप से नहीं हो रहा है। बांसवाड़ा के पड़ोसी जिले में हायर सैकण्डरी स्कूलों की भरमार है। बाज जगह विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या करीब करीब बराबर है। पड़ोसी क्षेत्र में हायर सैकण्डरी की अगर मांग होती है तो इस सम्बन्ध में सरकार यह उत्तर देती है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। आखिर विचाराधीन है तब भी सस्पेन्स में कब तक रक्खेंगे ? इससे तो उचित यह है कि "हां-ना" का उत्तर दे दें, ताकि पता लग सके कि आपकी नीति क्या है ?

स्वायत्त शासन के मामलों में विरोधियों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है।

Page No. 60

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

डूंगरपुर में प्रशासन है। उनके सम्बन्ध में पांच हजार का गापला बिल्कुल साबित करके यहां भेजा गया। लेकिन इसके उपरान्त भी वे महाशय वहीं थोपे हुए मौजूद हैं और उनकी मनमानी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो यह इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है और सरकार अपने ऐसे कर्मचारियों को भी शील्ड करके उनकी कोई भी हानि नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना था तब लोगों की कल्पना थी कि राम राज्य यहां स्थापित होगा। पर मेरे ख्याल से राम राज्य की जगह रावण राज्य स्थापित हो गया है। आज शिक्षा सस्ती नहीं है, आज न्याय तत्कालीन और सस्ता नहीं है। आज चिकित्सा सस्ती नहीं है।

जिन ऊंची आशाओं को लेकर लोग चलना चाहते थे आज बिल्कुल मायूसी का वातावरण सब लोग अनुभव कर रहे हैं। बिचारी भूतपूर्व राजधानियों का विकास करीब करीब ठप्प सा हो गया है और आज आज राजधानियों की स्थिति तो यह है कि वे उजाड़ नगरी के समान प्रतीत हो रही हैं।

ऐसी स्थिति के अन्दर अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की जनता के नाम से इस मंत्रि मंडल से निवेदन करता हूं कि वे हुकूमत की कुर्सी छोड़ दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों का वहन करने में पूर्णतया नाकामयाब साबित हुई है इसलिए यह प्रस्ताव आया है।

हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह जनता की प्राथमिकता की आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दे, अच्छा सस्ता न्याय दे; पर आज तक यह हुकूमत यह न दे सकी इसलिए जनतंत्र का तकाजा है कि वे शासन से हट जावें।

आज इस बारे में सब पार्टियां एक मत हैं, सभी विरोधी पार्टियों ने मिलकर कहा है जिनमें जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है, कॉम्युनिस्ट हैं, संयुक्त समाजवादी पार्टी है- सबने लोकतान्त्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का प्रयोग किया है।

जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति का यह सरकार बार बार आश्वासन देती है, पर फेल रहती है और जब इसके लिए विरोधी पक्ष आन्दोलन करता है तो रोटी के बदले उनको लाठी और गोलियां देती है, जेलों में बन्द किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

मैं समझता हूं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां, अपने आश्वासन पूरे न कर सके और सारा विरोधी दल मांग करे तो उनका वैसे ही नैतिक कर्त्तव्य होता है कि वे त्याग पत्र देकर अलग हो जावें और दूसरों को अवसर दें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, और सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

की मूलभूत जिम्मेदारियां क्या हैं ? आज रोटी प्राप्त करना सबसे पहली आवश्यकता हो गई है । अन्न उपलब्ध नहीं है, सरकार ने आश्वासन दिया पर वह पूरा नहीं हुआ । महंगाई आज बढ़ती जा रही है, खाने-पीने की चीजें मिलती नहीं । बेकारी की समस्या हमारे सामने खड़ी है ।

तीसरी आवश्यकता हमारी विषमता को दूर करने की है । आपकी योजनाएं इन कामों के लिए बनीं, पर किसी में आपको कामयाबी नहीं मिली आपकी शासन की अयोग्यता के कारण । नतीजा यह होता जा रहा है कि हमारी योजनाएं नाकामयाबी की तरफ जा रही हैं ।

बिजली-पानी का प्रश्न है । स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि जितनी बिजली मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती और जो मिल भी रही थी वह भी अचानक ठप्प हो गई । अब इसका कारण कुछ रहा हो, आप कुछ भी जवाब इसका दें । पर एक बात स्पष्ट है कि आप नाकामयाब रहे । इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, आप इसको रोक नहीं सकते ।

उत्पादन का सवाल था । आपने स्वयं माना है, पहले से यह कम हुआ है । जनता के हित के काम करने चाहिए, वे भी कर नहीं पाये । योजनाओं की मूलभूत जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की ।

जहां तक आंकड़े हैं चाहे बेकारी के हों, प्रोडक्शन के हों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हों, किसी विभाग के हों, किसी डिपार्टमेंट को ले लीजिए हमारे जो प्लॉन टार्गेट्स थे वे हमारे फेल रहे, पूरे अचीव नहीं कर पाये, यह हुकूमत स्वयं मानेगी ।

मैंने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट देखी । सबसे बड़ा काम था सरकार का नहरों के जरिए पानी देना या छोटी योजनाओं के जरिये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाय, पानी के लिए ज्यादा डैम बनाये जावें, उनसे जो परिणाम उपलब्ध होने थे पचास प्रतिशत भी नहीं हुए । यह आपकी रिपोर्ट कहती है ।

दूसरी ओर यह भी मानते हैं कि जितने डैम बनवाये अधिकांश में जो उनकी पूर्व अनुमानित लागत थी उससे अधिक खर्चा उन पर किया गया और उनसे भी जितनी सिंचाई होनी चाहिये थी वह आज नहीं हो रही हैं । बल्कि यह वार्निंग दी गई है रिपोर्ट में कि अगर आप जो खर्चा इसमें आगे लगाने वाले हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जावे और अगर पूरी सिंचाई नहीं हुई तो १॥ प्रतिशत लाभ भी इनसे नहीं मिल पावेगा । आपने यह लाभ चार प्रतिशत आंका था ।

इस तरह सबसे बड़ा खर्चा जो हमारी योजनाओं में सिंचाई और बिजली पर था वह नाकामयाब हो गया । इसके ये आंकड़े मौजूद हैं । आप स्वयं उन पर से अनुमान लगा सकते हैं ।

तो जहां तक योजनाओं का सवाल है उसके अन्दर भी हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गई ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी बात मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज सरकार की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वह यह है कि लोकतन्त्र के अन्दर कम से कम विरोधी पक्ष को उस तरीके से देखें कि हमारा लोकतन्त्र कामयाब हो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र की जड़ में आपका प्रहार प्रारंभ से होता है। जब एक कॉन्स्टीट्यूएन्सी आप बनाते हैं, चाहे ग्राम पंचायत की हो, चाहे विधान सभा की हो और चाहे पार्लियामेंट की हो इसमें आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से छोटी से छोटी चीज़ करके देखते हैं। इस आधार पर पंचायतों के क्षेत्र के निर्माण में भी गांवों को इधर से उधर करते हैं। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की जड में पहला प्रहार है। उदाहरण के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि जामसर गांव है, उस गांव के वोटर्स को १० मील दूर गांव में जोड़ दिया है। यह इसलिये किया है कि लेबर्स के वोट से आपका सरपंच आ जाता है। क्योंकि आपकी पंचायतों में आपके सरपंच कामयाब नहीं होते हैं इसलिए आप ऐसा काम करते हैं पंचायतों के वोटर्स का नाम तो इधर है लेकिन वोट देने के लिए उनको १० मील दूर जाना पड़ता है। इसी आधार पर रिजवर्ड कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ का निर्माण करना चाहते हैं। इसी तरह से जो जनरल शीट्स हैं उनके अन्दर भी जितने परिवर्तन होते हैं उनमें विरोधी दल का जो सहयोग लेना चाहिए वह नहीं लिया जाता है।

दूसरी बात मैं कहूं कि अभी हमारे यहां पर संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी का एक सम्मेलन हुआ। उसमें हमने यह मांग की कि बाहर से जो पंचायतों के प्रधान वगैरह आये हुए हैं और यहां के कलेक्टर से मांग की गई उनके लिए आवश्यक राशन, चीनी वगैरह दी जाये। इसके लिए दरख्वास्त दी गई। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलेक्टर ने, जो व्यक्ति बाहर से आये उनको चीनी या राशन देने से इंकार कर दिया। राशन में उन्होंने आटा जरूर एक एक क्विन्टल दिया और जहां तक चीनी का सवाल है उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बहुत दवाब दिया तो कहने लगे कि मैं कुछ नहीं दे सकता। तो मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग यहां आयें और उनको इतनी सी चीज नहीं दे सकते और यहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि कांग्रेस के लोग यहां आये तो खाना देने की थालियां नहीं थी हिन्द होटल के अन्दर तो उन्होंने कहा कि स्टेनलेस स्टील की थालियां लगाई जायें और इसके लिये हिन्द होटल वाले ने मना कर दिया। सरकार ने कहा कि स्टेनलैस स्टील की परमिट दी जाये और थालियां बना कर इनको जिमाया जाय, तो मैं नहीं समझता कि आपका इस प्रकार का दृष्टिकोण कहां तक ठीक है? आप थालियों के लिये परमिट तक दे सकते हैं और नाना प्रकार की गड़बड़ियां कर सकते हैं, परन्तु एक थोड़ा सा राशन बाहर से आने वालों को नहीं दिया गया....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मन्त्री) : Point of information, Sir, मैं यह पूछना चाहूंगा कि स्टेनलैस स्टील का परमिट किसको दिया है; और इसी वास्ते कि थालियां कांग्रेस अधिवेशन में स्टेनलैस स्टील की होनी चाहिए?

Page No. 63

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि स्टेनलैस स्टील का परमिट इसी आधार पर दिया गया। यह परमिट हिन्द होटल को दिया या दूसरे को दिया, इसके लिए मैं नहीं कह सकता....

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास जानकारी हो तो बता दें कि किसको दिया गया। इस नाम से कि कांग्रेस अधिवेशन में स्टेनलैस स्टील की थालियां दी जायें। अगर आप जानकारी दे देंगे तो मैं बता सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें उस समय परमिट दिये गये या नहीं, बता मैं दूंगा।

(१.४४ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गंगानगर में डाक बंगले के अन्दर विरोधी दल के लोगों ने कमरे मांगे तो मना कर दिया। यहां तक मैंने देखा कि ३ और ४ नम्बर का कमरा है उसमें से ४ नम्बर का कमरा जो नाथूरामजी के नाम पर था वह उसको १६ तारीख को वहां से छोड़ गये और ३ नम्बर का कमरा माथुर साहब के नाम से था और वहां पर जो कमरे दूसरों को मिलने चाहिए थे वह नहीं मिले बल्कि कहते हैं कि उस कमरे में चपरासी रहा और सेक्रेटरी रहे। बल्कि मैंने देखा कि बीकानेर से कान्ता खतूरिया थी उसको रखा गया और नाम नाथूरामजी का था। मैं एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ कि यदि इस तरह का आपका दिमाग बनता है तो यह विरोधी दल का बहुत भारी उपहास है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लास्ट टाइम हमने रखा था कि हमारी हुकूमत के अन्दर या हमारी योजनायें जितनी चल रही हैं उनके अन्दर बहुत भारी भ्रष्टाचार है और उसके सिलसिले में मैंने खुद ने लास्ट टाइम यह बात रखी थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और उनके जरिये इस तरह के काम होते चले आये हैं कि जिससे राज्य में भ्रष्टाचार को बराबर बढ़ोतरी मिली है।

हमने अविश्वास के प्रस्ताव में रखा है कि कि राज्य में भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती बहुत बड़ी तादाद में है। लास्ट टाइम कहा गया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राज्य में कार्यों के अन्दर अनेक भ्रष्टाचार होते हैं और स्वयं उन मामलों के अन्दर शरीक रहते हैं। मैं आपसे कहूं कि मुख्य मंत्रीजी के दो कार्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला तो यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने उदयपुर के दो व्यक्ति एक तो माइन्स डिपार्टमेंट में और दूसरे को जंगलात के महकमे के अन्दर रखा। ये दो व्यक्ति हमारे दोनों विभागों को बिल्कुल नष्ट करते चले जा रहे हैं। आपके सामने लास्ट टाइम रामानन्दजी ने एक प्रश्न रखा था हमारे माइन्स डिपार्टमेंट के सेठी साहब का। उनका मामला वह था कि इन्होंने किस प्रकार से एक पत्र दिया और उस पत्र के अन्दर किस प्रकार की बातें लिखीं। मैं उनको संक्षेप में आपके सामने सुनाना चाहता हूं। उदयपुर से है यह पत्र:

"My dear Chand Mal Jain,

I have fixed up my programme to reach Bhilwara on 9th instant and in the meantime I expect, you

(श्री मुरलीधर व्यास)

must have made suitable and necessary arrangements according to your discussion here. You know the pressing demand from Shri Komal for Rs. 25,000 and I wish that the matter may be finalised at the earliest. Hukum Singh Ji met me after you left and gave me Rs. 5,000 and further promised to pay Rs. 2,000 which you may please collect from him before I reach there. Now in these circumstances you are requested to recommend the case of Messrs Ram Lal & Sons for compensation of their area submerged in Meza Dam. He will pay Rs. 1,000 seperately.

Regarding compensation of M/s. Pussa Lal Mansinghka Ltd......"

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : On a point of Order, Sir, this is already on the record. It has been discussed and debated in the House. The letter and the photostat copies have been replied to. Therefore, my submission is that it is a repetition and nothing else. If the past record of the assembly is referred to, the whole thing is there.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह बात इसीलिए कही जा रही है कि मुख्य मन्त्री जी, अपने एजेन्टों के द्वारा किस तरह से रिश्वत लेते हैं, देते हैं, दिलाते हैं और ऐसे मामलों को यहां सदन में रखा जाता है और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। उसका उदाहरण फिर से रखा जा रहा है इस कारण कि सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया जाये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : इसमें मुख्य मन्त्रीजी के रिश्वत लेने का क्या रेफरेन्स है ?

(विरोधी पक्ष की ओर से 'बैठो बैठो' की आवाज)

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : I rise on a point of Order, Sir.

(शोरगुल)

Point of Order, Sir.

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या उप-मन्त्रीजी की मुख्य मन्त्रीजी से नाराजगी है कि जो इस तरह से बीच बीच में इन्टरप्ट करके विरोधी दल के सदस्यों को भड़का रहे हैं कि उनके खिलाफ चार्जेज़ लगाये जायें।

श्री निरन्जनाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह): Point of Order, Sir......

(विपक्ष की ओर से मेजों के थपथपाने के कारण अश्रव्य)

विपक्ष की ओर से अनेक माननीय सदस्य : नहीं सुनेंगे। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जान बूझकर उत्तेजना फैला कर यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चले। वह चाहते हैं कि मन्त्रि-मण्डल के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध के विषय नहीं लाये जायं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आरोपों को सुन लें और सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से चलने दें, नहीं तो कोई ठीक नहीं रहेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं जब पोइन्ट ओफ ऑर्डर पर खड़ा हूं तो वे नहीं बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Point of Order.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : My point of Order is this, Sir......

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हिन्दी में बोलिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक लेटर यहां....यह हिन्दी-उर्दू नहीं है। कान थोड़े खुले रखें।

यह पत्र इस सदन में पहले प्रस्तुत हुआ है और अब यही आरोप यहां पर दुबारा प्रस्तुत हो रहे हैं। यह प्रोसीडिंग में पत्र भी है और आरोप भी है।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : यह कोई पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसलिये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिये; चूंकि यह पत्र प्रोसीडिंग में आ चुका है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : Under what rule ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह जो किया जा रहा है, as such my point of order should be entertainded.

श्री उपाध्यक्ष : I shall advise the hon. Member to see that facts already told are not repeated.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो बात यहां पर स्वीकार की गई थी उन पर एक्शन नहीं लिया गया है, उनके बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बड़ी खुशी है कि उप मन्त्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया कि इसका हवाला पहले आया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हवाला जो पहले आया तो मुख्य मन्त्री ने उस हवाले में यह कहा कि इस सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है। मै यह बताना चाहता हूं कि कार्यवाही की जा चुकी थी और क्या कार्यवाही थी और क्या नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इस सदन में मन्त्री महोदय ने क्या किया, उस बात को पढ़कर बताया है कि इस मामले में

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या हुआ है। यह एक ही मामला नहीं है। इस प्रकार के अनेक मामले हैं। इसके साथ में दूसरे मामले भी मैं बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि वह नहीं हैं तो मैं दूसरा बताना चाहता हूं कि यह मामला है। इसकी जांच करेंगे।

दूसरा यह बताना चाहता हूं कि ये सेठी साहब क्योंकि इसमें हैं और कमल एण्ड कम्पनी में इनके साथ में इनकी पार्टनरशिप है और मुख्य मन्त्रीजी का इनके साथ में क्या सम्बन्ध है और क्या नहीं, उसकी जांच तो भविष्य में होगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि सेठी साहब का यह मामला है इसमें भ्रष्टाचार जो कुछ है उसकी जांच होनी चाहिए, वह करें।

मैं दूसरा यह बताना चाहता हूं कि सेठी साहब इस प्रकार का काम भी करते हैं कि हमारे भाषण में जो आप देखते हैं कि मोटरें व जीप्स यहां से इधर या उधर जाती हैं और जीप गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वे क्या करते हैं कि लॉग बुक, जो कुछ भी वह लिखता है वह अलग है और जो वे लिखते हैं वे अलग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉग बुक में उनका रिकार्ड है, उसकी मेरे पास फोटो कापी है जिसके अन्दर बताया है कि यह गाड़ी आपकी कहां कहां गई है और उसके साथ में यह पढ़कर बताना चाहता हूं। इसमें तारीख रवानगी वापसी सब मिलेगी। यह गाड़ी कहां कहां पर किस प्रकार से जाती है, वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ गैराज में विद्याभवन, दादाभाई साहब को छोड़ने, गैराज से विद्याभवन और विद्याभवन से अस्पताल, और फिर गैराज और जोधपुर को। फिर मेम साहब को ले गया। मेम साहब कौन हैं, यह मैं जानता नहीं हूं। फिर गैराज से स्टेशन और सेठी साहब के बंगले। गैराज से स्कूल, गैराज से लाम्बा साहब के बंगले पर। फिर भार्गव साहब की मैम साहब को लेने, गैराज से लाम्बा साहब के बंगले पर वहां से मेम साहब की सहेलियों की बाड़ी पर और बरी के तालाब पर और वापस गैराज में।

यह मैं समझता हूं, सारे हैं। मेरे पास कापी है। आप जांच करा लें कि यह गाड़ी सरकार की, मेम साहबों को लाने ले जाने के लिए है। यहां तक कि श्रीमालीजी की पत्नी साहिबा को भी यहां–वहां ले गई। मेरी समझ में नहीं आता कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप इसको भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं कि सरकारी गाड़ी और पेट्रोल का मनमाने तरीके से उपयोग करें और कोई रोक टोक नहीं हो, क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी का वरद हस्त उनके ऊपर है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है और मनमानी चलाई जाती है। इसकी फोटो कॉपी मेरे पास है। इसकी जांच करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस प्रकार से हुआ कि नहीं।

दूसरी बात मैं यह कहूं कि ये सेठी साहब यहां की जो जिप्सम कम्पनी है उसमें डाइरेक्टर हैं, उनकी मीटिंग में कलकत्ता गए और कलकत्ता से किस प्रकार से ये भीलवाड़े आये और उसके अन्दर आपने फर्स्ट क्लास का टी० ए०,डी०ए० उठाया जबकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। अब यह बातें कैसे हुई कि जब यह कलकत्ते से रवाना हुए तो टिकट कलेक्टर जांच के लिए आया तो टिकट नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिलने पर यह स्थिति पैदा हुई कि कहीं से ट्रंक किया और

(श्री मुरलीधर व्यास)

वहां से पत्र लिखा रेल्वे की ओथोरिटीज को और इनको भी पत्र लिखा और इन्होंने भी पत्र लिखा कि इस प्रकार से किया है तो ठीक है। यह टिकट सैकण्ड क्लास का रिज़र्व कराया गया है। जिस एजेंट के जरिये उसका टिकट भी मौजूद है और लेटर भी मौजूद है जिसके अन्दर इनके खुद के हस्ताक्षर हैं। सैकण्ड क्लास में ट्रेवल करके फर्स्ट क्लास का लगाये। इसकी केवल चार फोटो कॉपियां मेरे पास हैं। आप जांच करा सकते हैं। एन्टी करप्शन में दे सकते हैं। आपको स्वयं को मालूम पड़ जायगा कि इन महोदय ने ये सारे धन्धे किए या नहीं ?

यह आप कह रहे थे डिप्टी मिनिस्टर साहब, इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज मुख्य मन्त्रीजी ने माइन्स विभाग में इनको रखा है। और दूसरा तरफ जंगलात में रखा है गुलाम अब्बास को। ये और गुलाम अब्बास साहब दोनों मिलकर मुख्य मन्त्रीजी को हर प्रकार से राहत देते हैं। किस प्रकार से देते हैं और क्या नहीं देते हैं, इसके प्रमाण क्या हैं ? इसका एक प्रमाण है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि पानरवा जंगल का काण्ड बहुत पुराना है और कई दफा सदन में आ चुका है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले से पहले गुलाम अब्बास की स्थिति क्या थी और उसके बाद में आज वह किस स्थिति में पहुंचा है और उसने किस तरीके से चार ऑफिसेज़ अहमदाबाद (गुजरात) और राजस्थान में रखे हैं। कितनी लकड़ी वह यहां से ले गया और सैल्स टैक्स से किस प्रकार की कीमत होती है और किस प्रकार से देता है और कितना इन्कम टैक्स देता है, इनके हिसाबों की जांच करा लें तो आपको पता लग जायगा कि जिसके पास ५-१० हजार की सम्पत्ति नहीं थी वह आज करोड़पति बन गया है। वह सारा मुख्य मन्त्रीजी की सहायता से बना है।

अगर आप नहीं मानते हैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जांच करा लें। आप कमीशन को बिठायें या कोई न्यायिक जांच करवा लें तो आपको पता चल जायगा कि ये दो व्यक्ति मुख्य मंत्रीजी को सहारा देते हैं और सारा पत्र-व्यवहार करते हैं और देने लेने के मामले में यह करवाते हैं। आप कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी इसमें आते नहीं हैं। तो मैं उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ समय पहले यहां पर एक माइन्स की लीज़ के सिलसिले में जमीन की बदली के अन्दर का एक केस है तो एक तो वहां पर रामलाल है और दूसरा हिन्द कम्पनी है, इस तरह से दोनों को माइन्स की लीज़ दी गई भीलवाड़े के अन्दर। वहां पर क्या है कि जमीन की सीमा निर्धारित की गई है। इतनी बड़ी जगह है, जमीन है इनके अन्दर दोनों को जमीनें दी गई हैं। उस जमीन में उसके बाद में जब यहां पर माल निकला खान के अन्दर तो उस जमीन का डिमार्केशन किया हुआ था, उस डिमार्केशन के अन्दर बराबर खुदाई होती थी, परन्तु उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर एक आदमी मर गया तो उन्होंने क्योंकि कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा उसकी लाश को वहीं पर गाड़ दिया और उस सीमा के बाहर निकाल दिया उसके आगे बहुत दूर और उसके बाद में जब वह काम हिन्द कम्पनी करती रही....

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२ म. प.)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माल) : हिन्द कम्पनी कौन थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जय हिन्द होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सही नाम का तो आपको पता होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बताना चाहता हूं कि हीरालाल मालीराम और दूसरी हैं हिन्द माइका, जिसके कन्हैयालाल होड़तिया और ये दोनों मालिक हैं। इन दोनों के झगड़ा क्यों हुआ ? लाखों का माल दोनों ने निकाल दिया, डिमार्केशन लाइन आगे बढ़ाई गई, सीमा से अधिक ली गई, लाखों तका माल निकाला, एक्सपोर्ट किया गया, आखिर ये फाइल मंत्री तक पहुंची, सारा रेकॉर्ड मौजूद है और मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसला किया उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जायगा।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कब की बात है, कितने वर्ष की बात है? कन्हैयालाल....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा अभ्रक की रोयल्टी के सिलसिले में हिन्द माइका के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया। हिन्द माइका वालों ने क्या किया कि डिमार्केशन से ऊपर की जमीन ली और उसका इस्तेमाल किया यही नहीं आज उसको कोई भी जाकर देखले, डिमार्केशन लाइन को जाकर देख लें। उनको पता चल जायगा कि उन्होंने किस प्रकार लाभ उठाया है और किस प्रकार उन्होंने फैसला दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अभ्रक की रोयल्टी के बारे में मैं बार कह रहा हूं मुख्य मंत्रीजी ने वहां के लोगों की जो रोयल्टी तय हो चुकी थी सैकड़े के आधार पर ६।) सैकड़ा की तय हुआ था वहां पर आपने उसे घट कर १) रु० मण कर दी। आज अभ्रक जिसकी कीमत २५ हजार रु० टन है २० हजार रुपये या १० हजार रुपये टन है, जिसकी कीमत इतनी है और जिसमें रोयल्टी के लाखों रुपये सरकार के बकाया हैं और दो साल से बकाया चले आ रहे है उसके बाद भी चुनाव के मौके पर आपने उनको बुला कर फैसला कर दिया, इस प्रकार फैसला कर दिया कि एक ओर कांग्रेस को चंदे के रुपये दो और दूसरी ओर रोयल्टी ६।) सैकड़े से घटा कर १) रु० करवालो इससे ४५ लाख रुपयों का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। माइन्स और जंगलात में मुख्य मंत्रीजी किस प्रकार काम करते हैं। और अपने आदमियों को किस प्रकार लाभ पहुंचाया है, यह मैं आपके सामने रखता हूं।

दूसरी बात कहता हूं मुख्य मंत्रीजी के सम्बन्ध में एक बात यहां आई थी और मंत्रीजी ने जवाब दिया था, मैं कहना चाहता हूं, आज जो उनकी जमीन है उसके सिलसिले में चार बातों का जवाब दे दें मैं चार बातें पूछना चाहता हूं। क्या मुख्य मंत्रीजी ने जो जमीन ली वह उन्होंने एक राज्य कर्मचारी से खरीदी ? एक राज्य का मुख्य मंत्री सरकारी मुलाजिम से जमीन खरीदे, मेरी समझ में नहीं आता

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक मुलाजिम से इस प्रकार मुख्य मन्त्री जमीन खरीदे और उस मुलाजिम की जमीन के मुआवजे का केस जमीन का, जागीर का पड़ा हुआ है और मुवावजे की फाइल पर जो मुआवजा निश्चित हो चुका था उससे अधिक मुआवजा फाइल मंगाकर देना और दूसरी ओर वह जमीन जिसकी कीमत लाख रुपया है वह १३००० में लेना मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मुख्य मन्त्री कुछ भी कहें लेकिन जांच करायें तो पता चलेगा कि ऐसा करने का मुख्य मन्त्रीजी को अधिकार नहीं है ।

दूसरी बात कांग्रेस में आपने किस प्रकार पैसा लिया जिसका हिसाब तक नहीं है। किस प्रकार बैंक के ओवर ड्राफ्ट की बात ढाबरियाजी ने कही थी, आज मालूम हुआ कि बिड़लाजी से ओवर ड्राफ्ट लिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक ओर तो आप यह करें और दूसरी ओर मेरी समझ में नहीं आता मुख्य मन्त्रीजी के मकान पर सरकारी अधिकारी काम करें, पेड़ लगावें। फार्म पर कोई विकास कर सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान के फार्म पर कोई सरकारी अधिकारी जाकर लाभ पहुंचावे तो मैं कहता हूं कि उससे फायदा हुआ है लेकिन कोई मन्त्री यहां बैठकर अंगूर की बेल की शिक्षा ले सके, यह सारी हुकूमत का दुरुपयोग है जो मुख्य मन्त्रीजी कर रहे हैं और उसका जवाब आप दे रहे हैं···

अब मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी पारिवारिक दृष्टि से किस प्रकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। गत समय ढाबरियाजी ने बात कही थी पेट्रोल पम्प के मामले में। दीनाभाई और गुलाम अब्बास किस प्रकार आपस में रिश्तेदार हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ये दोनों आपस में साढ़ू हैं। एक तरफ तो मुख्य मन्त्रीजी के साले दीनाभाई और बसन्त कुमार दीनाभाई के लड़के, तीसरी बात मुन्नालाल आर्य मुख्य मन्त्रीजी के साले—ये इनके परिवार के कुछ लोग हैं जिनको ग्रो मोर फूड के नाम से या पेट्रोल पम्प के नाम से जमीन दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इनको जमीन कैसे दी? किसी किसान को के लिए जमीन देते तो समझ में आता कि वास्तव में आपने किसी किसान को लाभ पहुँचाया, लेकिन आपकी जमीन किसको मिली—दीनाभाई को, बसन्तकुमार आर्य को, मुन्नालाल आर्य को जो मुख्य मन्त्री जी के साले हैं और एक मात्र किसान हैं जो ग्रो मोर फूड कर सकते हैं। इनको आपने किस प्रकार ग्रो मोर फूड के नाम से जमीन दी? इनके दूसरे एक और रिश्तेदार हैं मन्नालाल आर्य जो उनके दामाद हैं····

कुछ माननीय सदस्य : मन्नालाल आर्य नहीं, गोयल।

श्री मुरलीधर व्यास : मन्नालाल गोयल जो इनके दामाद हैं, उनको जमीन दी। हनुमानगढ़ में मैंने देखा कि जो जमीन ग्रो मोर फूड के नाम से श्यामलाल एण्ड कम्पनी के नाम से दी वे सारे उनके परिवार के लोग हैं। यह कौन सा तरीका है कि ग्रो मोर फूड के नाम से जमीन किसानों को न देकर अपने परिवार के इन लोगों को दें, जिनके पास जमीन है नहीं उनको न दें। जो नियम था कि दो साल में कोई जमीन नहीं जोतता है तो

Page No. 70

(श्री मुरलीधर व्यास)

उससे वापिस ले ली जायगी। हनुमानगढ़ से कई लोगों से जमीन वापिस ले ली, लेकिन आज उनके न जोतने पर भी वह जमीन उन रिश्तेदारों के पास है। यही नहीं बल्कि वह जमीन उनके खुद काश्त की बन चुकी हैं। यह कौनसा तरीका है ? क्या आप इसको कुनबापरस्ती नहीं मानते और क्या मुख्य मन्त्रीजी के रिश्तेदारों को जमीन देना ठीक मानते हैं ?

आखिर पंजाब में कैरों ने क्या किया था ? उनके लड़कों ने दुरुपयोग किया था कुछ खुद ने किया। यहां लड़के नहीं हैं तो साले हैं, रिश्तेदार हैं उनको लाभ पहुंचता है। मैं यह कह दूं कि उनके परिवार के तीन लोग दुरुपयोग करते हैं एक हैं मन्नालाल गोयल, मुन्नालाल आर्य और दीनाभाई। मन्नालाल गोयल विदेश गये, कैसे गये ? लाखों का बंगला बन गया। एक मामूली आर० ए० एस० ऑफिसर के रूप में उनको एमरजेंन्सी में अपोइन्ट किया। दूसरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे उनको छोड़ कर बड़ी जगह पर इनको बैठा दिया। क्या यह मुख्य मन्त्री पद का दुरुपयोग नहीं है ? मुख्य मन्त्रीजी के दूसरे साले हैं मुन्नालाल आर्य।

आपको आश्चर्य होगा, किसी सर्विस में जाकर देखें और बता दीजिये कि किसी प्रकार इस तरह से किसी आदमी को ऊंचा उठाया है जिस तरह से मुन्नालाल आर्य को उठाया। सन् ५६ में जब आप मिनिस्टर सिविल सप्लाईज़ थे उस समय उनको तुलैया, कुली माल ढोने के लिये रखा। क्वालिफिकेशन क्या थी उनकी ? सिर्फ पांचवीं कक्षा पास ...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री. गृह) कुली के रूप में नहीं किया।

(शोरगुल एवं आवाजें "बैठ जाओ बिल्कुल झूठ है")

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी उप-मन्त्री महोदय ने मुक्का दिखाया, विरोधी दलों को धमकी दी। वे मुक्का दिखा सकते हैं तो हम दो मुक्के दिखा सकते हैं। अगर वे इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं तो हम उनकी रबड़ी बना सकते हैं। इस तरह मुक्का दिखाना आपत्तिजनक है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आचरण के खिलाफ इनको वार्निंग दे देनी चाहिए। ये संसदीय आचरण के खिलाफ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Vyas to please continue.

श्री निरंजननाथ आचार्य : You can interpret it as a "Mukka" but this is not so...

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इस पागल को बैठा दिया जाय। यह पागल हो गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is not a "Mukk'a'...

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा, किसी केबिनेट के मंत्री का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुख्य मंत्री के साले को, जो पांचवी कक्षा पास है, एक तुलैये के रूप में सिविल सप्लाईज़ विभाग में रखा। उसके बाद उसको सब- इन्सपेक्टर, एन्टी-स्मग्लिंग विभाग के अन्दर बनाया २००), २५०) की तनख्वाह पर, ताकि वह स्मग्लिंग के मामले में भी कमाये। आज वह व्यक्ति, पांचवीं कक्षा पास है, जिसे सिविल सप्लाईज़ में तुलैये के रूप में रखा— आज राजस्थान के अन्दर पैंतीस-चालीस रुपये पाने वाले चपरासी और कुली अनेकों मिलेंगे, आप उनमें से कोई भी एक ऐसा निकाल कर बता दें, जिसको इतनी बड़ी जगह एन्टी स्मग्लिंग में सब इन्सपेक्टर और बाद में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज़ के पद पर रखा हो। मैं समझता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : एक तुलैये को डिप्टी कमिश्नर बना दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण बता दें, जिसमें किसी कर्मचारी को इतनी तरक्की दी हो। हमारे राजस्थान के अन्दर मुख्य मन्त्री के साले इस प्रकार के हैं जिनको इतनी तरक्की दी है। जिस प्रकार पद का दुरुपयोग ये करते हैं; मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं यह जानना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुन्नालाल आर्य के बारे में श्री चन्दनमल वैद और पी. के. चौधरी ने शिकायत सरकार के समक्ष नहीं रखी थी ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): बिल्कुल गलत है। मैंने नहीं रखी थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने रखी है और मैं उसकी कॉपी यदि सदन के सामने रखूं।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य असत्य कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रखी थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी से एश्योरेन्स लिया जाय, उनके दस्तखतों का इस प्रकार का डॉक्यूमेंट, जो केन्द्रीय होम मिनिस्टर पंतजी को लिखा गया था; इस सदन की मेज पर रखा जाय तो क्या वे त्याग-पत्र देने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता ने कहा है, यह बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। मैं चाहूंगा कि वह डॉक्यूमेंट रखें। वे नहीं रख सकते तो विधान सभा से इस्तीफा दें। आगे आओ। Come please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे रख देंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, हम....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप त्याग-पत्र देने को तैयार हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : अपने नेता से पूछिए, मुझसे क्या पूछते हैं ? उनको सिर्फ धमकी देना आता है । उनका किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा हैं, जनाना से पाला पड़ा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा कि सदन की परम्परा के अनुसार हाउस का फ्लोर जिसके पजेशन में हैं उनको बोलने का अधिकार है । वही बोल सकते हैं । उनको रेफ्यूट करने की बात हो तो वह हो सकती है । बीच बीच में दूसरे प्रश्न न उठाये जायं ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी जैसा कह रहे हैं कि इस प्रकार की बात मैंने नहीं लिखी; तो मैं कहना चाहता हूं कि यह उप-मंत्री जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद, आपके ख्याल में होने के बाद भी आप नहीं लिखते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बिल्कुल गलत है ।

श्री चन्दनमल वैद : गलत बात है । मुझे इस बात का ख्याल नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : त्याग-पत्र के लिए कहा है !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि रिश्तेदारों का जो सवाल है, उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी पर हमारा आरोप है कि कुनबा परस्ती की भावना उनके अन्दर मौजूद है और वह जबरदस्त है, उसकी सीमा नहीं है । आप इसकी जांच करें तो आपको पता लगेगा । जो मन्नालाल गोयल, इनके दामाद हैं उनके अपोइन्टमेंट के बारे में मैंने बातें कहीं, पद के दुरुपयोग के बारे में । मैं आपको कहना चाहता हूं कि, वह किस प्रकार से । उनकी जो पत्नी है, खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी की लड़की हैं, वे इन्श्योरेन्स एजेन्ट बन गईं । वे बन गईं तो अब क्या है ? इधर तो मन्नालाल गोयल बी. डी. ओ.; सांगानेर थे, उनके सामने जो कोई केस पटवारियों के घोटाले और गबन के आये, उनका पांच पांच हजार का इन्श्योरेन्स यह कह कर करवाया, इन्श्योरेन्स करवाओ, उसके बाद मामला खत्म कर दिया जायगा : इस प्रकार से पद का दुरुपयोग वहां हुआ । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार लाखों रुपयों का इन्श्योरेन्स मुख्य मन्त्रीजी की लड़की ने किया, इसका कोई प्रश्न नहीं है; लेकिन किस प्रकार एक बी. डी. ओ. ने अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने अधिकार का....

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ

(श्री हरिश्चन्द्र)

कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो आपने स्टेनलैस स्टील की बात कही। मैंने खड़े होकर पूछा कि ऐसे प्रमाण बतायें जिसके अन्दर स्टेनलैस स्टील दिया हो, तो मैं जांच करने के लिए तैयार हूं, अगर ऐसा हुआ हो तो। लेकिन आपने कुछ नहीं कहा।

अब खड़े होकर कह रहे हैं। आप प्रमाण के साथ बात रखें। इसके अलावा जिस तरह की भाषा आप यूज़ करते हैं मैं समझता हूं यह सदन की प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त नहीं है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Everything is on record.

श्री हरिश्चन्द्र : If the Hon'ble members have got certain evidence, the Government would be prepared to take cognizance and give a reply.

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के प्रमाण....

श्री हरिश्चन्द्र: If you don't possess any evidence, it is no use saying it here. This a very August Body.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय कह रहे हैं— क्या इनके पास कोई एवीडेंस है। तो मैं इतना आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपके सामने जिन लोगों का इन्श्योरेन्स हुआ है, उनकी लाइफ इन्श्योरेन्स के नम्बर, कितने हजार की हुई, किस तारीख को हुई — ये सारी चीजें हैं वे आपको बताई जायं तो आप क्या करेंगे? हमारे मुख्य मन्त्री ने खुद ने अपनी लड़की के द्वारा पचास हजार का इन्श्योरेन्स कराया, उनकी लड़की के द्वारा करवाया है उनके दामाद ने इन्श्योरेन्स पच्चीस हजार का।

श्री हरिश्चन्द्र : किसी की पत्नी कोई काम करती है तो उसमें क्या गलत है? यदि किसी की पत्नी इन्श्योरेन्स एजेन्ट है तो क्या गलत है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सरकारी मुलाजिम की पत्नी कोई बिज़नेस नहीं कर सकती।

श्री हरिश्चन्द्र : इन्श्योरेन्स एजेन्ट है, तो क्या गलत है? She is his wife...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह उनकी वाइफ है। एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट की वाइफ है, वह इस प्रकार का बिज़नेस नहीं कर सकती। आपको यह रूल मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको रूल्स मालूम हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट की औरत इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकती?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट है और उनकी पत्नी इस प्रकार का बिज़नेस करती है....

Page No. 74

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सर्विस रूल्स आप उठा कर देखें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अरे साहब, कलेक्टर्स का इन्श्योरेन्स किया है और तब उनका ऊंचे पदों पर अपोइन्टमेंट किया गया है- यह बताऊं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है....

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन पर छोड़िए।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं मानता हूं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो बड़े पद पर है, की पत्नी इस प्रकार इन्श्योरेन्स का काम करती है और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका सम्बन्ध सरकार से है, जो लीज़ लेते हैं, ठेका लेते हैं, परमिट लेते हैं, ऐसे लोगों का इन्श्योरेन्स मुख्य मन्त्री की लड़की करती है, तो मैं समझता हूं- इन दोनों चीजों में जरूर कोई सम्बन्ध है; ऐसे लोगों का लाखों रुपयों का बीमा किया गया। मंत्री जी कहते हैं कि यह गलत है तो मैं इन्श्योरेन्स के नम्बर, किन किन उद्योगपतियों का किया गया है, किन किन ऑफिसर्स का किया गया है, किन किन सरकारी कर्मचारियों का किया गया है, किन तरीकों से किया गया है, ऐसे इन्श्योरेन्स के नम्बर का आप पता लगा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। आप कहते हैं कि ऐसा है तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन आप इस बात का वायदा करें कि अगर ऐसा है तो आप कुर्सी छोड़ देंगे। आप कहें इसे हिम्मत के साथ में....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हिम्मत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे मन्त्री इस प्रकार की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल मुख्य मन्त्री की बात नहीं है, बल्कि सारे मन्त्री भ्रष्टाचार के अन्दर मिले हुए हैं। इनके खिलाफ एन्क्वायरी कमीशन बैठाया जाय तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार कैरों गया, उसी प्रकार हर मंत्री को यहां से जाना पड़ेगा। मैं एक एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात प्रमाणित कर सकता हूं। इस प्रकार के मंत्री, जो मुख्य मन्त्री की वकालत करते हैं, वे भी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, इन्होंने बड़े २ भ्रष्टाचार किये हैं। खास तौर से कोटा और झालावाड़, जहां से चुनकर आये हैं, वहां झालावाड़ के अन्दर ऐसे बिज़नेसों के अन्दर बड़े बड़े काम किये हैं, उनके उदाहरण रखूं...

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे जरूर बताइये। जो बिजनेस कर रहा हूं, वह बताइये।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस कम्पनी के साथ में आपका साझा था, उसको ठेका दिया।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले होगा, उसका क्या करूं ?

श्री मुरलीधर व्यास : उसको ठेका दिया गया या नहीं, इसकी जांच करवाइये

(श्री मुरलीधर व्यास)

कमीशन के आगे तो मालूम पड़ जायगा कि अपने पद का दुरुपयोग करके उस कम्पनी को लाभ पहुचाते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : Please give me the facts.

श्री मुरलीधर व्यास : मालूम पड़े तो कुर्सी छोड़ देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई एक बता दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप बाद में जवाब दे देना।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई फैक्ट आप बता दें जिसमें मैंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो ?

श्री मुरलीधर व्यास: आप कह दें कि मैं नहीं हूं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कोई इन्स्टान्स तो बतावें। आपके पास कोई इन्स्टान्स तो है नहीं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे: बैठ जाओ, शोरगुल—अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूंगा कि आज भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो तो इस तरह से कोई भी मन्त्री भ्रष्टाचार के मामले से नहीं बच सकेगा। यों तो आप इतनी लम्बी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन अगर जांच हो जाए तो आप भ्रष्टाचार से बरी नहीं हो सकते। कल एक प्रश्न पूछा गया था। आपने उसका उत्तर दिया। मैं उसके सम्बन्ध में आपको बता देना चाहता हूं कि आपको यह पता होगा कि कैरों के खिलाफ व्यक्तिगत क्या चार्ज था ? उसके खिलाफ इतना ही चार्ज था कि वह अपने साथ डाक्टर को लेकर गया था और यही चार्ज जांच कमीशन के सामने था। कल प्रश्न आया कि जो मन्त्री भुवनेश्वर गए वे अपने साथ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को ले गए, पी० ए० को ले गए, गैन मैन को ले गए, चपरासी को ले गए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कांग्रेस का अधिवेशन था, आप अपने साथ सरकारी कर्मचारियों को क्यों ले गए ? कैरों के खिलाफ तो यही चार्ज था कि वह डॉक्टर को अपने साथ ले गया। उसके साथ डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती थी; लेकिन उसके सम्बन्ध में भी जांच कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें उस मामले में यह पाया गया कि यह भ्रष्टाचार है। कल का जवाब आपने कुछ भी दे दिया, ठीक है, आप भले ही इसे भ्रष्टाचार मत मानिए मगर वास्तव में यह भ्रष्टाचार है। आप अपने साथ सेक्रेटरी को ले गए। मोहनलालजी सुखाड़िया के साथ सहायक मन्त्री, चतुर्थ श्रेणी का एक आदमी, गन मेन भुवनेश्वर गए। भीखाभाई के साथ में भी गए और कमला बेनीवाल के साथ में भी गए। आप सब लोग कांग्रेस अधिवेशन में गए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ ले गए। आप तो कल यों कह दोगे कि जो कुछ जवाब दिया यह ठीक है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अगर इसके लिए कोई जांच कमीशन बिठाया जावे तो जिस प्रकार कैरों गया उसी प्रकार से सारे मन्त्री भ्रष्टाचार के आरोप में जाएं। मैं खासकर यह अर्ज करना चाहता हूं, माननीय

(श्री मुरलीधर व्यास)

उपाध्यक्ष, आज यह भ्रष्टाचार का मामला चाहे मन्त्री महोदय नैतिक दृष्टिकोण से ठीक समझते हों कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो भले ही समझें। इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मन्त्रि मण्डल के किस किस मन्त्री ने तकावी ली, लोन लिया, उनमें नाथूरामजी, कुम्भारामजी और दूसरे मन्त्रियों के नाम हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि जब आप तकावी और लोन देते हैं तो दूसरे लोग जो गरीब से गरीब हैं और मकान बनाना चाहते हैं उनको मकान के लिए लोन नहीं मिलता है और आज उन लोगों को लोन मिल जाता है जिनके पास बंगले और मकान होते हैं। मैं जो लोग इस तरह से लोन लेते और जो देते हैं, इसको भी मैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मानता हूं और यह अपने पदों का दुरुपयोग है।

आप चाहे कुछ भी करते चले जावें और कह दें कि कानून के अनुसार करते हैं। इसके लिए कानून बने हैं, मगर ऐसा कहने से आप बरी नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरिदेव जोशी के बारे में प्रश्न आया था उसको छिपाया जाता है। हरिदेव जोशी जो कांग्रेस के प्रधान रहे और उन्होंने जमीन ले ली और जब प्रश्न आया तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। समझ में नहीं आता कि जब उन्होंने कांग्रेस के प्रधान होकर यह धन्धा किया तो उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी। यदि मन्त्री लोग ही ऐसा करें और कुनबा परस्ती को फैलावें तो आखिर देश की क्या हालत होगी, देश का रखवाला कौन हो सकेगा? अगर इस तरह से पदों का दुरुपयोग मन्त्री लोग करेंगे और कुनबा परस्ती चलती रहेगी तो देश की क्या हालत होगी और वह किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकेगा। आप आज कहते हैं कि हम महात्मा के सिद्धान्तों पर चलते हैं। महात्मा गांधी झोंपड़ी में रहते थे सेवा ग्राम में, लंगोटी लगाते थे, थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे। आप उनके जीवन की इन चीजों में से एक चीज को भी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और फिर आप महात्मा गांधी के नाम से चलने वाले कहाते हैं।

मैं यह कहूंगा कि यह सब एक तरह से भ्रष्टाचार है क्योंकि जनता को, जिसे हम आप जनता कहते हैं कोई राहत नहीं पहुंचाते हैं और आप अपने आपको सोशियलिस्ट पेटर्न की सरकार मानते हैं, मगर आप एक चपरासी को एक साल में एक रूपया तरक्की का देते हैं। इससे यह होगा कि वह जिन्दगी भर काम काम करता रहेगा और ३५ साल में जाकर उसके ७०) रु० होंगे। आपने अपनी योजना में कहा कि १५ पर सेन्ट कर्मचारियों को दिया गया। और जब बंटवारे का प्रश्न होता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप चपरासी को एक रुपया सालाना तरक्की का देते हैं लेकिन ८००) रु० से आप ५० रु० सालाना तरक्की का देते हैं और १८००) तक ७५) और १८००) से ऊपर २५००) तक १००) रु० सालाना तरक्की का देते है। फिर आप कहते हैं कि हमारी सरकार समाजवादी सरकार है! इसी तरह का हाल लैन्ड रिफोर्म में है। उसमें भी होता यह है कि जो जमीन किसान को मिलनी चाहिये वह उसको नहीं मिल रही है। वही होता है जो इतने वर्षों पहले हुआ करता था

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप अपनी पोलिसी को व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये खड्डे में डाल रहे हैं। आपने हनुमानगढ़ चुनाव में राष्ट्रीयकरण की नीति को खड्डे में डाल दिया जो आपकी नीति की एक बुनियादी बात है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को दूर करने में शुरू से ही आप नाकामयाब रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा दल और सारे विरोधी दलों ने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है और भारत बंद का रोज जनता ने प्रदर्शन किया तो, उन पर गोलियें चलाई और लाटियां चलाई। उप-मंत्रीजी ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने गोली चलाई है। मैं कहना चहाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट वहां पर नहीं थे जिस समय गोली चलाई गई। अगर आपकी यह बात गलत साबित हो जावे तो आप अपना त्याग पत्र दे-दीजिये और नहीं तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा।

दूसरी ओर हनुमानगढ़ चुनावों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने दल की तरफ से गवर्नर को प्रार्थना-पत्र ले जावेंगे कि लोकतन्त्र में चुनावों पर जितना खर्च होना चाहिये; उससे अधिक लगाया या नहीं। आप सारी बातों के लिये जांच बिठाइये कि हनुमानगढ़ में क्या क्या हुआ। यह मैं आरोप नही लगा रहा हूँ, यह तो हनुमानगढ़ के लोग आपके सामने रखेंगे कि लोकतन्त्र में किस प्रकार से चुनावों में अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग किया और मनमाने तरीकों से जो भी हथकन्डे अपनाने थे अपनाये अगर इस तरह से खर्चा करेंगे तो लोकतन्त्र से लोगों की आस्था मिट जावेगी और लोकतन्त्र का जो पवित्र नारा है उसको लेकर हम चलते हैं उसमें सफल नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे चार्जेज़ है। इसके अलावा अनेक चार्जेज मेरे पास मौजूद है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग अपनी पार्टी की तरफ से करता हूं कि सरकार अपनी तरफ से गवर्नर को पत्र लिखे कि गवर्नमेंट हमारे केस को रिकमन्ड करे और इसकी जांच कराए। यदि हमें अपनी चद्दर को साफ करना है तो हमें चाहिये कि इसकी जांच कराये और हमारी चद्दर को साफ रखें। अगर आप अपनी चद्दर साफ रखना चाहते हैं तो आपकी हुकूमत इस बात को स्वीकार कर ले कि वह इस प्रकार का कमीशन बिठाने के लिये तैयार है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि इससे जनतन्त्र को आप जिन्दा रख सकेंगे इस बातके लिये हमारा दल बार बार प्रयत्न करता रहेगा और जिस तरह से कैरों को जाना पड़ा उसी प्रकार आपको भी जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवदन करूंगा कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे तो जनतन्त्र का हनन् होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान!

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैं कल बोलना चाहूँगा, साहब!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप अपना चान्स छोड़ रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान : अनुमति दे दी है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : प्रस्ताव आज पेश हो रहा है, कल कैसे बोल सकते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Who commands more power You or the Dy. Speaker ?

श्री तेजाराम गहलोत : Mover of the resolution should speak.

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रस्ताव मूव कर दिया गया है; बाकी सब समर्थक की हैसियत में हैं, इसलिए कल बोल सकते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल) : जो प्रस्ताव तथाकथित अविश्वास प्रस्ताव के नाम से है, विरोधी पक्ष के नेता ने रखा है उनके प्रस्ताव को मैंने ध्यान से सुना और मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे इन्होंने तो अपने राज्यकाल में कभी जुल्म किया ही नहीं। ६०० चूहे खाकर बिल्ली केदार कंकण पहन कर जा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : Order Order please Less of talking.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब विरोधी दल के नेता डूंगरपुर महारावल बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे कृष्ण रूपी जनता उनके साथ है और कंस रूपी शासन को नष्ट करने आ रहे हैं; लेकिन मैं आपको बताऊं कि आसुरी सम्पदा के मूर्तिमान स्वरूप आप बिराजमान हैं, विरोधी पक्ष के नेता। आसुरी संपदा इनकी रग-रग में भरी हुई है और ये असुर रूप में कंस मालूम पड़ते हैं। इन्होंने अपने राज्य में क्या किया था, यह मैं सदन को बतला देना चाहता हूं और मुझे इस सरकार से, होम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है कि उस असुर संपदा के व्यक्ति के खिलाफ आजादी मिलने के बाद भी आज तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? इन्होंने अपनी मोटर के पीछे बांध कर नाना भाई और सागा भाई को घसीटा और पीटा....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह गलत है, इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच की जाय और अगर यह साबित हो तो मुझे फांसी दी जाय। इस तरह झूठी बातें कह कह कर

(शोरगुल)

एलीगेशन लगाया जाता है, इसको मैं चेलेंज करता हूं।

(शोरगुल)

अगर साबित हो जाय तो मुझे फांसी की सजा दी जाय। मैं चैलेंज करता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसको नहीं बोलने दिया जाय। xxxx इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना बिलकुल गलत है, xxx

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सागा भाई अब तक जीवित है, उन्हें मोटर में बांध कर घसीटा गया, xxxx

(शोरगुल)

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चैलेंज देता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : पुरानी बातें कह कर आप बच नहीं सकते। जब ये चैलेंज स्वीकार करते हैं तो आप भी चैलेंज को स्वीकार करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कानों को कुम्हार के यहां पकवाकर सुनें, वह जीवित व्यक्ति आज भी मौजूद है।

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मैं मर्डरर हूँ तो मेरी मर्डरर के माफिक ट्रायल होनी चाहिए और मर्डरर को जो सजा दी जाय वह सजा मुझे दी जानी चाहिए। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि निष्पक्ष जांच करवाई जाकर इसे साबित किया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस चैलेन्ज को भी गवर्नमेंट को स्वीकार करना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You are a coward. मैं चैलेंज करता हूं। आप कॉवर्ड हैं, आप कॉवर्डिस की माफिक इस प्रकारके झूठे एलीगेशन लगातेहैं। मैं काउन्टर इस्तीफा एलीगेशन आप पर लगाता हूं; अगर साबित नहीं हो तो यहां देना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : किसी पार्टी को कोई कंस कहे तो वह अमुर सुनने को तैयार होगा। उनको मरा हुआ समझ कर खड्डे दखेल दिया गया। वही xxxx जिसने आजादी के सेनानियों को मार पीट की थी....

(शोरगुल-अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मुकुटबिहारीलालगोयल (बयाना) : एक व्यवस्था का सवाल यह है कि····

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : बैठ जाओ, बैठ दो इस × × × ×।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इनको ऐलीगेशन लगाना था तो इनको सूचना देनी चाहिये थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने सूचना नहीं दी है और बोल रहे हैं तो फिर हमको भी मत रोकना। क्योंकि यह परम्परा कायम कर दी है। इनके काले कारनामों का भण्डाफोड़ हम भी सदन के सामने करेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी मुर्दाफरोशी सामने लाई जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्या जालिमाना शासन उस समय उस व्यक्ति का था! उस क्षेत्र में आदिवासियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ललित मोहन आज उनके साथ बैठे हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया गया तो उदयपुर भाग कर आये वहां छात्रावास में उनको रखा गया। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उनसे डॉक्यूमेंट लिखा लिया····

(शोरगुल)

Page No. 80

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आज वही शख्स यहां बैठा है और कह रहा है कि मैं लीडर हूं विरोधी पक्ष का····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : न मैं लीडर हूं, न लीडर की दुम हूं। पर राजस्थान में आदिवासियों के उत्थान के लिये सबसे पहले काम करने वाला सबसे पहला व्यक्ति हूं।

(शोरगुल)

और इसका उत्तर रामनारायण चौधरी से पूछिये, भीखाभाई से पूछिये। भीखाभाई को किसने पढ़ाया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : On a point of order Sir, माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं, यह कहे हैं कि, आरोप कुछ भी लगाये, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, आरोप इधर से भी लगाये जाते हैं, उधर से भी लगाये जाते हैं·······

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हर बात की जुडियशियल जांच के लिये मैं चैलेंज करता हूँ। मै अपने शरीर को सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल एन्क्वायरी करने को तैयार हूं।

(शोरगुल, हियर-हियर, मेजों की थपथपाहट)

श्री मानसिंह महार : ×××× त्याग पत्र दे दो। करो हमारे चैलेंज को भी मंजूर।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप लोग भी दास कमीशन को मंजूर करो।

महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह: मैंने छात्र वृति देकर आदिवासियों को ग्रेजुएट बनाया। आपने कितनों को छात्रवृति देकर ग्रेज्युएट बनाया ? हाईकोर्ट के जजेज़ के द्वारा इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आदिवासियों को सबसे पहले किसने उठाने का काम किया।

श्री नत्थी सिंह: हाउस में कोई माननीय सस्य इस तरह माननीय सदस्यों को एड्रेस नहीं करें। आपने यह कहा कि यह ×××× आदमी यहां बैठा हुआ है ×××× बनकर, प्रोसिडिंग्ज़ देख लिजिये। इस तरह कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य को एड्रेस नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक पोइंट ऑफ ऑर्डर जो प्रस्तुत हुआ है उसमें यह कहा गया है कि फलाने फलाने व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से कहा गया, यदि पर्सनल रूप से वह वक्ता कह गये हों तो एक्सपंज कर दिया जाय।

(शोरगुल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अभी थोडी देर पहने आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने वक्ता महोदय के लिए यह कहा था ×××× कि वह प्रोसिडिंग्ज़ में से देख लिया जाय तो ये शब्द.....

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी तरह xxxx नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : These are also expunged.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था,....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह एक ऐसा मौका है जिसमें कुछ गर्मागर्म वातावरण हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि परस्पर वादविवाद अच्छे ढंग से हो; परन्तु पर्सनल रूप से किसी के प्रति न कहा जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह दोनों तरफ से लागू होता है; वहां से शुरू होता है तो यहां रिपीट होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दोनों के लिए कहा है। I have addressed both.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो उस शेर ने आदमी पर हमला किया। आदमी ने कुल्हाड़े से शेर को मारा, उसके लिए कोई इनाम नहीं दिया गया, लेकिन उस आदमी पर कीलों के बूट से कूदा तो उसको क्या सजा दी जाय ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किस समय कूदा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ शिकायत है। क्यों नहीं उन पर मुकदमा चलाया जाय ? १५ साल में लोगों को मकान नहीं दे सके और जैसे कि इन्होंने हजारों मकान बनाए थे। आपने तो गरीबों की जमीनें तक छीन लीं।

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई) : आपने हनुमानगढ़ वोटों से पहले बनाये और फिर तुड़वा दिए।

(शोरगुल)

आपने वोट लेने के लिए मकान वहां बनवाए और उसके बाद तुड़वा दिए। शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सेल्स टैक्स लागू हुआ है। हजारों आदमियों की सेना खड़ी है वसूली के लिए। एक आदमी जंगल बेचता है और लाखों रुपये के सेल्स टैक्स जमा नहीं कराता है, कहता है विरोधी पक्ष का लीडर हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप सजा दीजिये, मुकदमा चलाइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी मोरल ड्यूटी है जमाने कराने की।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे शिकायत है कि क्यों नहीं इनसे टैक्स वसूल कर पाते ? हजारों रुपये टैक्स के खा जाने वाले आदमी, जिन्होंने हजारों बीघा जमीन बेच दी और गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाया था कि....

श्री चौसरसिंह बावेल (बैगूं) : झूठ बोल रहे हो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हजारों बीघा जमीन डूंगरपुर महाराजा ने....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जमीन बेचना पाप है ? अगर मकान है, महल है और रुपया भी है तो इसमें मुझे जरा भी शर्म नहीं, लेकिन यह सब झूठ है और कांग्रेस सरकार को छीनना है तो विधिवत् रूप से छीन ले ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने दूसरों पर जुल्म किए हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो मुकदमा चलाइए ।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा वक्त इसमें से नहीं काटा जाय । महानपुरा गांव है । इसमें आदिवासी बसे हुए थे । वहां नाथूसिंहजो भीलवाड़े में खड़ा किया था सारी जमीन का मालिक उसको वहां बना दिया । उन आदि-वासियों को भगा दिया । आप कहते हैं कि आदिवासियों के मकान नहीं है । सरकार ने तो आदिवासियों को मकान दिये हैं ।

श्री मानसिंह महार : मुबारिक है, हमारा नम्बर भी आने दो ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहते हैं कि चुनाव में वर्कर्स के लिये लड्डू और पूरियां आई, जबकि गरीब जनता भूखों मर रही थी, गरीब जनता के लिए बड़ा दर्द है इनके दिल में, इनका रहन-सहन गरीब जनता के बराबर है । इनके कुत्तों को भी साधारण आदमी से अच्छा भोजन मिलता है । आपने गरीब जनता देखी है । भीलवाड़ा चुनाव में वहां डाक बंगलों में ठहरना, वहीं रहना और एक एक जगह एक एक जीप अड़ा दी, आप लोगों में गये, लोगों ने कहा शक्ल नहीं देखना चाहते । महारानी गायत्री भी गई । नाथूसिंह जिसने आदिवासियों को भगाया था उसको वहां खड़ा किया । लोगों ने उसको भी यही कहा । आप शिवचरण माथुर की बात करते हैं कि वर्मा साहब का दामाद है । आपके भी दामाद होते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारे १८,०००) रुपये लेकर फरार नहीं होते आपके दामाद तो १७ हजार रुपये कोआँपरेटिव के लेकर फरार हो गये ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे क्योंकि आपने छेड़ा इसलिए कहना जरूरी हो गया । जहां तक खाद्यान्न का विषय है, देश में अन्न की कमी हुई और यहां आधे राजस्थान में अकाल पड़ा । मुझे याद है, आपके दिनों में हजारों नहीं लाखों की तादाद में अपने प्रान्त को छोड़कर बाहर चले गये थे, लेकिन हमारी सरकार ने एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दिया, भूखा मरने नहीं दिया । आज जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके भी किसी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया, किसी ने अपनी जमीन या कुआ नहीं बेचा, अपनी जायदाद और बच्चों को, जागीरदारों और सरमाएदारों के पास गिरवी नहीं रखा । सरकार ने गरीबों को बचाया, आपको तो गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए और भविष्य में ऐसा करेंगे, यह मेरा विश्वास है । जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा है उन्होंने क्या किया है, हम जानते हैं । गरीबों के कुए छीने, उनके बच्चे बिकवाए....

Page No. 83

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हुकूमत तो आपकी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा - तो हम चला रहे हैं।

मैं आपके चैलेन्ज की बात करता हूं। मांडल के विषय में आपने यह तथ्य दिया....

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मुझे इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस जाति संस्था में विश्वास नहीं करती थी, वह अब करने लगी है और मुझे इस बात की खुशी है कि हीराभाई एक समाजवादी होने से अधिक नजदीक हैं, बजाय चन्दनमलजी के क्योंकि कांग्रेस जिस जाति संस्था से घृणा करती थी अपने में उनको बिठा रखा है और पार्टी का सेक्रेटरी बना रखा है। उनको निकाल दें तो मैं बधाई देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी माणिकजी के जाति के हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिनकी प्रशंसा तो ये कर रहे हैं यदि इनको और इनके भाइयों को माइन्स के टुकड़े नहीं देते तो अवाज भी नहीं निकाल सकते....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको अभी गुस्सा नहीं आया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गुस्सा नहीं हकीकत की बात कही है। गुस्सा नहीं आया है, मुझे सिर्फ तरस आया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : 'जहां' तक अकाल क्षेत्र आसींद और मांडल का ताल्लुक है कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं था और मजदूर कांग्रेस के साथ है इसलिए वे कांग्रेस को वोट देते हैं। उन्होंने इसलिए महारावल की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं जाता तो मजदूर पत्थर फेंकते। मजदूर जरूर पत्थर" फेंकते। आपकी बात वे सुनने वाले नहीं हैं।

आपने १७५ मोटरों की बात कही। कांग्रेस की ७५ भी नहीं थीं। आपके राजा महाराजाओं की गयी थी। महारानी गायत्री देवी भी गयी थीं। नाराज इसलिए हुए कि सब मिलकर गये थे, भानुमति के कुनबे की तरह से हनुमानगढ़ में सब इकट्ठे होकर गये थे, लेकिन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी और वहां से कांग्रेस जीत कर आयी। विश्वास अविश्वास का फैसला तो हनुमानगढ़ में हो चुका है, यहां क्या रखा है ? भीलवाड़ा में हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : महुआ को क्यों भूलते हो ! आपका फैसला तो वहां हुआ था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सदन आपका साथ नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष : You have finishoed.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He has resumed his seat.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेकॉर्ड की दूसरी साइड बदली जा रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात और बतलाऊं। हांडा साहब बड़े जोर से बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसी गलत परम्परा क्यों डाली जा रही है? आरोप लगाये गये हैं उनका जवाब दीजिये। हांडा साहब के खिलाफ अविश्वास नहीं है। आरोपों का जवाब देंगे तो बहस अच्छी चलेगी।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्टीज़ का प्रश्न है, मुझे तो सरकार से भी शिकायत है। अलवर में मंहगाई के विरुद्ध आन्दोलन चला, तोड़ फोड़ हुई लेकिन वह मंडी बिलकुल बच गई जहां भाई रामानन्द जी के भाई-बन्ध बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनके गोदामों में अनाज भरा पड़ा हुआ था। उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे सरकार से शिकायत है। रामानन्दजी को इससे शिकायत नहीं है। उनको तो होटल वालों से शिकायत है। उन्होंने अपने भाई बन्धों की शिकायत नहीं की। आपको शिकायत नहीं थी भोलारामजी, चुन्नीलालजी आदि आपके भतीजे, मौसी के लड़कों से। कम्युनिस्ट भाई की शिकायत नहीं थी क्यों कि वे उनके रिश्तेदार थे। सरकार वहां क्या कर रही थी? जनता से कांच तुड़वाये कलेक्टरी के, लेकिन अनाज पड़ा हुआ था उसको सरकार ने लिया नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : खाद्य मन्त्रीजी, उनको भी आपके अन्दर भरोसा नही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने सोहनलालजी, मिश्रीलालजी-किसी की भी तो दूकान कब्जे में नहीं की, सील नहीं लगाई। एक रिश्तेदार को डी. आई. आर. में होम मिनिस्टर ने रखा। ये तिलमिला गये। सारा वातावरण खराब कराया और हड़ताल करायी गई। सरकार कुछ नहीं बोली। हमें भी शिकायत है सरकार से। अलवर की हड़ताल के विषय की आप ज्युडिशियल जांच करवा लीजिये।

ऐसे ही सिनेमाओं और होटल वालों का था। अपने आदमियों को बचाया।

यह जो अलग पार्टी बनी है संयुक्त समाजवादी पार्टी, उसके एक सदस्य ने मरे हुओं की तस्दीक कर दी। ७०० रु. लिये गये। कर क्या रहे हो आप? राज्य चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? वह भाई जिन्दा ही नहीं। जागीरदार था। वकील हैं उस गांव में, तस्दीक करते हैं कि जिन्दा हैं। रकम उठा ली गई। आप कोई कार्यवाही नहीं करते। यह लिहाज-लिहाजी नहीं चल सकती। कहां हैं डिप्टी होम मिनिस्टर? गायब हैं। बात सही है नत्थीसिंहजी ....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : On a point of personal explanation, Sir, माननीय सदस्य ने, जो अनर्गल रूप से बात करने के आदी हैं और जो अपने भाई भतीजों के के नाम पर सुखाड़िया के चरणों में बैठ कर टुकड़े तोड़ते हैं........

(विपक्ष से हीयर हीयर)

(श्री नत्थीसिंह)

जिनकी भिक्षा पर पलते हैं, उन्हीं सदस्य ने पिछले सत्र में जब मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा था तो मैंने सुखाड़ियाजी के दामाद की, उनके साले की, उनकी पत्नी की और दूसरे लोगों की बात कही तब इन्होंने उनके इशारे पर इसी आरोप को दोहराया, उस वक्त भी मैंने अध्यक्ष महोदय से मांग की थी कि इस सदन की एक विशिष्ट कमेटी बिठाई जाय जो जांच करे कि मेरे पर जो आरोप लगाया गया है वह यदि सही है तो मुझे दंड दिया जाय या इन जैसे झूठ बोलने वाले और बरगलाने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह के गलत आरोप लगाते हैं उनको दंड दिया जाय ।

(हियर, हियर)

इन्होंने इतने गलत आरोप लगाये हैं कि यह मामला राज्य सरकार के सामने भी मैं भी आया, मन्त्री महोदय ने फैसला किया और उस फैसले में लिखा कि आरोप गलत है। मैंने स्वयं जाकर होम मिनिस्टर को लिख कर दिया था कि इसको आप जांच कराइये। होम मिनिस्टर ने इनकी बात को नहीं माना था। बार बार फिर ये आरोप लगाते हैं, वह किसी के दबाव से हो सकता है, सदन में भ्रम पैदा करना चाहते हो। हम यह कह सकते हैं कि हम इन जैसे आदमियों से कहीं ज्यादा करेक्टर वाले हैं, हम इन जैसे आदमियों की तरह करप्ट नहीं हैं, हमारे चरित्र में इन जैसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा उच्चता है। इन्होंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाये हैं मैं किसी भी हालत में दब नहीं सकता। मैं दूने जोश से, दूने उत्साह से ऐसे आरोपों की खिलाफत करना चहता हूं। ये जितनी जोर से आवाज करते हैं उतने ही जोर से झूठ बोलते हैं, इसलिए ये ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो दूसरों की भिक्षा पर जीवित रहते हैं, जो दूसरों के कृपा-पात्र हैं। जब ऐसी बातें यहां करते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बात जरा सी थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of Order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय....

(१. म० ५०)

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय, से आपकी सेवा में जो आरोप श्री नत्थीसिंह जी, भरतपुर से आने वाले विरोधी सदस्य पर माननीय श्री गोकुलप्रसादजी ने लगाया है, मैं उस बारे में प्रस्ताव करता हूं और आपको लिखित में भेज रहा हूं दो मिनिट में, कि इन आरोपों की जांच के लिए इस सदन की एक विशिष्ट कमेटी मुकर्रर करें उपाध्यक्ष महोदय, और उसकी रिपोर्ट इस सदन में अगले सत्र में, अगले साल के सत्र में पेश करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो होम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर दिया है कि गलत है।

Page No. 86

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं होम मिनिस्टर से शिकायत कर रहा था कि राम-प्रसाद....

("बैठो बैठो" की आवाज)

(शोरगुल-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : तुम्हारी तरफ ये भी इन चार्जों से आ जावेंगे, ऐसा नहीं है ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिए खड़े होने पर; 'बैठ जाओ, बैठ जाओ' की आवाजें,

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : मुझसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया....

(शोरगुल – अश्रव्य)

चूंकि यह मसला होम से सम्बन्ध रखता है, मेरे से सम्बन्धित है; अगर आप इजा-जत देते हैं तो....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप अपना जवाब जब दें तब कह देना ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन के माननीय सदस्यों को कमेटी बिठाने की दिक्कत न हो; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या मसला है ? मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री से मैं निवेदन करूंगा कि पहले गोकुलप्रसादजी को बोलने दें ।

("बैठ जाओ, बैठ जाओ" का शोरगुल-अश्रव्य-"इसे बिठाओ, इसे बिठाओ" की आवाज)

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a Point of Order, Sir....

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order!!

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : On a point of Order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have raised the point of Order, Sir....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir......

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष, आपकी आज्ञा को ये मानते नहीं हैं; बैठते नहीं हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have raised a point of Order.

He cannot, therefore, now rais the point of Order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can't raise. The Chair has given its observations. First you sit down.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पहले उसे बिठाओ ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

Page No. 87

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I have an independent point of Order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको पहले बैठना चाहिये, फिर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठ कर फिर बोल रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He is canvassing the observations of the Chair. यह चेयर का अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष : He has sat down and then he is now raising the point of Order.

(अनवरत शोरगुल, 'बिठाओ,-बिठाओ' की आवाज)

(श्री आचार्य के बैठ जाने पर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : That's like a good chap.

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of Order, Sir......

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आसन के सम्मुख एक प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुआ है और प्रस्ताव यह है कि किसी समिति का गठन किया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is no point of Order.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आसन के सम्मुख प्रस्ताव है और प्रस्ताव में कहा गया कि समिति का गठन किया जावे, इसकी जांच की जावे । आसन ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था दी है ? अगर वह विरुद्ध है तो मेरा एक्सप्लेनेशन न लिया जावे, नहीं तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ?

श्री मानिकचन्द सुराणा ने इस प्रकार से एक प्रस्ताव भेजा है :

"I move a motion that a committee of the House should be appointed to enquire into the allegation levelled by Shri Gokul Prasad against Shri Nathi Singh (Bharatpur) M.L.A.

The committee should be appointed by the Speaker and report in the next session."

इस विषय में जैसी कि सदन की परम्परा रही है सदन अपनी तरफ से किसी विषय की कोई कमेटी इन्क्वायरी की तरह नियुक्त नहीं करता । हां, हमारे यहां प्रिविलेज कमेटी अलग है । उसको दिया जाय, यह अलग बात है, अगर प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जावे तो ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लेकिन इस प्रकार से कमेटी बिठाना, यह परम्परा यहां नहीं रही है। तथापि जो मोशन मेरे सामने आया है उसके लिए रूलिंग स्पीकर महोदय के लिये रिज़र्व किया जाता है।

Shri Gokul Ptasad to proceed.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह चाहता था कि गवर्नमेन्ट यह बतावे कि रामप्रसाद जागीरदार भरतपुर जिले को अरेस्टेड किया है और जानते थे कि मर चुका है, उसको मुआवजा दिलवाया और ऐसा सदस्य यहां बैठा हो और सरकार की नजर में आ जावे और छूटा रह जावे, यह शिकायत बस मेरी है सरकार से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी निकम्मी सरकार को बदलना चाहते हैं तब तो हम।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसकी लिहाज क्यों की गई?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ऐसी करोड़ों लिहाजें की गई हैं, श्रीमान्जी, तभी तो हम हटाना चाहते हैं इस सरकार को।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भीलवाड़ा के चुनाव के बारे में विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि........

श्री उपाध्यक्ष : समय का आप ध्यान रक्खें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वहां चुनाव के लिये यह किया गया, यह सब निराधार है। उनको जानकारी नहीं है कि गंगापुर में जल योजना की क्या बात है? चुनावों के एक वर्ष पहले जल योजना की बात हुई थी और अभी तक भी पानी लगा नहीं है आने। कहा गया वहां बिजली पहुंचा दी गई। गंगापुर के आसपास में यह काम कर दिया गया, यह सब निराधार है।

सदन को विश्वास इस सरकार में है, और जनता का विश्वास भी है; आपने चुनावों में देख लिया। इसलिए मैं सदन से प्रस्ताव करूंगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को अपने बहुमत से गिरा दिया जावे मतदान के समय ताकि वह आइन्दा उठ न सके।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष उस पक्ष से बोलने वाले एक मन्त्री ने यह हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उन आदर्शवादी की बात को सुन कर मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई।

उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता के बारे में कुछ बातें कहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि विरोधी पक्ष ने नेता का पाक दामन साफ था इसलिये उन्होंने उनका चैलेन्ज स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे में गलती हो तो मुझे फांसी पर लटकाया जाय। अब मैं चाहता हूं कि उसी तरह ये जो भ्रष्टाचारी और दुराचारी इन सरकारी बैंचों पर बैठने वाले मन्त्री, उपमन्त्री हैं वे भी आज इस सदन में खड़े होकर कहें कि हमारे दामन पर अगर भ्रष्टाचार को, रिश्वत खोरी को, व्यभिचार

(श्री मानसिंह महार)

के आरोप होंगे तो हम भी उनकी जांच कराने को तैयार हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

अरे एक तो खड़े होकर कहो।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं आज इस कैबिनेट वालों में खड़े होकर कहने की हिम्मत नहीं है। हो तो खड़े होकर कहें। उठो। × × ×

(शोरगुल-अश्रव्य)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य के खड़े होने पर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रकार से व्यवस्था की जा चुकी है उसके अनुसार अभद्र वाक्य नहीं प्रयोग में लाये जावेंगे और यह जो ××× का शब्द है इसको एक्सपन्ज किया जाता है प्रोसीडिंग्ज़ में से।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह तो साहित्यिक शब्द है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मानसिंह महार : तो उपाध्यक्ष महोदय, सदन का वातावरण कुछ ऐसा दूषित बनाया गया कि हमारे विरोधी पक्ष का जो हमला सरकारी पक्ष के भ्रष्टाचार की ओर था उसको छिपाने की कार्यवाही की गई, उसको रोके जाने की कार्यवाही की गई और राजाओं के युग की बात लाई गई। अरे, राजाओं का युग तो समाप्त हो गया, अक्ल मारी गई, उस युग की क्यों बात करते हो? आज तो १५ या १७ वर्ष का कांग्रेस का सड़ा और गला युग है जिसकी बात हम करना चाहते हैं। अगर आप राजाओं के युग की बात करेंगे तो हम राणा प्रताप की बात करेंगे, महाराजा मानसिंह जयपुर के युग की बात करेंगे, दुर्गादास राठौड़ के युग की बात करेंगे। वह इतिहास तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा ...

एक माननीय सदस्य : उनका मुकाबिला आप नहीं कर सकेंगे।

श्री मानसिंह महार : आप जरा सुनो। मैं निवेदन कर रहा था कि राजाओं के युग की अब क्या बात करनी, युग तो आज कांग्रेस का है, यह युग प्लानिंग का युग है, हमारी सरकार हर कदम पर प्लानिंग करती है, प्लान्ड इकोनोमी में विश्वास करती है, प्लान्ड प्रोडक्शन में विश्वास करती है। यह तीसरा प्लान चल रहा है। मैं तो प्लानिंग में रत सरकार की बात बताता हूं, आज वह हर काम प्लान्ड वे में करती है। रिश्वत लेती है। तो प्लान्ड वे में व्यभिचार करती तो प्लान्ड वे में और भी जितने काम करती है सारे प्लान्ड वे में करती है। एक मंत्री से दूसरे मंत्री की, एक उप-मंत्री से दूसरे उप-मंत्राणी की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। आज तो इनकी बात करो। क्या राजाओं के युग की बातें करते हो? मुझे दुख दुख होता है जब कि उस जमाने की बात करते हो। पुराने युग में तो मीलों को घसीट लिया और वह युग था जब आपको भी घसीटा गया था और कांग्रेस का युग है तो आपको भी

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)

गंगापुर में जूतों से मारा गया । क्या हो गया, आप जरा सोचकर तो कहें । अभी तो वहां के आंसू भी अच्छी तरह नहीं पुछे हैं ।

मैं कह रहा था कि सदन के सम्मुख प्लानिंग की बात आनी चाहिए । हमारी सरकार प्लानिंग करती है । अभी कहा गया, आदिवासियों के लिए मकान बना दिये और हजारों मकान बना दिये । बनाइये, मैं भी मानता हूं । यह सरकार मकान तोड़ती नहीं है, यह गलत बात है । मेरे पास एक ताजा फोटो है जिसमें सरकार का बुलडोज़र मकान तोड़ रहा है । इसमें गरीबों के मकान तोड़े जाते हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार के द्वारा । मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है, प्लानिंग कीजिए मगर जब रियासतों का जमाना था तो हम पढ़ाई का टैक्स नहीं देते थे, जब रियासतों का जमाना था तो हम सेल्स टैक्स और न मालूम क्या क्या टैक्स-वैक्स कुछ नहीं देते थे और रियासतों को आमदनी बहुत कम थी । लेकिन आज आपने १०-१२ करोड़ की आमदनी को ८०-६० करोड़ कर लिया और आपका इतना निकला हुआ पेट अब भी नहीं भरा । अब भी आप कहते हैं कि अभी तो और टैक्स लगाना बाकी है । प्लान के बारे में मैं जानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या करना चाहिए ? हमारी सरकार प्लानिंग करती है और प्लानिंग भी किसका हमारी समाजवादी सरकार का । यह और कोई सरकार नहीं है, समाजवादी सरकार है । वह तो सब को बराबर करना चाहती है । मुबारकबाद देता हूं इस सरकार को कि हम सबको समदृष्टि से देखती है । जितने भी उधर बैठने वाले हैं उनके लिए सच्चा समाजवाद अभी आया है । बेचारे कोई तो किसी बनिये का लिखने-पढ़ने वाला था और ५०), ६०) रुपये का नौकर था और कोई क्या था । कोई बीकानेर से सुखाड़िया जी की पगचम्पी करने से उदयपुर डिवीज़न में आधमका और कांग्रेस के चीफ व्हिप नाराज भी होंगे । अन्याय है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि कितनी 'जी हुजूरी' कर सकते हैं, कितना नीचा गिर सकते हैं, यह हमने देख लिया । हम जानते हैं लेकिन हम नाम लेना नहीं चाहते । हम व्यक्तिगत आरोपों में विश्वास नहीं रखते; उपाध्यक्ष महोदय, हम तो जनरलाइज़ करना चाहते हैं ।

मैं अब कुछ तथ्यों की ओर आता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह व्यक्तिगत आरोप कैसे नहीं हुआ ? बीकानेर से उदयपुर डिविज़न में तो गोकुलप्रसादजी ही हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं उनका नाम नहीं लेता । मेरे वे अभिन्न मित्र हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तो सरकार है । सरकार में बैठने वाले मंत्रियों के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं । वहां व्यक्तिगत रूप नहीं रहेगा । मेरे चन्दनमलजी वैद दोस्त हो सकते हैं, मैं बरकतुल्ला साहब का भी दोस्त हो सकता हूं और भी कई हो सकते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा मत गिनाओ, नहीं तो हवा निकलेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ये मित्रों का नाम ले लेते हैं, मगर घर वालियों का नाम नहीं लेते हैं ।

श्री मानसिंह महार : जब वे मंत्री बन जाते हैं तो मैं हैल्थ मिनिस्टर के लिए एक बात जरूर कहूंगा, फूड मिनिस्टर के लिए भी कह सकता हूं या हमारे पॉवर और पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर हैं उनके लिए भी कह सकता हूं। इसलिए मैं अपने एक-दो दृष्टान्त सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। समाजवादी सरकार, समाजवादी रचना और उसके बाद किसानों का उत्थान सर्वोपरि के बारे में दो राय नहीं हैं। कृषि मंत्री श्री नाथूराम जी मिर्धा जो कि किसानों के ठेकेदार हैं, बल्कि उनके बिना तो कोई किसानों का उत्थान नहीं कर सकता उनके राज्य में हमारे उप-मंत्री कोऑपरेटिव के श्री भीमसिंहजी के घर में पानी घुस गया तो उनकी १५०-२०० बोरियां सीमेन्ट की भीग गईं और वे बाहर निकल गईं। इसमें क्या हर्ज है कि एक उप-मंत्री ने १५०-२०० बोरियां सीमेन्ट की रख लीं। हमारे गांव में जाइये तो पंचायत समिति गोविन्दगढ़ और पंचायत समिति आमेर में आज भी किसान दो दो बोरियों के लिए तरसते हैं। मैं यह सीधा आरोप लगाता हूं इस सरकार के ऊपर कि जयपुर के कलेक्टर के पिछले ६ महीने के जो परमिट काटे हुए हैं उनको देखा जाये कि किस इनफ्लुएन्शियल आदमी को किस प्रकार से कितनी सीमेन्ट दी गई है और काश्तकारों को किस प्रकार से वंचित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह शर्म की बात है ! आप कहते हैं कि प्लानिंग में प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाये, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं।

आप पंचायत समितियों में जाइये, हमारे गांवों में जाइये और देखिये उपाध्यक्ष महोदय, कि कुए अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसी मिसालें बताऊं कि सीमेन्ट के बिना कुओं के अन्दर मिट्टी घुस गई और कुए तहशनहश हो गए। एक ही जगह थोड़े ही है। प्रोडक्शन तो जैम सिनेमा या गोलेछा टॉकीज़ हैं, जहां कि हजारों टन सीमेन्ट फूंक दी। यह इस सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार सिनेमा घरों में जहां कि मनोरंजन होता है उनको तो इतनी इतनी सीमेन्ट सरकार दे और गरीब किसान इस सरकार को लानत दे और कहे कि हमें सीमेन्ट नहीं मिलती इस सरकार को और उस सरकार के गृह मंत्रीजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि श्री नाथूराम मिर्धा अगर राजस्थान के किसानों को सीमेन्ट नहीं दे सकते हैं और अगर अपने साथी कोऑपरेटिव के डिप्टी मिनिस्टर को १५० या २०० बोरियां सीमेन्ट दे सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। He should resign from the cabinet and should go to his home.

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of explanation. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। २०० बोरियों की गलत बात कहते हैं। १०० बोरियां कोठो व कुआ बनाने के लिए आई थीं। वहां पर कुआ बन रहा है।

विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य : १०० तो मन्जूर करते हैं। शेम-शेम।

श्री भीमसिंह : कुए के लिए कोई सीमेन्ट लेना गुनाह है क्या ? मैं खेती करता

(श्री भीमसिंह)

हूं। मेरे पास कुए हैं वह इनसे पूछ लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १०० बोरी सीमेन्ट किस किसान को देते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कोशन के सम्बन्ध में एक सुझाव यह करना चाहता हूं कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन या दूसरी चीज हुई है तो हर चीज पर पर्सनल तरीके पर चलना गलत है। कोई ऐसी बात हो जो एलिगेशन उधर से आये उसको केवल कन्ट्रोवर्ट कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि यह गलत है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की नहीं है। जब मौका आये तो एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए। जब बहस में पड़ते है तो ठीक नहीं रहता है। मना करने के बाद में सही जवाब दे दिया जाय, वह बात समझ में आती है; नहीं तो यह सारी बहस कहीं की कहीं चली जाती है। जो पॉलिसी का सवाल हो उस पर कहिये। जो करप्शन के सवाल हैं वे व्यक्तिगत रूप से हो रहे हैं, वह गलत समझता हूं। वह सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो बात कही वह अपने घर में सुधार करने के बाद कहते तो उचित था। शुरुआत उधर से हुई है। होने के बाद हमारी मजबूरी हो जाती है।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने १०० बोरी लेना स्वीकार किया है। इसके लिये मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं और इस तरह से लोग अपनी गलतियां मानने लगे तो गलतिया नहीं होंगी।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक एक महकमे पर आता हूं। अब मेरा नम्बर शिक्षा विभाग का था: लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दा साहब नहीं हैं। मैं एक बहुत दिलचस्प उदाहरण इस सदन के सामने रखना चाहता हूं शिक्षा में। इसकी उप मंत्री जी भी ताईद करेंगे कि इस सरकार ने चहुमुखी प्रगति की है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ नहीं चहुंमुखी की है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। अरे, इस हमारी आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ो मत, इस तरफ भी ध्यान दो। आप तहसील बैराठ के इस धोली गांव के हैड-मास्टर की पिटाई के सिलसिले में अभी पधारे थे। वहां क्या क्या कारनामे हुए हैं; उप-मंत्रीजी, आपको मालूम है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत अच्छी तरह से।

श्री मानसिंह महार : वहां पर एक गुलाबचन्द नाम के मास्टर हैं, जिन्होंने ५० लड़कों के साथ में सोडोमी की है। यह आपके काल की बात है। गुलाबचन्द उस मास्टर का नाम है। मैं 'दा साहब' को भी बताना चाहता हूं कि इस घृणित कुकृत्य के लिए उसे सजा यह दी गई है, धोली से दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया है। आप नोट कर लें कि गुलाबचन्द उसका नाम है। उसको आपके इन्सपेक्टर भी जानते हैं और डिप्टी डाइरेक्टर भी जानते हैं....

Page No. 93

श्री निरंजनाथ आचार्य : On a point of explanation, Sir, सोडोमी का आपको ज्ञान है, मुझे अभी तक नहीं हुआ है। आप जब अभी ज्ञान दे रहे हैं तो उसकी जांच करके प्रमाणित होने पर माकूल सजा दिलाने का प्रयास करेंगे।

श्री मानसिंह महार : आपको ज्ञान नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं था। आप तो एक्सपर्ट थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका बड़ा ज्ञान है।

श्री मानसिंह महार : मैं उनकी बात को मानता हूँ। मैं नहीं कहता कि वह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I congratulate you for this classical jock.

श्री मानसिंह महार : वह धोली में हायर सैकन्डरी स्कूल है और वहां पर ३ मील की दूरी पर राणावास में हाई स्कूल है। उसमें और इसमें खींचतान चल रही है। राणावास हायर सेकन्डरी स्कूल जो कि उप-मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल की प्रेरणा से खुला था वहां पर लड़कों की कमी है, तो वहां से थोड़े बहुत आ जायं तो वहां के कांग्रेस के नेताओं ने वहां के धोली स्कूल के छात्रों को बहकाया। अगर यह गलत साबित हो जाय तो उप मंत्रीजी कह दें। मैं फिर कहता हूं कि बहकाया है कि किसी तरह से धोली का हायर सेकण्डरी स्कूल बन्द होना चाहिए। उनसे कहा कि आप लोगों को वहां आने के बाद में सब प्रकार की छूट मिलेगी। यह नमूना तो देखिए आपकी सरकार की चहुंमुखी शिक्षा की प्रगति का....

श्रीमती कमला बेनीवाल (उपमन्त्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चहती हूं कि बहकाया है तो क्या सबूत है इनके पास?

श्री मानसिंह महार : मैं आ रहा हूं। आप सुन लें। आप मत बोलिए; मैं खुद ही वहां आ रहा हूँ जहां आप मुझे ले जाना चाहती हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं कह रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि धोली हायर सेकेंडरी स्कूल के ११ लड़कों को बहकाया गया कि यह हैड मास्टर धोली स्कूल को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए इनकी पिटाई की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन विश्वास नहीं करेगा कि हैड मास्टर और उसके एकअसिस्टेन्ट टीचर जब अपने गांव से बाहर शाम के समय निपटने के लिए गये तो लकड़ियों से लड़कों ने पीटा। यह डिसिप्लिन हमारे मन्त्री और उप-मंत्री बच्चों को सिखाते हैं ? यह बड़े शर्म की बात है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद सिखा कर आये हैं और दूसरों का नाम लगाते हैं।

श्री मानसिंह महार : आप सुनती जाइये, घबराइये मत। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। आपको बख्श दूंगा क्योंकि आप मेरी....

श्रीमती कमला बेनीवाल : ये बातें हाउस में कहना बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं।

श्री मानसिंह महार : उन लड़कों को पीटने के लिए माननीय उप मंत्रीजी के राइट हैंड मैन, श्री भैरोंलाल पुजारी और हनुमान व्यास, राणावास ने कहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं चैलेन्ज करती हूं। माननीय सदस्य की आदत पड़ गई है गलत बोलने की।

श्री मानसिंह महार : आप तिलमिलाइये मत, सुनिये। उप मंत्रीजी गलत होंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरासर गलत है। इस तरह की बातें आप हाउस में कहते हैं।

श्री मानसिंह महार : आचार्यजी जवाब दे देंगे। यह एजुकेशन है!

श्रीमती कमला बेनीवाल : आचार्यजी अपनी बातों का जवाब देंगे।

श्री मानसिंह महार : थोड़े से कारनामे रख रहा हूं। अभी तो शुरुआत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : On a point of order, Sir....

श्री मानसिंह महार : पूरा सुन कर जवाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am addressing the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है, मैं सिर्फ कॉशन के पोइन्ट पर अर्ज कर रहा हूं कि घोली गांव में जो कुछ भी हरकत हुई....

कई माननीय सदस्य : No point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुना ही नहीं है और कह दिया कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर गलत है।

उसका इन्वेस्टीगेशन हो चुका है, the case is sub-judice. इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पोइन्ट पर विश्लेषण यहां नहीं होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य को कॉशन दिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : This is no point of order. It should be ignored.

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करूं कि उपमंत्री जी चाहते बहुत अच्छा हैं। ये कुछ कहने के लिए मजबूर हैं।

मैं चहुँमुखी प्रगति बता रहा हूं एक एक डिपार्टमेंट की। शिक्षा में कैसी प्रगति हुई है! बांसवाड़ा में हायर सेकन्ड्री स्कूल पांच पांच क्यों नहीं हों, श्री श्री १०८ हरिदेवजी जोशी वहां से चुन कर आये हैं। उनके क्षेत्र में ५ क्या १०० हायर सैकन्ड्री स्कूल हो जाय, उपाध्यक्ष महोदय, तो भी कम हैं। आमेर से गरीब मानसिंह महार चुन कर आया तो वहां से हायर सैकन्ड्री नदारद। एक भी हायर सेकेन्ड्री मेरी कांस्टीट्युएन्सी में नहीं है। तीन वर्षों से कह रहा हूं कि मंत्रीजी एक भी हायर सैकन्ड्रीस्कूल मेरी

(श्री मानसिंह महार)

कांसटीट्युएन्सी में हीं है, मंत्रीजी, महरबानी करो लेकिन वे तो अपने ही लोगों को हायर सैकन्ड्री बख्शीश करते हैं। मैं तो इसको बख्शीश ही मानता हूं। कुछ चारण भाट इधर-उधर के आकर भीख मांगते हैं और उनको भीख दी जाती है। मैं भी आपसे भीख मांगता हूं। मुझे भी भीख दे दो तो उद्धार हो जाय लेकिन मुझे भीख मिलेगी नहीं। मैं मानता हू हमारे यहां हायर सैकन्ड्री नहीं होगी, क्योंकि ३० मील में हायर सैकन्ड्री नहीं होना अन्याय नहीं है। उनकी दृष्टि तो चश्मे में बंद है और दा साहब बुजुर्ग हैं, उनसे तो क्या कहूं।

अब मैं आता हूं छोटे से मेडिकल और हैल्थ पर·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोटासा है या मोटा है ?

मानसिंह महार : मैं ज्यादा नहीं, ए बात कहूंगा। यदि न्याय-अन्याय भी दुनिया में कहीं है, यदि कोई कहता है कि न्याय होता है या अन्याय होता है तो वह देख लिया जाय, डॉक्टर मेहता के साथ हमारी सरकार का क्या सुलूक है। डॉक्टर मेहता को बीकानेर भेजा और वहां पर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सोने में कहींकोई मेख लगती है। वे बिल्कुल बरी हुए और हमारे मंत्रीजी की छाती पर डाइरेक्टर हैं। दुःख हुआ मंत्री जी को। मंत्रीजी कहते हैं, मेहता अच्छा आदमी है। बरकतभाई भी कहते हैं अच्छा आदमी है, हमारे और उनके दृष्टिकोण में फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बरकतभाई कहते थे फला डाक्टर का तबादला कर दो तो डाक्टर मेहता कहते थे कि आप लिख दीजिये, 'मैं कर दूंगा। इतना सा फर्क था क्यों कि किसी डॉक्टर से पैसे लेने का डॉक्टर मेहता का सवाल नहीं·······

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बरकतभाई पैसा लेते हैं क्या?

श्री मानसिंह महार: मैं इतनी बात नहीं कहता, लोग कहते तो मैं क्या करूं; लोग कहते हैं। बरकतभाई पैसा नहीं लेंगे.......

श्री बरकतुल्लाखां (चिकित्सामंत्री): प्रिविलेज मोशन आया था।

श्री मानसिंह महार :आया तो मैं लड़खड़ा गया। उन्होंने मूव नहीं किया, लेकिन लड्ढाजी अब भी कर दें·······

श्री बरकतुल्लाखां : मूव तो किया था, स्पीकर साहब के सामने मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ करें।

श्री मानसिंह महार : तो मेहता साहब को वहां से भी हटाया गया और मोबाइल सर्जीकल युनिट में डाल दिया गया—बीमारी मत फैलाओ। आप सोचिये काबिल ऑफिसर के कद्रदान हैं बरकतभाई। मगर जो बरकत भाई हैल्थ मिनिस्टर हैं उनकी हैल्थ किधर जा रही, है वे भी सुन रहे हैं, उनकी हैल्थ चन रही है। मेहता साहब डाइरेक्टर रहे तब तक उनको खरीद फरोख्त का महकमा नहीं दिया। ईमानदार आदमी का खरीद–फरोख्त से क्या काम ? अपनी कमाई जाती रहेगी। अब तो आपने

(श्री भानसिंह महार)

उनको वहां से भी उखाड़ दिया, इतने स्ट्रौंग आप हैं।

अब देखये फूड एंड एग्रीकल्चर का महकमा। बहुत अच्छा महकमा है। यदि फूड एंड एग्रीकल्चर की तरक्की हो जाय तो राजस्थान में रोटी रोजी की समस्या हल हो जाय और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिये, वह भी हल हो जाय, नाथूरामजी खुद किसान हैं, हल जोते हुए हैं, ट्रेक्टर चलाये हुए हैं, वे खुद जानते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है; लेकिन फूड को आपने किस तरह से डील किया, कितनी योग्यता से डील किया? पिछले सैशन में फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर रखा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसका विरोध किया था तब आपने कहा कि स्वतंत्र पार्टी दकियानूसी है, प्रगतिवादी नहीं है। लेकिन जब भीलवाड़ा का चुनाव आया तो खुद दकियानूसी हो गये और लाइसेन्सिग ऑर्डर को विथड्रॉ किया। एक एम० पी० के लिये राजस्थान की जनता को माननीय फूड मिनिस्टर, नाथूरामजी ने भूखों मार दिया, यह नाथूरामजी पर लांछन है, जो मंत्री यह कहते थे कि हमने एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया, उन्हीं नाथूरामजी से कहता हूँ कि एक रुपये सेर गेहूं और रुपये का डेढ़ सेर जौ और बाजरा आपके राज्य में बिके और आप कुर्सियों पर बैठे रहें तो इस बात को रूस वाले भी बर्दाश्त नहीं करें। यदि वहां इस तरह हो जाय तो रूसवालों ने ख्रुश्चेव को एक रात में हटा दिया। लेकिन यह तो राजस्थान है। अपने तिकड़म से आपने बनियां को क्या दे दिया, हम जैसे जागीरदारों को क्या दे दिया और किसानों को झूठा लोभ लालच दे दिया और आप खोटी कमाई से चलते हैं।

आप जयपुर की बात कहते हैं। मैं बताता हूं, हमारे यहां किस तरह से दुर्भाग्य की स्थिति है। आप कहेंगे कि फूड डिबेट में नहीं कहा, ४० आदमी नहीं मिलते हैं। कान खोल कर सुनिये, जयपुर में चीप ग्रेन शोप्स खोली हैं, लेकिन हर पन्द्रहवें दिन कलेक्टर कह देता है गांवों के सेल्समैन को १०-१५ दिन से नाज नहीं आता। आज परिस्थिति यह है कि १० दिन से गावों के सेल्समैन इन्डेन्ट देकर बैठे हैं और आपको कोस रहे हैं उनको नाज़ नहीं मिलता। जब पूछते हैं तो गोदाम वाले कहते हैं कि चले जाइये। आप मेरे साथ जयपुर साउथ के गोदाम पर चलिये मैं कहूंगा नाथूरामज मैं आपका नाम नाथूरामजी नही बताऊगा खरताराम बतादूंगा। वे आपसे कहेंगे कि कलेक्टर की आज्ञा है कि जयपुर वालों को दो नाज बाहर वालों को मत दो, यह हालत है आपके दूकानों की। आप दूकानें बन्द क्यों नहीं करते उधर बैठने वाले लोग आपकी खुशामद करने के लिये कहते हैं कि नाज बहुत है, भूखों मरे नहीं है। इस ओर भी आप ध्यान दीजिये। यदि आपने चीप ग्रेन शोप्स बंद कर दीं तो इलाकों में फूड रायेट्स होंगे और उसके लिये आप जिम्मेदार होंगे। आज मैं कहता हूं कि कलेक्टर जयपुर को हुक्म दीजिये कि वह तानाशाही हुक्म न दे। गांववालों को १०-१५ दिन से नाज नहीं दिया है, उनको नाज दिलाइये। दूकानें तो आपने खोलदी, लेकिन वहां पर जो अव्यवस्था बढ रही है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आपने कहा था कि एनफोर्समेन्ट ऑफिसर रखेंगे। एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर्स

(श्री मानसिंह महार)

के लिये इन्टरव्यु हुए और लिस्ट हावा साहब की जेब में धरी है, पता नहीं कहां हवा हुई।

यह हालत है सरकार की जो रोटी-रोजी देने के लिये अयोग्य है, वह सरकार रहनी चाहिये ? मैं उधर बैठने वाले भाइयों से कहता हूं कि आप लोग त्यागी और तपस्वी हैं, आपने बहुत त्याग और बलिदान किया है, लेकिन आज आप जनता को अनाज नहीं देते। वह अनाज भी कौनसा ? आपकी योग्यता से प्रोक्योर किया हुआ नहीं, लेकिन वह अनाज जो अमेरीका ने आपको बख्शीश के रूप में दिया है, जिसकी कमी नहीं भारत में; जितनी मनी का सर्क्यूलेशन है उससे आधे पैसों का गेहूं अमेरिका इस देश को देता है। उस अनाज का भी दुरुपयोग ? आप सोचिये। आराम फ्लोर मिल मेरे एरिया में है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जोशी के भाई के लड़के हैं।

श्री मानसिंह महार: मैं किसी के भाई, किसी के लड़के का नाम नहीं लेता, उपाध्यक्ष महोदय। उसको एक परमिट दी, उसकी जांच कराई जाय। जयपुर की हमारी पंचायत समिति के सदस्य, कालाडेरा के महाजन, उनको परमिट दिया गया कि बीकानेर में ले जाकर सौ बोरी आटे की बेचो। आप सोचिये, बीकानेर की जिसने जिन्दगी नहीं देखी, जयपुर का आदमी, उसका नाम भी बता दूं आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि तुम तो बेसलेस चार्ज लगाते हो। भूरामल सहरिया, कालाडेरा उनका गांव है, उसको आटे का परमिट दिया गया कि बीकानेर में लेजा कर बेचो। उसमें क्या मीठा था ? क्या शक्कर लगी हुई थी ? यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, वहीं शक्कर भी गई जिस प्रकार गुड़ गया जयपुर से, उसी प्रकार से गुड़ लगा हुआ था। भूरामल सहरिया, आप नोट कर लीजिये। मैं देख रहा हूँ, उप मंत्री जी, आप कुछ एब्सेन्ट माइन्डेड हो रहे हैं, दिमाग में आ नहीं रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बात कही जाय उस पर ध्यान दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): डांगीजी प्रिविलेज मोशन लायेंगे ?

श्री मानसिंह महार: लोग कहते हैं कि डांगी जी मोशन लायेंगे। मैं तो डांगीजी का बहुत तुच्छ सेवक हूँ। मैं तो उनसे उम्मीद करता हूँ, ३० नवम्बर, जो हमारे पूज्य बापू का, जिनका मैं आज भी सबसे बड़ा पुजारी हूँ....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ३० जनवरी !

श्री मानसिंह महार: मैंने भी ३० जनवरी कहा है। जिनका सबसे बड़ा पुजारी मैं हूँ, उनकी आत्मा आसमान में न रोये, ऐसे कारनामें न करके मांस और मदिरा का प्रयोग न करें। मैं उनका सेवक हूं, बापू का। मैं आज जब बापू के नाम पर वोट

Page No. 98

(श्री मानसिंह महार)

मांगने वालों को इस प्रकार अन्याय रूपी काम करते देखता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है और हार्ट अटेक होने लगता है। लेकिन मुझ पर प्रिविलेज मोशन लायें या नहीं लायें, मेरा उन पर लांछन है, अगर इस प्रकार के घृणित कुकर्म करते हैं और गांधी निर्वाण दिवस पर और वह हरिभाऊजी के पीछे बैठ कर, तो इससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं है, मैं आपसे निवेदन करू ।

अब मैं अपने लाडले, सबसे प्रेमी क्रय विक्रय संघ पर आता हूं । मुझे बड़ी खुशी है कि सदन में अगर किसी आदमी को प्रमोशन दिलाना है तो उस पर चोरी, डकैती, बेईमानी के लांछन लगे हों। मगर मैं बाहर यह बात नहीं कहता हूं। बाहर मैं यही कहता हूं कि सुखाड़िया साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने जिस आदमी पर क्रय विक्रय संघ के घोटाले के इतने लांछन लगे थे उसको दिल्ली में रखना उचित नहीं समझा । इतने महान् व्यक्ति ! हमारे मोहनलालजी सुखाड़िया की दिल्ली में बद-नामी होती है कि राजस्थान का एम० पी० क्रय विक्रय संघ में घोटाले करे, तो क्या तर-कीब निकाली कि राजस्थान की केबिनेट में तो सब कुछ चलता है कितना ही गोलमाल हो, सब कुछ चलता है । दस-बीस की कमाई ज्यादा होगी मित्रों की। तो राज्य सभा से इस्तीफा दिला दिया गया और चौधरी साहब को हनुमानगढ़ से चुनाव जिता कर लाये....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस्तीफा बाद में दिया है।

श्री मानसिंह महार : मगर हो गया। हमको क्या कि रिपीट करें । इस वक्त सुखाड़ियाजी हैं नहीं, उनको मैं बहुत मुबारिक-बाद देता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दोस्ती है ।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल । मेरे मित्र हैं। तो राजस्थान के मुंह पर कलंक लगाने वाले को पार्लियामेन्ट से राजस्थान में बुला लाये। अब लड़ाई घर की रह गई है। चाचा कितना योग्य है, यह कांग्रेस में बैठने वाले सभी जानते हैं । मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): तारीफ कर रहे हैं । :

श्री मानसिंह महार : इतने दिन ठोकरें खाने के बाद, हनुमानगढ़ में सम्मिलित विरोध होने के बाद जीत कर आये....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :आपकी छाती पर आये हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारी छाती पर आये। इसकी मैं ताईद करता हूं। मैंने कब कहा, "नहीं"। बिल्कुल आये । कैसे कैसे पुराने कारनामे ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जनता का विश्वास लेकर आये हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैंने कभी नहीं कहा कि जनता का अविश्वास प्राप्त किया। जनता ने वोट दिये तब ही आये। गंगानगर

(श्री मानसिंह महार)

की इधर उधर की राष्ट्रीयकरण की नीति को "दा साहब" से और किसी साहब से बदलवा दिया और हरिरामजी की पानी की नाली; पानी के आने-जाने की नाली बन्द करा दी, या और कुछ किया होगा। हमें क्या इससे? वे जीत गये। आपने कहा कि कांग्रेस को जो वोट नहीं देगा उसका मकान तुड़वा देंगे। कोई हर्ज नहीं। चाचा हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं और जिन दिनों वे इन बैंचों को सुशोभित करेंगे उस दिन खुशी होगी। इस केबिनेट में जो ईमानदार का बच्चा हो, तो कुर्सी को छोड़ कर कहे कि हम इधर बैठेंगे; ये तो पूरी बैंचे खराब हो गई। लेकिन वह नहीं होगा, इतने गट्स नहीं है। बेचारे अन्दर ही अन्दर जरूर बुराई करते हैं। लेकिन क्या करें, मंत्री-पद ऐसा है, जिसकी कोई हद नहीं। क्रय-विक्रय संघ के लिए पैंतालीस एम. एल. ए. ने जांच के लिए लिखा। कितने? पंजाब में दास कमीशन बैठा, सब हुआ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य। पैंतालीस एम. एल. ए. द्वारा लिखने के बाद भी कुछ नहीं। उपमन्त्रीजी ने परसों कहा—बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट स्पीकर महोदय को दे देंगे। मैं जानता था, अविश्वास प्रस्ताव की बहस तक वह रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी स्पीकर महोदय तक। इसको क्या कहूं—यह भ्रष्टाचार है, अनाचार है, यह क्या है; इस चीज को क्या कहूं? उप-मन्त्री जी, खुद मंत्री जी बतायें—वह रिपोर्ट क्यों नहीं आई हमारे अध्यक्ष के पास? यदि आप इतने अयोग्य हैं कि आप लोगों के दबाव में आकर रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय को....

श्री भीमसिंह (उप मन्त्री, यातायात): यह गलत कहते हैं। अध्यक्ष महोदय के पास पेश कर दी गई है। यह झूठ कहते हैं।

श्री मानसिंह महार: कब की गई है?

श्री भीमसिंह: जब अध्यक्ष महोदय ने फर्माया तब कर दी गई।

श्री मानसिंह महार: नहीं की गई। झूठ बोलते हैं। कल शाम को मैं उनके पास मौजूद था। कल शाम तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई।

श्री भीमसिंह: हो चुकी है।

श्री मानसिंह महार: कल शाम तक नहीं हुई है। यह उप-मन्त्री झूठ बोलते है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): कल शाम हम स्पीकर साहब के पास गये थे। जब परसों माथुर साहब ने वायदा किया था कि रिपोर्ट स्पीकर साहब को दे रहे हैं, तो हाउस एडजोर्न होने के पांच मिनट पहले हमने पूछा "रिपोर्ट आ गई या नहीं।" उन्होंने कहा, "नहीं आई है"। स्पीकर साहब यहीं विराजे हैं। उनको बुला कर बिठाइये और पूछिये कि कल शाम तक आई थी या नहीं?

श्री भीमसिंह: आप गलत कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार: हमारे स्पीकर साहब पर लांछन न लगाइये, हम स्पीकर साहब के लिए जान दे देंगे। इस तरह की बात....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे बैठे हैं। उनको बुला लीजिये।

श्री भीमसिंह : आप कल शाम की बात कहते हैं। आपने कहा है कि अभी तक नहीं दी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कब दी है? आज दी है? हम कल की बात कह रहे हैं।

श्री भीमसिंह : उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय को अभी तक नहीं दी गई है। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय को पेश की जा चुकी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कब की है?

श्री भीमसिंह : आज।

(विराम)

ये कहते हैं, आज तक पेश नहीं की गई, आज तक नहीं दी गई। यह झूठ कहते हैं।

श्री मानसिंह महार : अब आप इस कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप कहते हैं, अभी तक नहीं दी गई, यह झूठ कहते हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैं गरीब क्या करूं?

तो उपाध्यक्ष महोदय, अब उप-मन्त्री कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अगर उन्होंने यह काम कर दिया है, धन्यवाद! उसको अब देख लेंगे और कल कुछ लोग इधर उधर चर्चा करेंगे।

मैं इस क्रय-विक्रय संघ को छोड़ता हूं। विचलित मत होइये। गुड़ खा लिया, मेवा खाकर तैयार हो गये। थोड़ा 'दा साहब' को दे देना। अब भाई, चावल का नम्बर आ गया। चावल, आप जानते हैं, बादी फैलाता है, धातु क्षीण करता है, वह ज्यादा मत खा जाना, वरना मर जाओगे, यह आपको कहे देता हूं कि चावल में कमी रखना। कहीं मेवे की तरह चावल खा जाओगे तो मर जाओगे। यह मैंने क्रय विक्रय संघ के कारनामे बताये। क्या करूं, उपाध्यक्ष महोदय, गुड़ के लिये थोड़ा सुनाया, मेवा के लिए थोड़ा सुनाया और अब कुछ सुनाया चावल के लिए। अब मैं तो अपने भाषण के अंत पर आ रहा हूं।

मैं आज मेरे लाडले श्री श्री १०८ श्री श्री भीखाभाईजी से कहना चाहता था जो पंचायत मन्त्री हैं, मगर वे नहीं हैं, अतः मैं इस मामले को भी छोड़ता हूं। इस पर शनिश्चरवार को बोलने का मौका मिलेगा।

अब मैं चलता हूं गरीब कर्मचारियों और गरीब सिपाहियों और चपरासियों व गरीब एल. डी. सी. की ओर और कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार उनके

(श्री मानसिंह महार)

लिए सस्ते अनाज की, सस्ती चीनी की, सस्ते कपड़े और जो भी रोज के उपयोग की चीजें हैं उनके लिये, अपने कर्मचारियों के लिये एक्सक्लुज़िव दूकानें क्यों नहीं खोलते ? जब वे तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं तो उन गरीबों की तनख्वाह किस तरह बढ़ाई जाती है, यह मैं आपको बताता हूं। आप उनकी तनख्वाह में ५)रू० बढ़ाते हैं; आप ने जैसे उनको ५) रु० माहवार की बख्शीश कर दी हो। आपने सभी लो पेड कर्मचारियों के लिये यह बहुत बड़ी बख्शीश कर दी क्या ? अगर आप सोचें तो आपको मालूम होगा कि नाज, चीनी आदि के भाव इतने तेज हो गये हैं कि रुपये की चीज के दो रूपये हो गये हैं। मगर आप उनको दान करते हैं केवल ५)रू० माहवार या १०) रुपट्टी। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप अपनी तनख्वाह कम करिये और उनकी तनख्वाह बढ़ाइये। उनकी तनख्वाह कम से कम ३० रुपये बढ़ाइये। अगर आप उनसे काम कराना चाहते हैं तो आपका यह फर्ज होता है कि आप उनको भर पेट रोटी और कपड़ा दें। अगर आप उनको और उनके बाल बच्चों को भर-पेट रोटी नहीं दे सकते तो मैं यही कहूंगा कि आपको इन कुर्सियों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उनको भर-पेट भोजन नहीं देंगे तो यही लोग जिनको आज गनमैन की हैसियत से आपकी हिफाजत के लिये आपके साथ भुवनेश्वर लेकर गये, आपको उन्हीं बंगलों में भस्म कर देंगे। आप इस बात को याद रखिये।

हमारे एक शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर ने जो बाहर विदेशों का दौरा करके आये उनको ६ बजे से ५॥ बजे का टाइम रखने की बात सवार हुई और हम लोग भी उसके शिकार हुए। बीच में एक घन्टे का लंच अवर रखा। मैं कहता हूं कि आप जनता के मन्त्री हैं, आपको देखना चाहिए कि आपके यहां एक घन्टे का लंच होता है, वहां एक घन्टे का लंच नहीं होता। दो-दो या तीन-तीन घन्टे तक लोग लंच से वापिस लौट कर नहीं आते। १२॥ बजे से लंच अवर का भूत लोगों पर सवार हो जाता है। तीन बजे वापिस आते हैं और थोड़ा बहुत काम करके काम बन्द कर देते हैं, इसलिए काम पूरा नहीं होता। आप कहते हैं कि हमने टाइम कम करने का बढ़ा दिया, मगर जिस उद्देश्य को लेकर आपने टाइम बढ़ाया उसके अनुसार काम होता नहीं। अब आप कहते हैं कि अगर कर्मचारियों को यूनियन कहेगी तो हम इसको बदल देंगे। मैं यह कहूंगा कि यूनियन ने भी कल कह दिया कि यह समय बिल्कुल बेकार है क्योंकि इस समय से काम में कोई लाभ नहीं पहुंचता है, इसलिये इस समय का बदल दिया जाए। इस टाइम से गरीब कर्मचारियों को वास्तव में कोई लाभ नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री चाहे आस्ट्रेलिया जाकर आये हों और हमारे नाथूरामजी जो विदेशों में जाकर आये हैं, वे हमारे यहां पर जैसा कि वे बाहर देख कर आये हैं फुआरों से पानी खेतों के लिये लगा देंगे। वे इसका वर्णन सदन में भी करेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वे उसका वर्णन अभी करें, बड़े पोटेन्शियल हैं फुआरों से पानी देने के लिये। मगर मैं यह कहूंगा कि जब तक

Page No. 102

(श्री मानसिंह महार)

आप पुलिस के कर्मचारियों, सिपाहियों और छोटे वर्ग के चपरासियों आदि की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उनके बच्चों को पेट भर रोटी नहीं देते हैं तो वह सरकार, मैं यही कहूंगा कि सरकार कहलाने के योग्य नहीं और इसीलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आपके सभी जगह काले कारनामों के दस्तावेज जा रहे हैं। आप घबराइये मत। हमने यहां तो दो-चार नमूने ही पेश किये हैं।...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं हमारे 'दा साहब' के लिए जो खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके लिये कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। ४ बजे तक खत्म कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी बोर्ड के संबन्ध में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जितना भी ज्यादा समय ले रहे हैं वह अपनी पार्टी के समय में से ले रहे हैं, यह आपको समझ लेना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : चूंकि यह समय मेरी पार्टी का जा रहा है, इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं यह बता देना चाहता हूँ कि भूदान का मैं एक नमूना आपके सामने रखता हूं। भूदान बोर्ड को एक ईमानदार संस्था समझ कर और खादी के भुलावे में आकर जब मैं जागीरदार था तो मैंने एक जमीन का टुकड़ा भूदान में दे दिया। मैंने सोचा इससे कुछ बैकवर्ड क्लास के लोगों को और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को या गरीब आदमियों के पास जिनके पास जमीन नहीं होगी उसको यह जमीन खेती के लिये मिलेगी क्योंकि भूदान वाले सबसे बड़े इसके हामी हैं। लेकिन दा साहब, वहीं भूदान एक डाकुओं का डेरा मिला और उस गांव में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति के पास जमीन थी उसको जमीन दे दी गई।

एक नानू नाम के व्यक्ति को वह जमीन भूदान की थी उसकी पर्ची दे दी। यह आपके भूदान बोर्ड ने किया है। अगर आप इस बात को चैलेंज करते हैं तो मैं साबित कर सकता हूं। मैं इसके लिए दा साहब से मिलने के लिये घर पर भी गया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब घर पर जाते हैं तो कभी कहा जाता है कि उनको हार्ट अटेक है और जब मैं हार्ट अटेक की बात सुनता हूं तो मेरा भी दिल धड़कने लग जाता है। कभी कहा जाता है कि दा साहब के मालिश हो रही है। इसलिये वापिस आ जाता हूं। इसलिये मैं यह करूंगा कि दा साहब खादी बोर्ड में भी कहा जाता को मान लेते हैं यह आप में आम गुण हैं, इसलिए इस बात को भी मानेंगे कि इस प्रकार से भूदान में हुआ है। आप उसके सदस्य हैं। आप....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप तो सबजेक्ट तक ही कन्फाइन्ड रहिये।

श्री मानसिंह महार : आपको उनके नाम से उचक उचक क्यों लगती हैं? वे तो बैठे रहेंगे।

आखिर में चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं यही कहूंगा कि भूदान में इस तरह से पैसे को पानी की तरह न बहाया जावे।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव सभी दलों द्वारा, दो व्यक्तियों को छोड़ कर, प्रस्तुत किया गया है। हम लोग यह सोचते और समझते थे कि कोई सीरियस और गम्भीर परिस्थितियां उनके सामने होंगी और उन परिस्थितियों की वजह से वे अविश्वास के प्रस्ताव को सरकार के खिलाफ लाने के लिये मजबूर हो गये हैं और इसके लिए वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के जो माननीय नेता हैं, जब कभी वे बोलते थे तो मैंने उनको सुना और इस बार भी सुनता रहा हूं और मेरी अब तक की यह मान्यता है कि उनके भाषण से बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत लाभ जरूर सरकार को होता और बहुत कुछ असर उनकी बातों में होता था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज मैंने उनके भाषण को जब बड़े गौर से सुना और जिस स्तर की और जिस प्रकार की आज तक बातें वे कहते थे और सुझाव देते थे, मैं नहीं समझ पाया कि आज उनको क्या हुआ और जिस स्तर पर वे बोले, मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसके बाद में हमारे सहयोगी वक्ता उनको सारा सदन जानता है और महारें उनकी जाति है वे उनके बाद बोले। मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं कि उन्होंने आज सदन के स्तरों को गिराया। उसकी जिम्मेदारी मैं उनकी मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बार सदन में चुन कर आया हूं और मैं इस बात को कहने के लिए मजबूर हूं कि विरोधी दल की तरफ से जिस तरह से आज सदन के स्तर को गिराया गया, जिस तरह की बातें कही गईं और विरोधी दल के माननीय नेता की तरफ से कही गईं, उस निम्न स्तर की बातें पहले मैंने कभी नहीं सुनीं। मैं नहीं जानता कि उनको क्या हो गया है, क्या बात है, लेकिन मुझे इसके लिये बहुत दुख है। क्यों दुख है; इसलिये है कि प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को निबाहने के लिये, प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिये विरोधी दल आवश्यक होता है और विरोधी दल हमेशा सत्य ही कहता है! यह अगर कोई माने तो गलत है, विरोधी दल हमेशा अच्छे ही सुझाव देता है यह भी गलत है; पर विरोधी दल की बातों को सुन कर सत्तारूढ़ दल इस बात की कोशिश करता है कि अच्छे सुझाव हों तो उनको अमल में लाया जाय। एक एम. एल. ए. होने के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारी सरकार पर इस बात का दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी तरफ से अच्छी बातें आती हैं तो उन पर अमल करना चाहिये।

(श्री अमृतलाल यादव)

(४.०० म. प.)

जहां तक अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात है, गम्भीर बातें आनी चाहिये, पर जिस प्रकार की बातें कही गई उनसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मच्छरों के मारे घर छोड़ने की बात हो, वैसी बातें इस सदन में कही गई। यह हो सकता है कि विरोधी दल को यह शोभा दे, पर विरोधी दल वाले गम्भीरता से सोचें तो उनको इस नतीजे पर आना होगा कि इस सरकार में १००१ खामियां बताने के बाद भी आपके हाथ में सरकार आ जाय तो जिस निम्न स्तर पर आप आ रहे हैं, उस स्तर को देखते हुए राजस्थान की जनता किसी भी सूरत में आपके हाथों में सत्ता सौंपने को तैयार नहीं होगी।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता ने शिक्षा मन्त्री जी को इंगित कर जो बातें कहीं, मैं उनको दोहराने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर हम चुन कर आते हैं, लाख लाख आदमियों के प्रतिनिधि होकर आते हैं, ये हमेशा हमसे आशा करते हैं कि राजस्थान का विकास करेंगे, राजस्थान का नाम ऊंचा करेंगे। मैं राजस्थान सरकार की वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मुझे भी राजस्थान सरकार से शिकायत है और मैं समझता हूं कि जिस तरह हम समाजवाद लाना चाहते हैं, हमारी सरकार उतनी तेजी से नहीं चल रही है, पर दु:ख होता है इस बात को देखकर कि विरोधी दल के लोग जिनको क्रियात्मक ठोस सुझाव देने चाहिये इस स्तर की बातें करते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): स्तर तो आपका ऊंचा है कि डेढ़ लाख का मकान बना लिया। मकान का पैसा कहां से लाए थे। निम्नस्तर की बात करते हैं तो पहले अपने स्तर तो देख लीजिए। मन्त्रित्व काल में आपने डेढ़ लाख का मकान बना लिया, डेढ़ लाख का। इतना रुपया कहां से आया? यह आरोप लगाता हूं कि जिस आदमी ने मन्त्रित्व काल में डेढ़ लाख का मकान बना लिया वह क्या निम्न-स्तर की बात करेगा।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समाजवादी शासन में एक हरिजन ने मकान बनाया है जिससे ठाकुर साहब उबल पड़े हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं नहीं चाहता कि कोई भी हरिजन चोरी करके, बेईमानी करके मकान बनाये। ईमानदारी से बनाये।

श्री अमृतलाल यादव : वैसे मकान की बात कही, निम्नस्तर की बातें आपने कहीं, वह आपको शोभा नहीं देती। मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता। एक महिला चाहे इधर बैठी हो, चाहे उधर बैठी हो मगर उनसे बात करने का तरीका होता है।

श्री मानसिंह महार : आपके माथुर साहब से, योजना मन्त्री से सीखा है तरीका हमने।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी बातों को तसल्ली से सुना, मैं समझता हूं उनका भी फर्ज है कि मेरी बातों को तसल्ली से सुनें।

Page No. 105

श्री मानसिंह महार : मकानों की बात से घबराइये मत ।

श्री अमृतलाल यादव : घबराने का सवाल नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां कुछ बातें कही गई, चावल के बारे में, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, तो मैं तो इतनाही कह सकता हूं कि अगर गम्भीरता से सोचेंगे तो एक विधायक के लिए इस प्रकार की बातें करना शोभाजनक बात नहीं है । आप अपनी बात तो औरतरीके से भी कह सकते थे ।

श्री मानसिंह महार : आप उस तरीके से कह दीजिये ।

श्री अमृतलाल यादव : महरबानी करके इस सदन का स्तर नहीं गिराया जाय, राजस्थान के रहने वालों के लिये बाहर के लोग इस डिबेट को पढ़कर क्या सोचेंगे ? वे इस पर अमल करें, न करें उनकी मर्जी की बात है, मैं अपने विचार रख रहा हूं ।

अब सवाल आता है सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का । माननीय ठाकुर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि कभी भी इस कांग्रेस के १७ साल के शासन से पहिले किसी भी शासन ने, किसी राजा ने, किसी जागिरदार ने इस बात की कल्पना भी की थी कि भंगी भी एक इन्सान है जो सिर पर गू की टोकरी ढोता है, किसी ने उसे बराबर बैठाया है ।

श्री मानसिंह महार : On a point of information, Sir. सुनिए आप मेवाड़ के दलदल में थे....

(शोरगुल)

Point of persnal explanation, Sir, क्योंकि इन्होंने ठाकुर साहब कह कर मुझसे पूछा है....

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपके खिलाफ थोड़े ही कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : There is no allegation.

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी इन्फोर्मेशन के लिए बता दूं कि कालूराम भंगी हमारे बराबर बैठता था, जयपुर रियासत की रिप्रेज़न्टेटिव असेम्बली में । कालूराम भंगी हमारे साथ बैठता था इसी हॉल में ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कांग्रेस राज के बाद ।

श्री मानसिंह महार : कांग्रेस तो xx xx ।

श्री मोतीलाल चौधरी : Point of order, Sir, xxxx इस प्रकार की बातें कहें किसी पार्टी के लिए....

श्री मानसिंह महार : राजाओं के राज में xxxx

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो भी आपको उखाड़ फैंका ।

---

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कोई पार्टी के लिए इस तरह की बातें कहें कि xxxx, इस तरह के शब्द हाउस में नहीं कहने चाहिए; या तो वे इन शब्दों को स्वयं विथ्ड्रा कर लें या आप हटा दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस असभ्य तरीके से बोल रहे हैं उसे रोका जाय, यह तरीका नहीं है। हो सकता है xxxx....

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : राजाओं के राज में कांग्रेसी नरोत्तमजी जोशी केxxxx

श्री अमृतलाल यादव : मेरे मित्र ने जो सूचना दी, उसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी जाय, उन शब्दों को निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो अभद्र वाक्य हैं उनको निकाल दिया जायगा।

श्री अमृतलाल यादव : जो सूचना मेरे मित्र ने दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन एज़ ए जेंटलमन अगर उनमें नैतिकता है, तो बताए कि आपने कालूराम भंगी को कुर्सी के बराबर तो बिठा लिया, अपने बगल में लिया लेकिन उस वक्त उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया।

श्री मानसिंह महार : मैं आज भी आपके साथ पानी पीने को तैयार नहीं हूं; न खाऊंगा, न पीऊंगा। भारत के विधान में लिखा होगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं खा सकता, मुझे बीमारी लग सकती है। टी० बी० के मरीज के साथ मैं नहीं खा सकता।

श्री अमृतलाल यादव : मैं आशा करता था कि मेरी सही बात को मेरे मित्र मानेंगे, मैं उनके धर्म को नहीं मिटाना चाहता था....

श्री मानसिंह महार : मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा।

श्री अमृतलाल यादव : उस वक्त यह पोज़ीशन थी कि आपने कालूराम भंगी को चाहे बगल में बिठा लिया हो, लेकिन कालूराम भंगी को म्यूनिसिपल के दफ्तर में चेयरमैन और सदस्यों के साथ एक प्याले में चाय नहीं पिलाई थी।

श्री मानसिंह महार : मुझे लोग कहें तो मैं जयनारायणजी से खा सकता हूं, लेकिन टी० बी० के मरीज अमृतलाल के साथ नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बदल गए।

श्री अमृतलाल यादव : आज ऐसी बात करते हो। मेरी दाहिनी तरफ एक सफेद शेरवानी वाले, सफेद टोपी वाले बैठते हैं, गुलाब का फूल लगाते हैं, आप देखें, वे कौन हैं?

---

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मानसिंह महार : यह आपका चाचा है।

श्री अमृतलाल यादव : कांग्रेस की हुकूमत से पहले का है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के नहीं, हिन्दुस्तान के भंगियों में भी अगर यह कि इस कांग्रेस सरकार को खत्म करना है तो वे भंगी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे किसी के बहकाने में नहीं आएंगे, वे किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने उनको इन्सानियत का स्थान दिलाया।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बिल्कुल झूठ बोल रहे हो।

श्री अमृतलाल यादव : कांग्रेसने उनको इन्सान बनाया है। मैं एक आम चुनाव में गया। एक बूढ़े मेघवाल से पूछा कि तुम किसको वोट दोगे और तुम्हारा क्या विचार है, कांग्रेस ने क्या किया है; तो ७० साल का बूढ़े मेघवाल ने यह कहा कि और बात तो मैं नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूं कि जीवन भर जिस ठाकुर को बेगार दी उसके घर का रहा, गोबर आदि उठाते उठाते परेशान हो गया, मेरे बाल उड़ गए, लेकिन कांग्रेस में करामात जरूर है, मुझे वोट का राइट देकर, वह ठाकुर महल के सूरज गोखरे से उतर कर मेरी दाढ़ी पर हाथ डालता है कि वोट मुझे देना, तो मैं नहीं समझता कि इस पर क्या जादू चल सकता है और आपका उन पर जोर नहीं चल सकता। कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार का कोई राजाओं से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, ठाकुरों से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, कांग्रेस को तो विरोध था सामंतशाही प्रथा से। मैं बारबार नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह आता है कि जो उनको अधिकार हैं, आज प्रजातन्त्र है, वह अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं, चाहे जो कहें उसकी उनको छूट है लेकिन उसका कोई सही तरीका होना चाहिये.......

(४.०५ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

जब देश की आजादी का सवाल आया, जनहित कैसे हो, देश की गरीबी कैसे मिटाएं, लोगों के साथ कैसे न्याय हो, तो यह जरूरी समझा गया कि जागीरदारी, सामंतशाही और इस प्रकार की प्रथाएं खत्म हों....

श्री मानसिंह महार : १० वर्ष पुरानी बात है।

श्री अमृतलाल यादव : यह माना गया कि वह खत्म हों और जिस तरह से कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त किया उसी तरह से माननीय सभापतिजी, आज सारे राजस्थान में जागीरके नाम की आपको एक इंच जमीन नहीं मिलेगी, यह कांग्रेस का सबसे बड़ा....

श्री मानसिंह महार : कमाल कर दिया।

श्री अमृतलाल यादव : कांग्रेस ने जो कुछ किया गरीबों के हक में किया है, वह जनता के हक में किया है। अगर आप सूरज

(श्री अमृतलाल यादव)

गोखरे से उतर कर खेत में हल चलाना चाहते हैं तो आपको छूट है। आप कहें कि हल कोई और चलाए और आप सूरज गोखरे में बैठे रहें तो उनको कांग्रेस के राज्य में हवा खानी पड़ेगी। अन्न खाना है तो खेत में हल चलाकर खा सकता है, हरएक को समान अवसर देना, यह बहुत बड़ी बात है। हिन्दुस्तान का नागरिक इसे नहीं भुला सकता।

श्री मानसिंह महार : डांगीजी का इस्तीफा नहीं होगा, घबराइये नहीं।

श्री अमृतलाल यादव : इन बातों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा?

श्री मानसिंह महार : जब आपसे बंगला खाली कराया तब आपने क्या लिखकर दिया १० दिन पहले?

श्री अमृतलाल यादव : मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने भी आपकी कुछ सेवा की है। मैं समझता हूं कि आप कुछ संजीदगी से पेश आएंगे।

मेरे मित्र आज कहीं से फोटो लाए, उनको फोटो का नया शौक मालूम होता है, मैंने उस फोटो को देखा, सही है। महार साहब अगर किसी का मकान टूट रहा हो और उसका फोटो लाए तो वास्तव में अच्छा काम किया, लेकिन मेरे मित्र इतना तो बतलाएं ईमानदारी से कि आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में १७ साल पहले कितने भंगियों के घर बने थे, कितने मेघवालों के घर बने थे, कितने हरिजनों के मकान बने थे और आज कितने मकान बने हैं पक्के और कितने लोग उनमें रह रहे हैं....

××××

श्री सभापति : मैं आदेश देता हूं कि मेरे खड़े होने के बाद जो कुछ माननीय सदस्य बोले हैं उसको सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री सभापति : Let there be intelligent retorts.

श्री अमृतलाल यादव : मैं अपनी बात निवेदन कर रहा था। माननीय सभापतिजी, राजस्थान की लगभग डेढ़ करोड़ आबादी में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, दुखी हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि ऐसे लोगों के सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हम जैसे लोगों के लिए सोचने की बात आ जाती है कि हम मदद दें या नुकसान पहुंचायें। मैं यह जानता हूं कि सरकार की तरफ से जो कुछ कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की योजनायें हैं, उनमें कहीं कोई कमी हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, कहीं हरिजनों के लिए सौ घर बने तो दस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें गैर हरिजन हों,

××××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री अमृतलाल यादव)

अन आथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स हों, तो हम विधायकों का फर्ज है कि हम उनको निकलवायें। लेकिन इस वजह से सरकार के सारे कामों को निकम्मा कह देना, यह तो कोई न्याय की बात नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये से विकास का संकल्प किया है। कांग्रेस सरकार ने और राजस्थान सरकार ने देश में से गरीबी मिटाने के लिए संकल्प किया है। १७ वर्ष पहले हमने देखा कि कोटा के अन्दर चम्बल की नहरें नहीं निकली थीं, भाखड़ा का पानी उन क्षेत्रों में जहां आज लग रहा है नहीं लगता था। एक बात जरूर हम मानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा गंगासिंहजी, इतिहास उनको सदा सदा के लिए याद रखेगा कि वे एक नहर 'गंग कैनाल' लाये और लोगों को जीवनदान दिया। और मैं समझता हूं, बाद के लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और उसके फलस्वरूप भाखड़ा का पानी भी आया। लेकिन यह काम किसी और ने नहीं किया, राजस्थान सरकार ने किया। आज जिस जगह ऊंट से पानी मुहैया होता था, जहां पर पानी घी से महंगा था, वहां पर पानी बहुत है। एक फसली जमीन थी, दो फसली होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ऊट पटांग बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह किया कि कुंवरसैन जैसे इन्टरनेशनल फेम के इन्जीनियर को हटा कर चौधरी रामनारायण जैसे को बिठा किया। जितनी मिट्टी एक ओवरसीयर को एक साल में खुदवानी चाहिए उतनी मिट्टी खुदवाने के लिए पांच सौ ओवरसीयर लगे हुए हैं और उसको खोद रहे हैं। ८ करोड़ रुपये की मशीनरी हनुमानगढ़ के वर्कशॉप में बेकार पड़ी है।

श्री सभापति : Shri Handa t resume his seat.

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति....

(व्यवधान-घन्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शायद आपके दो लड़के हैं जिनको कानून के खिलाफ स्कोलरशिप दे दी गई और वे फेल हो गये, लेकिन स्कोलरशिप मिल रही है। उसी का आप हक बजा रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे सिर्फ एक ही लड़का है। आप करेक्ट कर लें। दो लड़के नहीं हैं, उसको भी स्कोलरशिप नहीं मिल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरा लड़का मैं हूं। मुझे गोद लेने वाले हैं। मैं सारी सम्पत्ति का मालिक बनने वाला हूं।

श्री सभापति : श्री यादव, आप प्रारम्भ रखिये।

श्री अमृतलाल यादव: यह अफसरों की बात तो मुबारिक हो इनको। अफसर अच्छा हो सकता है। और बुरा भी हो सकता है। अगर आप सरकार के नोटिस में किसी अधिकारी की किसी बात को लायेंगे

(श्री अमृतलाल यादव)

तो निश्चित ही सरकार का फर्ज है वह उसके ऊपर कदम उठाये। लेकिन मैं मूलभूत बात की तरफ जाऊंगा। आप इस बात के गवाह हैं, मैं आपको गवाह करके कहना चाहता हूं कि आपकी जिन्दगी में कांग्रेस के शासन के बाद गंगानगर जिले में पानी आया या नहीं, हजारों भूमिहीनों को जमीम बांटी या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं मिली। आप गलत कह रहे हैं। बड़े बड़े भूखण्ड के मालिकों को जमीन मिली है। भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली है। आपका कानून जमीन नहीं देता, यादव साहब भूलिये नहीं। आपने खुद ने मुझसे कहा था कि गंगानगर में गरीब को जमीन नहीं मिल रही है। यह आपका कथन है कि किसी भी गरीब को जमीन नहीं मिली है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने आपको आंकड़े नहीं बताये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आंकड़े बतायेंगे क्या ? साफ है। ५० हजार दर्ख्वास्तों में से ३५ हजार खारिज हो गई थीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : जमीन गरीब को मिली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी झोली उठाने वालों को मिली होगी।

श्री मोतीलाल चौधरी : कॉम्युनिस्टों को वोट देने वालों को भी मिली है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापतिजी....

एक माननीय सदस्य : आपको भी मिली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, एस्पर्शन कॉज कर रहे हैं कि मुझे जमीन मिली है। मुझे जमीन मिली है तो कोई वे सुबूत पेश करें। मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, या ये स्तीफा दें; लेकिन चौधरी

("हियर हियर" की आव)

रामचन्द्रजी को एक चक में से आधा चक अलॉट हुआ है। 'ग्रो मोर फूड कैम्पेन' के अन्तर्गत सुखाड़ियाजी के द्वारा रिश्तेदारों को जमीन अलॉट की हुई है। राज्य के आई० जी पी० और डी० आई० जी० पी० को जमीन अलॉट की हुई है और अगर यह गलत हो तो मैं साबित कराने के लिए तैयार हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सुखाड़ियाजी भी भूमिहीन किसान हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापतिजी, मैंने किसी के भाषण में डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : जो वक्ता बोलते थे, मैंने उनको सुना। मेरे मित्र ने आक्षेप लगाया कि मैंने झूठ बोला। मैं

(श्री अमृतलाल यादव)

निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसे वर्ग से आता हूं कि जो हिसाब-किताब के मामले में, पढ़ाई-लिखाई के मामले में कमजोर हैं। आंकड़ों में हम कमजोर हैं। हम तो मोटी २ बातों को पकड़ते हैं। मेरे दोस्त करेक्ट कर लें कि मैंने यह बात कही थी, मैं उसको दोहरा देना चाहता हूँ। आप करेक्ट कर लें कि कांग्रेस का शासन होने के बाद गंगानगर जिले में भूमिहीनों को भूमि मिली या नहीं ? मैंने १ लाख दी या पचास हजार दी या बीस हजार एकड़ दी, यह कुछ नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि भूमिहीनों को भूमि मिली या नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यादव साहब सचाई में ज्यादा फोर्स होता है। गंगानगर के हरिजनों के पेट की आंते निकाल लीं, उनके शरीर की चमड़ी बिक गई और मकान बिक गये तब जमीन मिली और वह भी गिरवी पड़ी है। सचाई के साथ हालत बताइये तब पता चलेगा। किस तरह उन्होंने कचहरियों की ठोकरें खायी हैं वे ही जानते हैं, अधिकारियों ने किस बेहरमी से उनको लूटा है ! आप झूठी बात करते हैं।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : आप जैसे बड़े बड़े जागीरदार गये थे उन्होंने उन लोगों को खराब किया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने यहां से तहसीलें बेची हैं। १० हजार में एक तहसील बेचते हैं, पांच हजार में एक थाना बेचते हैं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। मैं निवेदन करूंगा कि कहने का भी मौका सब लोगों का आवेगा। बोलने वालों को थोड़ा इन्टरप्शन कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भाषण ही प्रारम्भ कर दें।

श्री अमृतलालजी यादव। आप हाउस के पजेशन में हैं। आप बोलना बन्द कर देते हैं तो उधर श्री हांडाजी खड़े हो जाते हैं और इधर से श्री मोतीलालजी खड़े हो जाते हैं। आप बोलते रहें; बोलना बन्द मत कीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि जो अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान सरकार के विरुद्ध विरोधी दलों की तरफ से आया हुआ है मैंने उसमें बहुत कुछ यह ढूंढने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी गम्भीर बात है जिसके लिये ये मजबूर हुए यह प्रस्ताव लाने के लिये, तो मुझे कुछ नहीं मिला।

एक एम. एल. ए. के नाते मैं इस बात को देखता हूं कि जैसा कि श्री मुरलीधर व्यास ने कहा कि एक इन्सान के लिये एक जनहितकारी शासन में रोटी, रोजी और कपड़ा मिलना चाहिये; इस दृष्टि से यह सरकार कसौटी पर कसी जानी चाहिये। इस दृष्टि से मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

जहां तक मैं देखता हूं इस कांग्रेस शासन के आने के बाद गरीब आदमी का स्तर ऊंचा उठा है, आम जनता शिक्षित हुई है, भूमिहीनों को भूमि मिली है, आम व्यापारी को व्यापार में तरक्की करने का मौका मिला है और राजस्थान के अन्दर चहुंमुखी प्रगति के दर्शन हुए हैं। जिस तरफ जाते हैं सड़कें, स्कूलें और अस्पताल चारों तरफ नजर आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब्रिस्तान ज्यादा नजर आते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : गांवों के अन्दर पहले जितनी स्कूलें थीं आज उनसे अधिक हैं। गांवों में बहुत लोगों के पक्के मकान बने हैं, गांवों में लोगों ने अपनी औरतों के लिये जेवर बनाये हैं। आज उनके पास काफी बरतन-भांडे हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज आपको पता है, कितने हैं जो घर छोड़ कर सड़क कूट रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : गरीबी मिटाने के लिये इस सरकार ने कदम उठाये हैं। राजा जागीरदारों के जमाने में यह सुनने को नहीं मिलता था....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : एक किलो का गेहूं बिका था कभी ?

श्री अमृतलाल यादव : कि दो फसली जमाना कभी हुआ हो पर आज दो फसली जमाना होने लगा है।

चम्बल पहले भी बहती थी, पर कोटा के राजा के शासन ने या उदयपुर ने पहले कभी चम्बल में बिजली और पानी से सिचाई की बात नहीं क्रियान्वित की, आज गंगानगर में भाखरा नहर से एक फसल दो फसली हुई है। जहां एक बीघा में एक मन भी बाजरा नहीं होता था वहां चालीस मन करण होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले एक मन होता था, अब चालीस मन; तो फिर गया कहां ? आपके पेट में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जगह और सरकार होती तो १४ लाख एकड़ भूमि सिंचित होती इससे। पर आपकी महरबानी से छः लाख एकड़ ही हो रही है।

श्री सभापति : Order please ; मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद में सरकारी पक्ष से जो कुछ कहा जावेगा उसके हर सेन्टेन्स पर चेलेन्ज किया गया और भाषण ही शुरू हो गया दूसरा, तो इसका अन्त नहीं होगा। आप उनकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, वे आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे; तो इस सूरत में डेमोक्रेसी और हाउस की डीसेन्सी के लिये यह उचित होगा कि एक दूसरे एक दूसरे की बात को सुनें। एक दूसरे की जब टर्न आवे तो वे उनका उत्तर दे सकते हैं और अगर अभी ही जवाब देना आप जरूरी समझते हों और भाषण ही देना चाहते हों तो मैं उसके लिये अभी भी समय दे सकता हूं, अगर उतावली हो तो; यह निश्चित आश्वासन देना चाहता हूं। हां, हो सकता है, फैक्ट्स और कन्ट्रोवर्सी पर कुछ कहना चाहें; तो कुछ रिमार्क्स थोड़े में बैठे हुए भी कह सकते हैं। पर भाषण ही आरम्भ कर दिया जाय तो इस का तो अन्त नहीं होगा। सदन की कार्यवाही भी चल नहीं सकेगी अगर उन सारी बातों को कार्यवाही से निकालते ही चले गये तो। और फिर जो आप कहना चाहते हैं वह अखबारों में भी छप नहीं सकता। आपको लाभ उसका नहीं हो सकता। इसलिये निवेदन करूंगा कि शान्ति के साथ भाषण करने का एक दूसरे को अवसर दें। कन्ट्राडिक्ट करने का आपको जब अवसर मिले तो आपको आज भी अवसर

Page No. 113

(श्री सभापति)

मिल सकता है, कल मिलेगा और परसों भी इसके लिये। यह तरीका है जिसको अपनावें! माननीय सदस्य। शीघ्रातिशीघ्र अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमृतलाल यादव : बहुत बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय! मैं जल्दी समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति जी मैं यह मानकर चलता हूं कि इन १७ सालों के शासन में कांग्रेसी सरकार ने राजस्थान की गरीबी मिटाने के लिये निश्चयात्मक कदम उठाये हैं जैसा मैंने कहा। इसके परिणामस्वरूप जगह जगह सड़कें, बिजली कुछ अस्पताल स्कूलें हमें देखने को मिलती हैं। शिक्षा का स्तर देखें तो वह भी ऊंचा उठता है। खर्चे को देखें तो वह भी बढ़ा है। आज जनता के अभाव-अभियोगों में भी राहत मिली है। हर तरह से जनता के हित का और गरीबी को मिटाने का काम राजस्थान सरकार की तरफ से हुआ है। ऐसी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाना मुनासिब और न्यायपूर्ण बात नहीं मालूम होती।

मैं एक बात सोचता हूं, माननीय सभापतिजी, कि एक क्षण के लिये मैं यह सोच लूं कि सरकार खत्म हो और दूसरी विरोधी दल की सरकार आवे तो अव्वल तो एक विधायक के नाते मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे सरकार बनाने की स्थिति में हो। दूसरे उनमें सिद्धान्तों पर कायम, स्थिर रहने का माद्दा भी नहीं है।

आज कांग्रेस जिन सिद्धान्तों और उसूलों पर चलती है वैसे इन राजनैतिक विरोधी पार्टियों के भी सिद्धान्त और उसूल हों कुछ तो मुझे कहने की इजाजत दीजिये कि यह बात मैं यहां कह दूं कि उनके सिद्धान्तों की होली होते मैंने हनुमानगढ़ के उपचुनावों में देखी है।

मैं कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी में ताकत होती तो अपना केन्डीडेट खड़ा करती। अगर समाजवादी पार्टी में ताकत होती तो अपना केन्डीडेट खड़ा करती। अगर स्वतन्त्रपार्टी में होती तो अपना केन्डीडेट खड़ा करती। पर वहां सबने अपने अपने सिद्धान्तों और उसूलों को ताक में रख कर सब ने मिल कर एक आदमी के पीछे अपने सिद्धान्तों को छोड़कर बता दिया कि वे सिद्धान्तविहीन पार्टियां हैं। एक तरफ हमने देखा, भगवा झंडा लहरा रहा है, एक तरफ हमने देखा सफेद झंडा लगा है, एक तरफ हमने देखा कि वह आदमी जो कल-परसों प्रिवी पर्स राजाओं की बन्द करने की बात सदन में और जनता में कहता थकता नहीं था वह राजाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर जिताने की कोशिश कर रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजाओं को नहीं, हरिराम को जिताने की कोशिश कर रहे थे।

श्री अमृतलाल यादव : आप चाहे कितने ही खुश हों इससे, पर आम राजस्थान का नागरिक आपके धन्धों को जान गया है। आपकी शान में बड़ा बट्टा लगा है और जनता को आपके प्रति विश्वास में बड़ा धक्का लगा है। आप इस बात को मानकर चलें कि राजस्थान की आम जनता ने हनुमानगढ़ के चुनावों में आपकी सिद्धान्तप्रियता को देख लिया है।

(श्री अमृतलाल यादव)

अब रही यह बात कि हमारे विरोधी दलों के माननीय नेता राजाओं की गाड़ी और खर्चे की बात कर रहे थे। मैंने भी आपकी दो लाल प्लेट की गाड़ियां देखी थीं, और उसके ऊपर मेरी क्या प्रतिक्रिया हुई वह मैं नहीं कहना चाहता, पर आम लोगों की कमेन्ट्स जरूर मैं निवेदन करना चहता हूं। वे कह रहे थे कि कहां जयपुर की महारानी-कहां जयपुर, कहां हनुमानगढ़ और यहां पर अगर जयपुर के महाराज की महारानी की गाड़ियां लाल प्लेट की आती हैं तो क्या राजस्थान सरकार, हिन्दुस्तान की सरकार इस राजस्थान की देश की भूखी नंगी जनता की, किसान की इस मेहनत से पैदा हुई कमाई में से इन लाल प्लेट की गाड़ियों को इसलिए प्रिवी पर्स देती है? क्या इसीलिए इनको खर्चा देती है? क्या यह जायज है जो उनको दिया जाता है? आम जनता की इस कमेन्ट पर जरूर विचार करना होगा। जो रुपया इनको अपनी शान-शौकत से रहने को मिलता है जो रुपया आपको पोजीशन से रहने के लिये मिलता है; आप जिस तरह से मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं यह राजस्थान सरकार और कांग्रेस सरकार आपको उसी सुख और आराम से रखना चाहती है और हजारों किसानों और हजारों हरिजनों के बच्चों को दूध भी नहीं मिलता है। पर इसके बावजूद भी हमारे नेताओं ने कहा, हम लोगों के कहने के बावजूद भी, हमने चूंकि इकरार किया है, इसीलिए यह इकरार नहीं तोड़ेंगे जो देने का तय किया है, हम बराबर उनको देते रहेंगे। उसको भी हमने मन्जूर किया छाती पर पत्थर रख कर। पर आज उसका भी दुरुपयोग होता देखते हैं।

चुनाव आप लड़ें, चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर अजीब बात हो गयी कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसको भी हक हो गया। आज वे लोग यह बात करते हैं। जो महलों में रहने वाले हैं और जिनके पास १५-२० गाड़ियां हैं, जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है वे भी गरीब किसान की बात कहते हैं और प्रिविलेज्ड क्लास की बात करते हैं। इस बात को सोचने का सवाल आता है कि किस तरह के टैक्टिक्स आपने अख्तियार किये हैं कि ऑफिसर्स गैलेरी को खुश करने के लिए कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लेकिन ऑफिसर्स गैलरी में एक ऑफिसर को छांट लेते हैं और उस ऑफिसर के लिए व्यक्तिगत बातें करते हैं। यह तो माननीय सभापतिजी, इस तरह की बात हुई कि एक होशियार किसान के खेत में ४ आदमी घुस गये थे और उनमें से एक गरीब को इसलिए पीटा कि वह पंडित है, यह बनिया है और वह क्षत्रिय है; लेकिन चौथा इसलिए पीटा कि तुम चमार क्यों घुस आये, तुमको तो साले पीटना ही पड़ेगा। इस तरह से उसको पीटा और चारों को अलग अलग करके पीट दिया। यह तो तरीका नहीं है कि एक ऑफिसर को लेकर आप एक तरह की बात करें और दूसरे ऑफिसर को लेकर दूसरी तरह की बात करें....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभापति महोदय; एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा है कि माननीय सदस्य ने चाहे भावावेश में आकर ही सही और जातियों के साथ तो उन्होंने कोई विशेषण नहीं लगाया, लेकिन चमार जाति के साथ साला शब्द लगा दिया,

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हरिजन साथियों के लिए एक माननीय सदस्य ने "साले' शब्द को लगाया ।

श्री सभापति : उनका साला चमार जाति में है इसलिए लगाया ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापतिजी, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा था और मैं उस शब्द को वापिस लेना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा था लेकिन; उसका रेफरेन्स देते हुए कहा था फिर भी मुझे 'साला' शब्द नहीं कहना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं । मैं इसको मंजूर करता हूं कि मुझको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैं इसको वापिस लेता हूं ।

तो मैं इतना ही निवेदन आप से करना हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह अविश्वास का प्रस्ताव मेरी दृष्टि में किसी तरह से मुनासिब नहीं है कि इस सरकार की योजनाओं के लिए अविश्वास का प्रस्ताव मौजू और उपयुक्त है । मैं इसको बिल्कुल अनुपयुक्त, अन्याययुक्त, और किसी भी तरह से इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं । मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर राजस्थान के के अन्दर गरीबी को मिटाना जरूरी है, पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति करना जरूरी है, इन्सानी की गरीबी और अमीरी का भेद मिटाना जरूर है, छुआ–छुत का मिटाना जरूरी है, हर व्यक्ति को समान अवसर देना जरूरी है तो राजस्थान सरकार ने इन सभी ओर ठोस कदम उठाये हैं और इस सरकार को सहयोग देकर उसको सफल बना कर ही हम राजस्थान की उन्नति कर सकते हैं । यह निवेदन करता हुआ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, सदन के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव पर आज जो बहस चल रही है उसका जो स्तर रहा है सबसे पहले तो उस तर अपनी ओर से खेद प्रकट करना चाहता हूँ । जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है उन्होंने अपने प्रस्ताव के अन्दर जिन मुद्दे के ऊपर इस प्रस्ताव का रखने का आधार बताया है उस आधार पर सरकार की जो अब तक की जो रीति नीति रही है और सरकार ने अब तक जो भी किया है उसकी खामियों को बताते और उसके साथ ही साथ विरोधी पक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर कुछ दलीलें देते कि उन्हें इस तरह से चलना चाहिये या जिससे जो कुछ अब तक हुआ है उस तरह से नुकसान न होकर अच्छे ढंग से सरकार चल सकती थी लेकिन सारी हालतों के जिस तरह से शुरूआत हुई मैं समझता हूं कि दूसरों को कहने के बजाय विरोधी पक्ष के लोगों को खास तौर से इस पर पहले सोचना चाहिये कि हम जिनकी आलोचना करते हैं हम स्वयं जो बात कहते हैं उस पर खुद कहां तक चलने को तैयार हैं । प्रजातन्त्र की बात कहते हैं, अधिकारों की बात कहते हैं और दूसरी दूसरी बातें कहते हैं । परन्तु उनके कहने के साथ साथ वे खुद क्या करते हैं और जो आदमी नहीं करते हैं उनको कहने का अधि-

(श्री फूलचंद जैन)

कार भी है या नहीं, यह भी प्रजातन्त्र में एक व्यवस्था है उसको भी मैं समझता हूं कि उसको ध्यान में रखकर चलना चाहिये ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने अविश्वास के प्रस्ताव के दौरान अपने विचार प्रकट किये । आप समझते हैं कि जिस प्रकार के वे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने प्रकार से अपने विचार रखने की कोशिश की । परन्तु उन्होंने अपने भाषणों के अन्दर दो-तीन बातें ऐसी कहीं, जैसे उन्होंने कहा कि यह शासन पैसों के बल पर चलता है । मैं नहीं समझ पाया कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता, अगर मैं उनसे यह कहूं कि किस प्रकार से पैसे के बल पर यह शासन चल रहा है; यह समझ में आ सकता है कि प्रजातन्त्र के अन्दर चाहे जैसे भी हो जोतकर बहुमत में आ गये इसी लिये यह शासन चलता है, लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के नेता अगर यह कहें कि पैसे के बल पर यह शासन चलता है तो यह मेरी समझ में नहीं आ सकता ।

इस तरह से उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार शिशु प्रजातन्त्र की हत्या कर रही है । मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि जिस सरकार ने इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र की स्थापना की और जो आज तक प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातन्त्र इस हिन्दुस्तान के अन्दर हजारों वर्षों तक पनपता रहे इसके लिए इस प्रकार की आज तक जो स्थिति पैदा की है, जिसकी वजह से गम्भीरता से सोचें तो इस पोज़ीशन में आप हैं कि खरी-खोटी आप सुनाते हैं । हम इसमें विश्वास नहीं रखते कि आज जनता किससे राजी रहे, उस काम को अभी किया जाये चाहे उसके बाद, हिन्दुस्तान का भविष्य अन्धकार में पड़ जाये । हम इसमें विश्वास करते हैं कि हर तरह से जनता की भावनाओं को समझ कर ऐसा हिन्दुस्तान बनायें कि जो हिन्दुस्तान सदियों तक खुशहाल बना रहे । मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष आज राज अपने हाथ में ले और हो सकता है कि जो स्थिति आज बनी हुई है उसको तत्काल ही हल कर दे और चाहे फिर भविष्य हिन्दुस्तान का अन्धकार में पड़ जाये । आप क्या समझते हैं कि आज जो स्थिति है उसकी जितनी चिन्ता आपको है हमें नहीं है ? जनता आज परेशानी में है, हम नहीं जानते क्या ? हम जानते हैं । परन्तु हम जिम्मेदारी के कारण से यह भी जानते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं उसमें ये परिस्थितियां पैदा होंगी और ये परिस्थितियां कम से कम पैदा हों, इसकी हम कोशिश करते हैं । परन्तु आप भावनाओं से उभर कर यह साबित करना चाहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है और जनता परेशानी में पड़ी हुई है; तो इससे काम नहीं चल सकता । मैं इसके विस्तार में नहीं जाकर सम्माननीय विरोधी पक्ष के नेता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि शिशु प्रजातन्त्र की हत्या यह कांग्रेस सरकार आज तो क्या जब तक यह यह कांग्रेस रहेगी तब तक कर नहीं सकती और जो दल इसकी हत्या करने का ख्वाब देख रहे हैं उनको हत्या नहीं करने देंगे, यह हमारा दावा है ।

माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपकी मारफत माननीय विरोधी पक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां कांग्रेस का शासन निरंकुश रहे, इसके लिये कांग्रेस जो

Page No. 117

(श्री फूलचन्द जैन)

है वह विरोधी दलों को समाप्त करना चाहती है, यह माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय अपने भाषण में फर्माया। मैं नहीं समझ सकता कि विरोधी पक्ष इस देश के अन्दर विरोधी पक्ष कैसे पनपे ? इसके लिये किस प्रकार से हमारे संविधान के अन्दर इजाजत है और कांग्रेस शासन के अन्दर छूट दी जाती है कि विरोधी पक्ष पनपे। वे अपनी भावनाओं को खुलकर कहें और जो कुछ भी अपने विचार जनता के सामने प्रकट करना चाहते हैं उनको प्रकट करें और अपने संगठन में दृढ़ता लायें; परन्तु इस पर भी वह नहीं पनपता है तो उसका हम क्या करें ? अगर उनके नेता डवलप नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां जिनके अन्दर इस देश के अन्दर विरोधी दल पनपे तो हम क्या करें ? आप चाहते हैं कि वे पनपें, इसलिये उनको शासन सौंप दें तो।

श्री मानसिंह महार (आमेर) ; कुम्भारामजी के आने के बाद।

श्री फूलचन्द जैन : मेहरबानी करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनटरप्शन नहीं करें।

मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सम्भव नहीं हो सकता। जब तक आप हिन्दुस्तान की जनता को यह आश्वासन नहीं दिला दें कि हम भी राज्य करने की क्षमता रखते हैं, हमारी इतनी काबलियत है, इतनी संगठन शक्ति है, तब तक कांग्रेस उनके हाथ में हुकूमत नहीं देने वाली है, चाहे वह इल्जाम लगाये कि विरोधी पक्ष को खत्म करना चाहते हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : छीन लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अकेला एक क्या करेगा ?

श्री फूलचन्द जैन : अब मैं प्रस्ताव पर आता हूं।

तीन बातें इसके अन्दर रखी गई है। खाद्य-समस्या को एक आइटम बनाया गया है जिसके आधार पर यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है। मैं इसके ऊपर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि खाद्य-समस्या के ऊपर इसी सदन में कल बहस हो चुकी है और मैं समझता हूं कि यह स्थिति बिल्कुल साफ है कि आज मंहगाई बढ़ रही है। यह बिल्कुल साफ है कि खाद्यान्न का संकट हमारे सामने है, परन्तु विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए जो कुछ भी स्थिति सरकार ने अपनी तरफ से उनके सामने रखने की कोशिश की व उसके बावजूद उनको यह लगता कि अमुक प्रकार से इस स्थिति को ठीक किया जाय तो राजस्थान के अन्दर और और देश के अन्दर खाद्य समस्या का मुकाबला साहस के साथ किया जा सकता है, तो वह स्वागत के योग्य है, परन्तु उसकी बात नहीं करें। खाद्य समस्या पर अविश्वास का प्रस्ताव रखकर खाद्य के लिए न कहे— अब तक जिन माननीय सदस्यों के भाषण इस सदन में हुए हैं उनमें से एक भी इसके लिए न कहें और अगर यह विषय कल चल गया था आज उसको आधार क्यों बनाया गया

Page No. 118

(श्री फूलचन्द जैन)

आपको यह मालूम था कि फूड पर डिबेट होने वाली थी, तो इसके अन्दर क्यों लाया गया जब कि इसके ऊपर विचार करने की क्षमता नहीं थी।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार सर्विसेज़ के अन्दर है इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। इसके बारे में अविश्वास के प्रस्ताव में हवाला दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में भी कि इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि जो कुछ भी विरोधी दल के नेता की हैसियत से या विरोधी दल के जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से सदन में बैठे हैं और हम यह चाहते हैं कि किसी भी बुरे काम करने वाले को हम बुराई से हटाकर ठीक रास्ते पर लायें तो उसका यह तरीका नहीं हो सकता कि हम यहां बैठकर, सदन में खड़े होकर जो मन में आये कह जायं। फिर भ्रष्टाचार और पक्षपात की बात कहें और यह सन्तोष मान लें कि हमने यह कह दिया, वह कह दिया।

मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता महोदय ने हमारे यहां कुछ अपनी ओर से बातें रखीं। यहां पर जब बातें रखी गईं, तो उस समय उन्होंने निवेदन किया था कि जैसे उन्होंने एक बात रखी कि कांग्रेस अधिवेशन के समय नेताओं के लिए थालियों की व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो गया और चूंकि कुछ थालियां कम पड़ गईं और स्टेनलेस स्टील की थालियां कांग्रेस के कार्य-कर्त्ताओं को जिमाने के लिये जरूरी थीं, सलिए स्टेनलेस स्टील का कोटा देकर थालियों को इस तरह से हासिल किया। इस तरह की बात एक एम०एल०ए० की तरफ से आये, एक पोलिटिकल पार्टी का लीडर कहे तो इससे अधिक शर्म की बात और नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और यह भी साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्यों को यह यकीन हो कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही कहा है तो मन्त्री महोदय ने उनसे यह निवेदन किया है कि वे इस सम्बन्ध में जो कुछ भी फैक्ट्स हैं, जो कुछ भी रेकॉर्ड है उसको रखें तो मैं उनको उचित समझूंगा, मैं यह समझूंगा कि वे प्रजातन्त्र के हामी हैं और समाजवादी पार्टी के द्वारा समाजवाद लाने का अधार रखते हैं; बजाये इसके कि सेठी साहब आदि को इस सदन में लाकर अपने बयान के सपोर्ट में प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मुख्य मन्त्रीजी के बारे में जांच कराने को तैयार हैं क्या?

श्री फूलचन्द जैन: कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं रखे जायं, जरूर रखे जायें; अगर कहीं पक्षपात होता हो तो जरूर रखा जाय। अगर कोई गड़बड़ होती हो तो वह जरूर सामने लाई जाय। हम उसका स्वागत करते हैं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार के नाम पर, पक्षपात के नाम पर जो मन में आये वह कह दें और उन ऑफिसरों के लिये कह दें जो बोल नहीं सकते, उनको

(श्री फूलचंद जैन)

कह दें कि जो हाउस में नहीं, इस तरह से आप प्रजातन्त्र की दुहाई देकर आप जो यह चाहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, प्रजातन्त्र के हम ठेकेदार हैं, उसूलों के हम ठेकेदार हैं।

अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो यह ठेकेदारी आपके पास में नहीं आ सकती।

आज वह जमाना नहीं रहा कि जनता को आप गुमराह कर सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हमारे अन्दर पक्षपात है या थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी है तो उसके लिये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं, जो सही तरीके से सही बात सदन में नहीं रख कर गलत तरीके से गुमराह करते हैं, और सही बात दुनिया के सामने गलत साबित हो, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, आपके अन्दर जिम्मेदारी आनी चाहिये, आपके अन्दर ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए। आप क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक वाह-वाही मोल लेने के लिए सदन के अन्दर चूंकि आपको प्रिविलेज है कि जो मन में आये कहें, वह आप कह कर उसका सपोर्ट भी करें और विरोध भी करें तो गलत बात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): हम झूठी वाहवाही नहीं लेना चाहते है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि श्री जयनारायण व्यास ने, जो आपकी पार्टी के रहे हैं और आपकी सरकार के नुमायन्दे रहे हैं, उन्होंने जो चार्जेज़ बेईमानी और करप्शन के सरकार के ऊपर लगाये हैं, आम चुनाओं के दौरान में लगाये हैं, उनका स्पष्टीकरण करदें ताकि आपकी सच्चाई का पता चल जाय। आप भी उनके बड़े हिमायती रहे हैं। क्या आपमें इतनी शक्ति या हिम्मत नहीं है ?

श्री सभापति : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी कि जिससे वे परेशान हो गये ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो चार्जेज़ उन्होंने लगाये थे उनका आप स्वयं ही स्पष्टीकरण कर दें ताकि आपकी ईमानदारी का पता चल जाय।

श्री फूलचन्द जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं समझता....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप उन दिनों में जयनारायणजी के समर्थक थे और सुखाड़ियाजी के विरोधी थे; आपका दिल क्या बोलता है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब तो चरण पकड़ लिये सुखाड़ियाजी के।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार : आप कितनी ही खुशामद करिये मगर आपको मिनिस्ट्री में नहीं लेने वाले हैं।

श्री फूलचन्द जैन : जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो मुझे भी

Page No. 120

(श्री फूलचन्द जैन)

इस बात का कहने का अधिकार है कि राजनीति में प्रवेश कराने के लिए उनके लिए सब कुछ किया है । उनको राजनीति में लाने की कोशिश की है। उनको मैंने आगे होकर राजनीति सिखाई है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो बार बार खड़े होते हैं उनसे मैं उम्मीद करता था कि वे नौजवान हैं और इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए सही उसूलों पर चलेंगे।

माननीय सदस्य जब उसूलों की बात आई तो उन पर चिड़ते हैं और इन्टरप्शन करते हैं और चमकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं कि हम दूसरों को गालियां दें और वे बीच में नही बोलें, आप झूठी गालियां दें और वे नहीं बोलें। मैं मानसिंहजी महार की बात नहीं करना चाहता हूँ। उनकी जो स्थिति है उस पर मुझे दया आती है। उनकी स्थिति यह है कि वे खुल कर विरोध भी नहीं कर सकते हैं और खुल कर सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, वे क्या करें, उनका दिमाग साफ नहीं है ! वे अन्दर आते हैं तो एक बात करते हैं और बाहर जाते हैं तो दूसरी बात करते हैं। मेरा दिमाग उनके बारे में काम नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी जो हालत है उन हालतों के अन्दर जब से इस सदन के अन्दर बहस अविश्वास के प्रस्ताव पर चल रही थी तो मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे अविश्वास का प्रस्ताव इसके अन्दर आया है ?

श्री सभापति : आप अपना भाषण ५-१० मिनट में खत्म कर दें।

श्री फूलचन्द जैन : जी हां।

मैं यह निवेदन कर रह था, माननीय सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया।

श्री सभापति : यह साधारणत: मानकर चलें कि आसन पर कोई बैठा है तो हाउस जारी है।

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे पास एक दिन का समय है; अविश्वास का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने रखा है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो आइटम्स अविश्वास प्रस्ताव में रखे हैं उन्हें जिम्मेदारी के साथ कहें, जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहें, हम स्वागत करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने की छूट है और सही तरीके से कुछ आदमी कब्जे में नहीं आते या जो अफसर काम आपका नहीं करते हैं उनको डराने की जरूरत आपको महसूस होती है, इसलिये इस तरह से उन अफसरों के बारे में ×××× करना जरूरी है। ××× मैं शब्द खास तौर से यूज़ करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम प्रजातंत्र की बात करें ....

श्री सभापति : The word ×××× should be expunged from the proceedings.

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

Page No. 121

श्री फूलचंद जैन : मैं वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : अब तो एक्सपन्ज हो गया, वापिस क्या लेंगे ?

श्री फूलचंद जैन : मैं निवेदन कर रहा था कि आज हम राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आये हैं, सभी अपने आप में जिम्मेदार हैं, आखिर इस राजस्थान का क्या भविष्य बनाना चाहते हैं, क्या कल्पना करके चलते हैं ? जो कुछ सरकार ने किया प्रजातंत्र की व्यवस्था में, मैं समझता हूं वह आपके हमारे सामने है। जो कानून बनाना चाहते हैं वह सदन से पास करवाते हैं, आप और हम सभी सदन में बैठते हैं, इनमें कमियां हों तो बताइये, उसमें वजन होगा तो जरूर आपकी बात मानी जायगी। आपकी परेशानी क्या है ? आप मेहनत करके सही स्थिति को रख नहीं सकते। जो हालत है उसको समझ नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिये। सत्ता आपको सामने दिखती है इसलिये उसकी ओर लपकना चाहते हैं, पर वह मिलती नहीं है इसलिये फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में हो गया और उस फ्रस्ट्रेशन के लिये, सत्ता लेनेके लिये बिदकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सत्ता नहीं आ सकती। जिम्मेदारियों से ताकत बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत बनावें। मैं फिर एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो कुछ हम यहां एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, पहले साथियों को सोचना चाहिये, चाहे ट्रेज़री बैन्चेज हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, किधर से भी अच्छी बात कही जाय उस पर गौर करना चाहिये, यह हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम पॉवर में हैं, गलतियां कर सकते हैं, आप पॉवर में नहीं हैं; यह नहीं कह सकते कि आप कोई गलती नहीं करते। आप यह समझते हैं कि मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि आप किस प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त हैं....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक सूचना का सवाल है। क्या यह सच है कि आपने माननिय सदस्य कुंभारामजी को जिस समय टिकट देने का सवाल था उस समय कई लोगों के हस्ताक्षर करवा कर रिप्रेज़ेन्टेशन उनके खिलाफ दिया था कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है--यह है, वह है ? यदि यह सत्य है कि आपने उस पर दस्तखत किये हैं तो अब आप उनके बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, यह साफ कर दें ?

श्री सभापति : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप फील्डिंग में हैं; बैट उनके हाथ में है; उनको बनाने दीजिये सेंचुरी। आपका मौका आवे तब आप सेंचुरी बना लेना।

श्री फूलचंद जैन : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं, किस तरह हवा में बात करते हैं ! अरे, हम तो आपको मुगालता देंगे ! आप क्यों आते हैं मुगालते में ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १८ आदमीयों के हस्ताक्षर से मुख्य मंत्रीजी को पत्र दिया गया, कहां सिग्नेचर्स कब किये, आप कहां की बात कहां कर रहे हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): एक बात साफ हो गई कि आप झूठ बोलते हैं, धोखेबाज हैं।

श्री फूलचंद जैन : आप इस बात की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ छिद्र मिल जाय। हमने तो छिद्र अंग्रेजों को भी नहीं दिये उनको हटा कर राज्य लिया। इनको क्या छिद्र देंगे ?

सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इनके दिल में जिम्मेदारी आनी चाहिये. इनको सुमति आनी चाहिये, हमको हमदर्दी है ये जल्दी सुधरें। हम इनका भला चाहते हैं। मै यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य, पार्टी इन पॉवर....

श्री सभापति : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रतःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.०६ बजे, कल दिनांक २६ अक्टूबर, १६६४, को म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लूणकरणसर—सूरतगढ़—गंगानगर सड़क निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

६७४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

क्या लूणकरणसर—सूरतगढ़—गंगानगर रोड निर्माण के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है ?

उत्तर

जी हां। यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

ऑइल मिल्स, जीनिंग फैक्टरीज़ व दीगर कल-कारखानों के वास्ते बिजली

६७५. श्री सम्पत्ति लाल बोहरा (मावली) : क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार मावली तहसील के फतहनगर सनवाड़ ग्राम में ऑइल मिल्स, जीनिंग फेक्टरीज़ व दीगर कल कारखानों को देखते हुए बिजली देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो बिजली कब तक दी जा सकेगी ?

उत्तर

केवल मावली को इस वर्ष में बिजली देने की सम्भावना है।

भ्रष्टाचार की जांच, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा

६७६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सत्य है कि असिस्टेन्ट इंजिनियर, श्री श्यामसिंह, अकलेरा, झालावाड़ ने छीपाबड़ोद–हरनावदा रोड को चैक करते समय मेजरमेंट बुक नं० ५५१६ और ५५१३ को चैक किया है ?

(२) यदि हां, तो दोनों मेजरमेन्ट बुकों में कितने कितने रुपये का किस किस काम का बिल बनाया गया है और पेमेंन्ट किस ठेकेदार को किया गया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि कलमोदिया हरनावदा रोड की जंगल कटाई का पेमेन्ट ६००) रु० मील के हिसाब से किया गया है जबकि यह १६) रु० मील से होना था ?

(४) क्या यह सत्य है ५–१–६३ को सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर, कोटा ने सालपुरा-छबड़ा रोड का निरीक्षण करके रिपोर्ट में लिखा है कि ठेकेदार ने मैटीरियल कम डाला है और इसके बावजूद भी ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ?

(६) क्या यह सत्य है कि तारजरोड का ठेका ४॥ प्रतिशत में देने के बजाय २० और २५ प्रतिशत से अधिक रकम में दिया गया है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार की जांच कब करायी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, ।

(२) सूची (अ) सलंग्न है ।

(३) यह सत्य नहीं है ।

(४) अधिशासी अभियन्ता, कोटा ने निरीक्षण अवश्य किया है किन्तु रिपोर्ट में मैटीरियल कम डालना नहीं लिखा है । इन्सपेक्शन के बाद में मैटीरियल का पेमेन्ट नहीं किया गया ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

(६) यह कार्य डिपार्टमेन्टली कराया गया है ।

सूची (अ)

उन कार्यों की सूची जो श्री श्यामसिंह सहायक अभियंता अकलेरा सब-डिवीजन द्वारा चैक की गई :—

मेजर मेंट बुक नं० ५५१६

	नाम ठेकेदार	कार्य जो किया गया
१– स्पेशल रिपेयर मील –३३ अकलेरा छीपा बड़ोद मालपुरा रोड	श्री हंसराज ठेकेदार	४८६)रु०
२– स्पेशल रिपेयर मील ३४ ,,	,,	३५६८)रु०
३– स्पेशल रिपेयर मील ३७ ,,	श्री अमृतलाल	३५०८)रु०
४– स्पेशल रिपेयर मील ३६	,,	३८००)रु०
५– स्पेशल रिपेयर मील ११ अकलेरा खिलजी रोड	श्री हंसराज	५०२६)रु०
६– पाटन अकलेरा खिलजीपुर रोड	,,	३८८)रु०
७– मील १२ पाटन अकलेरा खिलजीपुर रोड	श्री अमृतलाल	८६३)रु०
८– स्पेशल रिपेयर्स रोड वर्क्स अकलेरा छीपा बड़ोद रोड मील ३६	श्री हंसराज	रिकार्डएन्ट्री
९– स्पेशल रिपेयर्स रोड वर्गमील ३६ अकलेरा छीपा बड़ोद सालपुर रोड	,,	३६२७)४०

मेजरमेन्ट बुक ५५१३

१– क्वास कॉजवे की नींव में पत्थर भराई	श्री बहीउद्दीन	६९७)रु०
२– छाबरा कवाई रोड	श्री रामगोपाल	६४३)रु०
३– हरनावदा छीपा बड़ोद फेयर वेदर रोड	श्री रामगोपाल	१७४४)रु०

लछमणगढ़-कटूमर सड़क की मरम्मत

६७७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लछमणगढ़- कटूमर सड़क सारी खराब हो रही है ?

(२) अगर हां, तो सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने के बारे में क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(३) क्या सरकार इस पर डामर डलवाना चाहती है ? अगर हां, तो कितने मील पर व कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं, कुछ मीलें खराब है।

(२) ४ मीलों में कार्य चालू है; बाकी मीलों पर ज्यों २ धनराशि प्राप्त हो सकेगी कार्य कराया जावेगा; अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(३) योजना में स्वीकृत नहीं है।

ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड्स

६७८. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : Will the Forest Minister please reply:—

(a) What was the number of 'Great Indian Bustards' in Rajasthan in 1960 aad 1964 respectively ?

(b) Is it a fact that a large number of these birds is killed every year by the Poachers ?

(c) Does the Government consider it necessary to preserve the above mentioned beautifnl birds ?

(d) If so, what steps have been taken by the Government in this connection ?

उत्तर

१. इसके लिए कोई वैज्ञानिक गणना अभी तक नहीं की गई है।

२. जी हां । चोरी छिपके ऐसी वारदातें कभी २ हो जाती हैं ।

३. जी हां ।

४. इस पक्षी को राज्य सरकार ने पूर्ण संरक्षण दिया है । इन चिड़ियों के प्रजनन क्षेत्र को सेन्च्युरी बनाने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

पंचायतों के चुनाव

६७६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायतों के चुनाव करवाने लिए सरकार ने कौन सी अन्तिम तिथि मुकर्रर की है ? यदि नहीं की, तो कब तक चुनाव करवाने का इरादा है ?

उत्तर

पंचायत चुनावों की अन्तिम तिथि निश्चित् नहीं हुई है । चुनाव १-१-१९६५ से आरम्भ हो जावेंगे ।

भारत सेवक समाज को सड़क व मकानों के निर्माण कार्य के ठेके

६८०. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर में जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६३ तक बहुत से ठेके पी० डब्लू० डी० के सड़क निर्माण व मकानों के भारत सेवक समाज के नाम से दिये गये ? यदि हां, तो कौन कौन से ठेके कितनी २ कीमत के कहां कहां पर किस किस को दिये व पी० डब्लू० डी० रेट उन कार्यों की क्या थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि भारत सेवक समाज के नाम से कुछ स्वार्थी तत्व इस तरह के ठेके लेकर नाजायज़ फायदा उठाते हैं व वास्तव में भारत सेवक समाज के सिद्धांतों से काम नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो कौन कौन से व्यक्तियों ने उपरोक्त काम किये ?

(३) सरकार को पी० डब्लू० डी० रेट से अधिक दर पर काम भारत सेवक समाज के नाम से देने पर कितने रुपये अधिक खर्च करने पड़े ?

परिशिष्ट

उत्तर

जी हां, सूची (अ) प्रस्तुत है ।

इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

ठेके पी डब्लू० डी० एस्टीमेट रेट पर ही दिये गए हैं ।

सूची

सूची कार्य जो भारत सेवक समाज को जोधपुर में जनवरी १९६१ से ३० जून, १९६३ तक दिये गये :

		कीमत	ठेका	रेट
१.	मेटल्ड रोड साथिन से रतकूड़िया	५८००६	श्री कालूसिंहजी भारत सेवक समाज	तखमीना की दर से
२.	मैटल्ड रोड बिलाड़ा से खेजड़ला	५९५११	,,	,,
३.	डेचू से मथानिया ग्रेवल रोड मील १८/३ से २०/३९	१९८७	भारत सेवक समाज	,,
४.	मील २०/३९ से २३ डेचू मथानिया रोड	१८९९	,,	,,
५.	मैटल्ड रोड बिलाड़ा से खेजड़ला रोड।	९८७२०	रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भारत सेवक समाज, जोधपुर	बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट

१	२	३	४	५
६.	मैटल्ड रोड साथीन से रतकूड़िया	६५७३२	,,	,,
७.	पाली जोधपुर रोड मील ५।० से जोधपुर सल्फेट फैक्ट्री	१२६१०६	भारत सेवक समाज कॉन्स्ट्रक्शन सर्विस, जोधपुर	,,
८.	मैटल्ड रोड बिलाड़ा से खेजड़ला रोड मील ०।४ से १।१ जोधपुर	१८६१५	चेयरमैन प्रदेश कॉन्सट्रक्शन कमेटी भारत सेवक समाज, जोधपुर	,,

ग्राम हुरडा से अरवड़ तक पक्की सड़क का निर्माण

६८१. श्री कानाभाई (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीलवाड़ा जिले के हुरड़ाग्राम में अरवड़ तक पक्की सड़क बनाने का विचार है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक तैयार हो जायेगी ?

(२) क्या इसके लिए किसी ठेकेदार को ठेका दिया है ? यदि हां, तो वह कौन है व इसको ठेका देते समय सड़क तैयार करने का समय निश्चित् किया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इस सड़क को विभाग स्वयं ही नहीं बना रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। आशा है तृतीय योजना काल में।

(२) जी हां। इस कार्य को श्रशरण राजलाल बोहरा को ठेके पर किया गया है; समय निश्चित् किया है। प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां। इस कार्य का ठेका दिया जा चुका है और ठेकेदार कार्य कर रहा है।

माउन्ट आबू की हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी का सर्वे

६८२. श्री धर्माराम आर्य (सिरोही) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिरोही जिले में माउन्ट आबू में हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी पैदा करने के लिए सर्वे मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर ने कर दिया है; लेकिन इसकी मन्जूरी अभी नहीं हुई, जबकि यह प्रस्ताव सरकार के पास सन् १९६० से है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। अलाभीय (अन इकोनोमिनीकल) होने के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

चम्बल योजना की बिजली-जिला चित्तौड़गढ़

६८३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में चम्बल योजना की बिजली दी जा रही है ? अगर हां, तो किस किस तहसील को ?

(२) क्या यह सही है कि बिजली की लाइन करीब आये हुए गांवों को भी बिजली कृषि कार्यों के लिए दी जावेगी ? अगर हां, तो लाइन से कितने मील की दूरी तक ?

(३) क्या यह सही है कि बेगूं सब-डिस्ट्रक्ट को भी बिजली दी जायगी ? अगर हां, तो क्या यह लाइन चित्तौड़ से बेगूं निकाली जायगी ?

(४) क्या यह सही कि राज्य सरकार की यह नीति है कि ५,००० की जन-संख्या वाले गांवों को बिजली देने में प्राथमिकता दी जावेगी ?

(५) क्या यह सही है कि बेगूं को बिजली दी जाने में चित्तौड़ से बेगूं जो लाइन निकाली जायेगी उससे १३ पंचायतें एवं ५००० की जनसंख्या का एक गांव कवर हो सकता है ? यदि हां, तो क्या इन्हें बिजली दी जाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(१) जी हां। चितौड़गढ़, कपासन, प्रतापगढ़, डूंगला और बेगूं को।

(२) जी हां। करीब दो मील तक

(३) जी हां, जी नहीं ।

(४) जी हां।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट-२

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५३ का उत्तर देखिये)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में कार्यरत महिला वैद्याओं के स्थानों की सूची

(१)	राजकीय आयुर्वेदिक अ श्रेणी	औषधालय,	अजमेर
(२)	,,	,,	उदयपुर
(३)	,,	,,	भीलवाड़ा
(४)	,,	,,	बीकानेर
(५)	,,	,,	ब्यावर
(६)	,,	,,	डूंगरपुर
(७)	,,	,,	अलवर
(८)	,,	,,	भरतपुर
(९)	,,	,,	धोलपुर
(१०)	,,	,,	कोटा
(११)	,,	,,	जोधपुर
(१२)	,,	,,	पाली
(१३)	,,	,,	सूरजमल बम्बई वाला, जयपुर
(१४)	,,	,,	गंज, अजमेर
(१५)	राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज,		जयपुर

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ का उत्तर देखिये)

नकशा-वन अपराध रेंज, चित्तौड़गढ़-सन् ६२-६३ से २३-३-६४ तक

क्रम सं० नाम नाका	वन अपराध की रिपोर्ट जो प्रचलित हुई		
	सन् १९६२-६३	ताः १-४-६३ से २३-२-६४	वि०
१—बस्सी	१६५	७७	
२—गरावली	५४	४५	
३—ओछड़ी दरवाजा	५९	३३	
४—दिल्ली दरवाजा	४९	७५	
५—ढाढण	४५	३४	
६—रेंजऑफिस	४०	१९	
७—गंगरार	४५	५६	
८—घोसुन्दा	२५	४	
९—नारिया	९	११	
१०—सोनवा	१२	३३	
मिजान	५०३	३८७	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २८ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५	२०	एटिमेट्स	एस्टीमेट्स
७	शीर्ष	(श्री श्रवणलाल	(श्री श्रवणलाल)
८	शीर्षक	तारांप्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७-१८	,,	मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७	अंतिम से २	(अनुपस्थित)-कृपया आगे देखिये	(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)
१९	१६	(६)	(३)
,,	अन्तिम से १ व २	होनें से विधान से विधान सभा पुस्तकालम	होने से विधान सभा पुस्तकालय
२४	१९	नैंक्स्ट	नैक्स्ट
२६	३	(कुशलगढ़) क्या	(कुशलगढ़) : क्या
२७	अन्तिम से ३	मुंसिफ	मुंसिफ
२८	२१	श्र परसराम	श्री परसराम
२९,३५,१०१	शीर्षक	२९ अक्टूबर	२८ अक्टूबर
३१	अन्तिम पंक्ति	Eiectricity	Electricity
३५	शीर्षक	ताराकत प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३८	२२	नहीं	नहीं
४२	अन्तिम पंक्ति	मवावह	भयावह
४६	१	पूण	पूर्ण
४७	१९	मंत्री महोदय के	मंत्री महोदय को
४९	२३	श्री अज्यक्षः नेक्ज्ट	श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट
५४	१	कृप्स	कूप्स
,,	२४	१९५७।५९	१९५७/५८
५५	शीर्ष	(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)	(श्री भीखाभाई)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६०	१७	श्री सांवलियाराम	श्री सांवलियाराम
६४	८	श्री चन्दनमत बैद	श्री चन्दनमल वैद
६५	१५	उप-मंत्रा	उप-मंत्री
६७	अन्तिम से २	परिशिप्ट	परिशिष्ट
६८,७३	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
६८	३	वैद्ययों	वैद्यों
,,	४	आयुर्वेढ	आयुर्वेद
६६	४	परिशिप्ट	परिशिष्ट
,,	१८	यह सही है कि	१: यह सही है कि
,,	२२	ऊपर के जवाब से	२. ऊपर के जवाब से
,,	,,	पूात	पूर्ति
७०	अन्तिम पंक्ति	देखिये	देखिये)
७२	शीर्षक	तरांकित	तारांकित
७४	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७७	१२-१३	में मेयर्स	ये शेयर्स
८०	३	श्री पोहमल	श्री पोहूमल
८२	७	(२)	(३)
८३	१८	श्री डूंगाराम (राजोरिया)	श्री डूंगाराम राजोरिया
८५ से २४४	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव -२८ अक्टूबर;६४-याचिकाओं का उपस्थापन	मंत्रि-मंडल के प्रति-२८अक्टूबर,६४-अविश्वास का प्रस्ताव
८६	२६	यहा	यहां
८७	१८	वेया	कैया
८८	३	घइराते	घबराते
१०३	शीर्षक	२८ क्टूबर	२८ अक्टूबर
१०६	शीर्ष	महारालल	महारावल
१३५	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	—
,,	२	(मांल)	(मंडल)
१४५	अन्तिम से ७	श्री उमरावसिह दावरिया	श्री उमरावसिंह दावरिया

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१४६	२१	बेठ	बैठ
,,	२२	श्री मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१५०	१६	मानिये	मानिए
१५१	१०	मरीव	गरीब
,,	२४	उन्होंने	उन्होंने
१५२	२२	बंटवारे	बंटवारे
१५३	१	आप	आप
,,	१५	मेजिस्टेट	मेजिस्ट्रेट
१५४	५	अलावा	अलावा
१५७-१५८	अन्तिम	—	××××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया
,,	६	बैठे	बैठा
१६०	११	सदस्य	सदस्य
,,	अन्तिम से ५	लेडेढ़ा	लेडेढ़ा
,,	अन्तिम पंक्ति	गया	गये
१६१-१६२	अन्तिम	—	××××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया
१६२	१६	जमाने	जमा
१६६	अन्तिम से ५	hced	hed
१६८	२०	जिन्दा	जिन्दा
१६६	१७-१८	भी मैं भी	भी
१६६	अन्तिम से ३	व्यक्ति	व्यक्ति
१७०	१७	से आपकी	आपकी
१७५	शीर्ष	(श्री मानिक चन्द सुराणा)	(श्री उपाध्यक्ष)
१८०	५	आधमका	आ धमका
१८५	१	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२०	ओर	और
१८७	१८	कमलोबनीवाल	कमला बेनीवाल
१८६	१	में हीं	में नहीं

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१८६	१८	मानसिंह महार	श्री मानसिंह महार
१९१	शीर्ष	(श्री मानसिंह महार)	(श्री मानसिंह महार)
१९२	१५	नाथूरामज	नाथूरामजी
१९३	६	वैठने	बैठने
१९८	४, १२	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
२१६	१	हले	पहले
२१७	शीर्ष	(श्री प्रमृतलाल यादव)	(श्री अमृतलाल यादव)
,,	१७	इखेगा	रखेगा
२१८	६	Handt	Handa
		उसका काई नहा (स्कालरशिप)	उसको कोई स्कोलरशिप नहीं
२२०	११	आव)	आवाज)
२२२	१०	प्रस्याव राजस्थान	प्रस्ताव राजस्थान
२२३	१	श्री अमृनलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
२२५	अन्तिम से ६	नही	नहीं
,,	,, ,, ५	हो	हां
,,	,, ,, ४	स्द्धिान्तों	सिद्धान्तों
२२६	३	वात	बात
,,	१५	। ० ८ फ	एक तरफ
२२७	शीर्षक	३० अक्टूबर	२८ अक्टूबर
२२९	१६	अविश्वाव	अविश्वास
,,	अन्तिम से ५	इन्सानी	इन्सान
२३०	३	निबेदन	निवेदन
,,	६	(सुजजानगढ़)	(सुजानगढ़)
,,	अन्तिम से २	करत ह	करते हैं
२३१	४	विराधी	विरोधी
,,	६	वचार	विचार
,,	८	जिन्होंने	उन्होंने
,,	९	क	की

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२११	६	उर्नेने	उन्होंने
,,	१०	अन्बर	अन्दर
,,	१४	क	कि
,,	१५	स भ	समझ
,,	१७	हा, बहुम	हो, बहुमत
,,	१६	क	के
,,	,,	क	कि
,,	२०	ह	है
,,	२६	प्रजातत्र	प्रजातन्त्र
,,	२७	हिन्हु	हिन्दु
२१२	१३	है	है,
,,	२५	यह	—
,,	अन्तिम से ४	आ की	आपकी
२१३	१४	डव प	डेवलप
,,	१५	ऐस	ऐसी
,,	१७	है	हैं
,,	२४	मार त	मारफत
२३४	अन्तिम से २	चल	चला
२३५	,, ,, २	थालिय	थालियां
,,	अन्तिम	सलिए	इसलिए
२४२	७	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२४५	४	श्री भीनसेन	श्री भीमसेन
२४७	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट
,,	१२	(चित्तोड़गढ़)	(चित्तौड़गढ़)

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।